# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न -`पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) , प्रजा अधीन-राजा (राईट टू रिकल), जूरी सिस्टम, `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) और दूसरे प्रजा अधीन-राजा समूह के प्रस्तावों पर

## विषय-सूची


(1) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) और `जनता की आवाज़`(पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली = टी.सी.पी) पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न .....2

(2) जूरी सिस्टम पर अक्सर पूछे गए प्रश्न.....41

(3) `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` (एम आर सी एम) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न.....66

(4) महंगाई के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न .....81

(5) पोलिस ,सेना और देश की सुरक्षा और हथियार रखने और बनने के बारे में अक्सर पूछे गए प्रश्न.....88

(6) और दूसरे विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न.....89


## आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से जिसमें प्रजा-अधीन-राजा समूह (राईट टू रिकाल ग्रुप) के सारे प्रस्ताव हैं -

www.righttorecall.info/011.h.pdf (संक्षिप्त)

www.righttorecall.info/301.h.pdf (विस्तृत)

**टी.सी.पी. और आर.टी.आर. पर अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न का विडियो चैनल -**

https://www.youtube.com/user/TCPHindiFAQs

# (1) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) और `जनता की आवाज़`(पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली = टी.सी.पी) पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

**प्रजा अधीन-लोकपाल ड्राफ्ट** डाउनलोड करें इस लिंक से (इन में से एक) -

- https://docs |google |com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw5lEnkfH2GUOTQ5NTJkOTctZmRlMS00OTFjLWE5YjktZmMzZDM3ZDE2MDJj&hl=en&pli=1
- www.righttorecall.info/406.pdf

इसी प्रकार के प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) के दूसरे ड्राफ्टस भी हैं, इसीलिए पूछे जाने वाले प्रश्न सभी प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) के ड्राफ्टस के ऊपर लागू होता हैं

1. भारत का कोई भी नागरिक जिला कलेक्टर को एक सांसद के चुनाव के बराबर भुगतान करके खुद को लोकपाल अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार के रूप में रजिस्टर करवा सकता है |
2. भारत का कोई भी नागरिक तलाटी ((लेखपाल, पटवारी, ग्राम अधिकारी) कार्यालय में जाकर मात्र 3 रुपये शुल्क का भुगतान करके, लोकपाल अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों पर अनुमोदन या स्वीकृति दे सकता है | तलाटी (लेखपाल, पटवारी, ग्राम अधिकारी) उसे रसीद देगा जिस पर उसका मतदाता-पहचान-संख्या, अंगुली के छाप और व्यक्तियों के नाम जिसे उसने मंजूरी दी है लिखी होगी |
3. नागरिक किसी भी दिन अपना अनुमोदन (स्वीकृति) रद्द कर सकता है |
4. वह पटवारी लोकपाल के वेबसाइट पर नागरिक के मतदाता-पहचान-पत्रसंख्या सहित उसके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के नाम डाल देगा |
5. यदि किसी भी उम्मीदवार को 24 करोड़ मतदाताओं का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त हो जाता है, तो मौजूदा लोकपाल अध्यक्ष इस्तीफा **दे सकता है** (या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है) और लोकपाल अध्यक्ष के रूप में सबसे ज्यादा अनुमोदन के साथ व्यक्ति को रख (नियुक्त) **कर सकता है** |

ये प्रक्रियाएँ आम-नागरिकों द्वारा किसी ईमानदार सरकारी नौकर को पद पर बनाये रखने के लिए भी प्रयोग किये जा सकते हैं यदि वो किसी अफसर द्वारा गलत तरीके से निकाला गया था और एक बेईमान सरकारी नौकर को निकालने के लिए भी जनता इसका प्रयोग कर सकती है |

इसी तरह दूसरे पदों का क़ानून-ड्राफ्ट जो राष्ट्रिय/राज्य स्तर पर हैं जैसे **प्रधान-मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, रिसर्व बैंक गवर्नर , सुप्रीम कोर्ट जज**, आदि होगा | केवल `लोकपाल` शब्द को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि से बदल दें | और धारा नंबर 5 में दी गयी सीमा रेखा में अलग-अलग पद के अनुसार, में अंतर

होगा और पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली के उपयोग से , बहुमत मतदाताओं के सहमति द्वारा अंतिम/फायनल होगी |

## सम्पूर्ण `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) (टी.सी.पी) ड्राफ्ट

[अधिकारी]

प्रक्रिया

1. [कलेक्टर (और उसके क्लर्क)]

कोई भी नागरिक मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी सूचना अधिकार का आवेदन अर्जी या भ्रष्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी हलफ़नामा / एफिडेविट कलेक्टर को देता है तो कोई भी दलील दिये बिना कलेक्टर ( या उसका क्लर्क ) उस एफिडेविट को प्रति पेज 20 रूपये का लेकर सीरियल नंबर दे कर, एफिडेविट को स्कैन करके पधानमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा।

2. [पटवारी (तलाटी, लेखपाल) और उसका क्लर्क]

कोई भी नागरिक मतदाता यदि धारा-1 द्वारा दी गई अर्जी या फरियाद या हलफ़नामा / एफिडेविट पर आपनी हाँ या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, 3 रुपये का शुल्क लेकर पटवारी नागरिक का मतदाता संख्या, नाम, फोटो, अंगुली के छाप, उसकी हाँ या ना को कंप्यूटर में दर्ज करेगा। नागरिक की हाँ या ना प्रधानमंत्री की वेब-साईट पर आएगी। गरीबी रेखा नीचे के नागरिको से शुल्क 1 रूपये का होगा । बाद में, सुरक्षित मेसेज सिस्टम आने पर ये शुल्क पांच पैसे हो जायेगा |

**सुरक्षा धारा (2A** ; जिसके कारण ये प्रक्रिया पैसों से, गुंडों से या मीडिया द्वारा खरीदी नहीं जा सकती) - पटवारी नागरिक की हाँ या ना 3 रूपये देकर बदलेगा ।

3. ----------

ये कोई रेफेरेनडम/जनमत-संग्रह नहीं है | यह हाँ या ना अधिकारी, मंत्री, न्याधीश, सांसद, विधायक, आदि पर अनिवार्य नही होगी। लेकिन यदि भारत के 37 करोड़ नागरिक मतदाता कोई एक अर्जी, फरियाद पर हाँ दर्ज करे तो पधानमंत्री उस फरियाद, अर्जी पर ध्यान दे सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है । उनका निर्णय अंतिम होगा।

मांग किये गये इस `जनता की आवाज़` सरकारी हुक्म(राजपत्र अधिनियम) का **सार** है :-

1. यदि नागरिक चाहे तो अपनी फरियाद 20 रूपये हर पेज देकर कलेक्टर की कचहरी जाकर एफिडेविट स्कैन करवाकर पधानमंत्री के वेबसाइट पर रखवा सकेगा।
2. यदि नागरिक चाहे तो 3 रुपये का शुल्क देकर फरियाद पर अपनी हाँ/ना पधानमंत्री वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।

3. हाँ/ना पधानमंत्री पर अनिवार्य नहीं है।

**ये पारदर्शी शिकायत ये पक्का (सिस्टम)स्ताव प्रणालीप्र/करेगा कि नागरिकों की शिकायतप्रस्ताव हमेशा / ,किसी के भी द्वारा ताकि शिकायत को कोई नेता ,कहीं भी, दृश्य है और जाँची जा सकती है कभी भी , (लोकपाल आदि)कोई बाबूकोई जज या मीडिया न दबा सके |और सबूत हो और दब ना सकेइसके , | या बहुत जरुरी हैलिए प्रक्रि**

**इस प्रक्रिया के लागू होने से हरेक नागरिक एक रिपोर्टर बन सकता है और हरेक नागरिक एक प्रसारक | इसीलिए ये एक वैकल्पिक मीडिया होगा, जिसके द्वारा नागरिकों को मुफ्त, जाँची जा सकने वाली समाचार मिल सकता है |**

**इससे लोगों के नौकरों आदि के सार्वजनिक कार्यों के बारे में भी पता चलेगा और इसकी मदद से कोई भी नागरिक निर्णय कर सकता है कि देश के लिए कौन सा व्यक्ति या कौन सी प्रक्रिया अच्छी या बुरी है |**

कृपया पूरे क़ानून-ड्राफ्ट के लिए www.righttorecall.info/001.h.pdf में देखें |

**प्रश्न-1) क्या नागरिकों को इस कानून का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी?**

यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला "गलत सवाल" है | मैं इसे गलत सवाल कहता हूँ, क्योंकि इस कानून में नागरिक को किसी प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है | चाहे इंटरनेट हो या नहीं, नागरिक को कलेक्टर के कार्यालय में खुद जाकर अपनी शिकायत या आरटीआई (सूचना का अधिकार) अर्जी/आवेदन देना होगा | चाहे इंटरनेट हो या नहीं है, नागरिक को तलाटी कार्यालय (लेखपाल, पटवारी, ग्राम अधिकारी) में स्वयं जाकर शिकायत या शपथ पत्र पर "हाँ/नहीं" रजिस्टर करना होगा | इस प्रकार इस कानून का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है | यह कानून 18 वर्ष की आयु से ऊपर भारत के सभी नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है | अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो वह आसानी से हलफनामों या शपथपत्र(एफिडेविट) को पढ़ सकता है या फिर बिना इंटरनेट के वह व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति जिसके पास इन्टरनेट हो, उसके यहाँ जाकर पढ़ सकता है |

**(2) पुलिस में भ्रष्टाचार को कम करने में राईट टू रिकाल (प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को निकालने का अधिकार)) किस प्रकार सहायक है?**

अमेरिका के पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार कम क्यों है (सिवाय नशा संबंधित मामलों में)?

एक और केवल एक कारण यह है जिसकी वजह से अमेरिकी पुलिस में भ्रष्टाचार कम है कि अमेरिका में नागरिकों के पास ऐसी प्रक्रिया/तरीका है जिससे वे अपने जिले के जिला पुलिस कमिश्नर को निकाल सकते है | इसलिए अमेरिका में पुलिस कमिश्नर बहुत कम रिश्वत लेता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारी रिश्वत न लेने पायें |

अगर अमेरिका में पुलिस कमिश्नर को पता चले कि उनके कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारी रिश्वत लेता है, तो वह तुरंत एक स्टिंग आपरेशन चला कर सबूत इकट्ठा कर उन्हें निकलवा देता है | क्योंकि उसे भय है कि अगर जूनियर स्टाफ में भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा, तो नागरिकों उसे निष्कासित कर सकते हैं |
नशा संबंधित मामलों में अमेरिकी पुलिस में भ्रष्टाचार है क्योंकि अमेरिका में नशे सम्बंधित कानून बहुत बुरे हैं |

लेकिन भारत में नागरिकों के पास पुलिस प्रमुख को निकालने करने की कोई प्रक्रिया/तरीका नहीं है, इसी कारण पुलिस प्रमुख न केवल रिश्वत लेता है, बल्कि वह अपने जूनियर से भी अधिक से अधिक रिश्वत लेने के लिए भड़काता है | एक आम पुलिस कमिश्नर रिश्वत की आधी रकम स्वयं रखकर बाकी आधी ,विधायकों, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंचा देता है |

पाठकों, आपको यह जानकारी क्यों नहीं मिल पाती कि अमेरिकी नागरिक अपने पुलिस प्रमुखों को निकालने का अधिकार रखते हैं? क्योंकि EIIs (EII = भारत के प्रिसिद्ध बुद्धिजीवी = Eminent Intellectuals of India) भारतीय नागरिकों को यह पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि "अमेरिकी नागरिकों के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को निकालने की प्रक्रिया/तरीका है" ,नहीं तो भारत के नागरिक भी ऐसी प्रक्रियाओं/तरीकों की मांग करने लगेंगे |

**(3) प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालना का अधिकार) को सुरक्षित बनाने के लिए तथा फर्जी मतदान को कम करने के लिए भविष्य में क्या प्रयास किये जायेंगे ?**

आगे चलकर, निम्न सुविधाएँ इस प्रस्ताव में शामिल हो जाएँगी | इन सुविधाओं द्वारा "फर्जी मतदान" को रोका जा सकेगा और साथ ही यह बहस कि " फर्जी मतदान के कारण यह कानून कभी लागू नहीं होना चाहिए" का उत्तर दिया जा सकेगा |

1. नागरिकों की उंगलियों के निशान कंप्यूटर में रखा जाएगा ताकि कंप्यूटर अंगुलि-छाप का उपयोग करते हुए मतदाता को सत्यापित (जांच द्वारा सही ठहराना) कर सकेगा |
2. एक कैमरा को पटवारी के कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा जिससे वह नागरिक की उंगलियों के निशान और तस्वीर स्कैन करके जमा कर सके तथा ये सब जानकारी और उसकी स्वीकृति रसीद पर डाल सके | इस तरह एक व्यक्ति अगर कई सारे "हाँ/नहीं" दर्ज करवाएगा, तो उसे खोजना और गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा |

3. हर नागरिक को एक पासबुक दी जाएगी जिसमे उसके द्वारा पंजीकृत सभी हां/नहीं की सूची (लिस्ट) होगी | यदि किसी ठग ने उसके स्थान पर हां/नहीं दर्ज कराई होगी, तो उस नागरिक को इसके बारे में पता चल जाएगा |
4. प्रत्येक नागरिक को हर महीने एक सूची (स्टेटमेंट) प्राप्त होगी जिसमे वह पिछले छह महीने में स्वयं द्वारा पंजीकृत हाँ/नहीं देख पायेगा | इसलिए यदि किसी ठग ने उसके स्थान पर हाँ/नहीं दर्ज कराई होगी, तो इसके बारे में उसे पता चल जाएगा |
5. अगर नागरिक चाहे तो वह अपना मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर करवा सकता है और जब भी वह हाँ/नहीं रजिस्टर करेगा तो उसे एस.एम.एस आएगा | यदि किसी ठग ने उसके स्थान पर हां/नहीं दर्ज कराई होगी, तो इसका पता उसे तुरंत चल जाएगा |
6. अगर नागरिक चाहे, तो वह अपने ई-मेल का पता रजिस्टर करवा सकता है और जब भी वह हाँ/नहीं रजिस्टर कराएगा तो उसे ई-मेल प्राप्त होगा | इसलिए यदि कोई ठग ने उसके स्थान पर हां/नहीं दर्ज कराई होगी, तो उसे इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा |

इस प्रकार हां/नहीं पंजीकरण बैंक के खाते से भी अधिक सुरक्षित हो जाएगी | इन सुरक्षा के उपायों द्वारा फर्जी मतदाता पांचवीं या छटवी बार प्रयास करने पर पकड़ा जाएगा और इससे फर्जी मतदाताओं की संख्या कम हो जाएगी | अब 1% हां/नहीं फर्जी हो सकता है, और इसलिए सभी 72 करोड़ मतदाताओं को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए - ऐसा तर्क बेकार है |

**(4) क्यों प्रख्यात / नाम वाले बुद्धिजीवी (EII) इस प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) मांग का विरोध करते हैं ?**

प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल ; भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) मांग को पूरी करने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए की आवश्यकता नहीं है, न ही हजारों कर्मचारियों या इमारतों की आवश्यकता है | नागरिकों द्वारा अर्थ लगाये हुए हमारे संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को यह अधिनियम (नियम) लागू करने में विधायकों की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है | अभी तक सभी दलों के सांसदों और सभी प्रसिद्ध बुद्धिजीवी इस प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं | सभी दलों के नेताओं को इस प्रस्ताव से नफरत है और उनके मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री ने प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) की मांग पर हस्ताक्षर न करने की कसम खाई है | क्यों? क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया तब होती है जब करोड़ों देशवासी बदलाव चाहते हैं और जब प्रत्येक देशवासी को यह विश्वास हो जाता है कि करोड़ों देशवासी उसके साथ हैं तब यह प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती है | मुझे इस वाक्य को दोहराने दिया जाए कि पिछले 3000 साल में सभी प्रमुख बदलावों के पीछे यही प्रक्रिया रही है-

**बदलाव की प्रक्रिया तब होती है जब करोड़ों देशवासी सहमत / राजी होते हैं, और करोड़ों देशवासियों को पता होता है कि अन्य करोड़ों देशवासी भी सहमत हुए हैं |**

"करोड़ों देशवासी क्या चाहते हैं, वो जानकारी करोड़ों देशवासियों को हो " यह "राजनीतिक अंकगणित में शून्य " के सामान है | बुद्धिजीवियों और मीडिया आम देशवासी को हमेशा यह मनाने की कोशिश करती है कि वह बिल्कुल अकेला है और अन्य करोड़ों देशवासी अनजान और सो रहे हैं | प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) न केवल नागरिकों को किसी प्रस्तावित परिवर्तन पर हाँ / नहीं करने में सक्षम बनाता है, बल्कि यदि करोड़ों देशवासी एक बदलाव के लिए सहमत हो गए हैं, तो अन्य करोड़ों देशवासियों को भी पता चलता है कि करोड़ों देशवासी यह परिवर्तन चाहते हैं | यह मीडिया मालिकों को ऐसी अफवाह/गप कि - "लोगों को परवाह नहीं है" बनाने नहीं देता है | प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) मीडिया के मालिकों की करोड़ों देशवासियों की प्राथमिकताओं / जरूरतों को दूसरों को गलत बताने की शक्ति कम करता है |

**(5) क्या इससे धनवान व्यक्तियों के लिए नागरिकों को खरीदना संभव नहीं होगा?**

अगर ऐसा माना जाए कि गरीब अपने वोट बेचते हैं, तो क्यों कभी गरीब क्षेत्रों में 60% से अधिक मतदान नहीं होता? और क्यों अधिकतर अमीर प्रत्याशी जीतने के बजाये हारते हैं ? मेरा मुद्दा यह है: अगर किसी को पैसा दिया जाता है, वह उसे ले सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि मतदान गोपनीय है, और इसलिए वे उस पार्टी/व्यक्ति को वोट देते हैं जिसे वे सबसे कम नफरत करते है |
वोट के लिए दिया गया पैसा बूथ के अंदर कोई फर्क नहीं डालता, और जो प्रक्रियाएँ/तरीके हमने प्रस्तावित किये हैं उसमें लिखा है कि नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति किसी दिन भी बदल सकता है | इसलिए यदि कोई अनुमोदन के लिए 100 रुपये देता है, तो उसे वह 100 रुपये हर सप्ताह देना पड़ेगा और इस तरह वह जल्दी ही पैसे से कंगाल हो जायेगा |

इस तरह धनवान नेता अगर नागरिकों को खरीदकर अपने व्यक्ति को लोकपाल के रूप में रखवा सकता, तो उसे 37 करोड़ नागरिकों को घूस देना होगा | यदि वह प्रति नागरिक 200 रुपये भुगतान करता है तो उसे 7400 करोड़ रुपये का भुगतान उनकी एक `हां` पाने के लिए करना पड़ेगा | बाद में देशवासी अपने अनुमोदन को कभी भी बदल सकते हैं, तो प्रभावशाली नेताओं को फिर से रु. 7400 करोड़ की घूस देनी होगी | इस तरह कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो जायेगा | इस प्रकार प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) पैसों से प्रभावित नहीं की जा सकती है |

5 साल में एक बार आने वाले चुनाव में मतदाताओं को खरीदना संभव हो सकता है, लेकिन प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) कानून के अनुसार, मतदाता अपनी स्वीकृति / अनुमोदन किसी भी दिन बदल सकते हैं, और इसलिए पैसों से खरीदना असफल हो जायेगा क्योंकि कोई भी लाखों और करोड़ों

नागरिकों को खरीदने तथा उनको काबू करने में उपयोगी इतने अपराधियों को पैसा देने की क्षमता नहीं रखता है |

1974 में, जब सिर्फ कुछ 1000 छात्रों ने सड़कों पर आकर गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल से इस्तीफे की मांग की थी, तो चिमनभाई पटेल ने हर प्रकार से अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया था परन्तु असफल हो गए थे क्योंकि आवश्यक पैसा और व्यस्था का प्रबंध करना संभव नहीं था| यहां तक कि ताकतवर इंदिरा गांधी ने देखा की तीन लाख से ज्यादा छात्र कैदी जेल में भर गए हैं और जेल टूटने का खतरा बन गया है | उदाहरण के रूप में नंदीग्राम में, बुद्धदेव भट्टाचार्य अपने सारे अपराधियों के बल के बावजूद, किसानों को भूमि बेचने के लिए मजबूर नहीं कर पाए | यह सिर्फ हकीकत है कि -- **किसी भी नेता में इतनी शक्ति और ताकत नहीं है की वो 2 % जनसंख्या के विरुद्ध भी कुछ कर पाए** |

**(6) क्या यह कानून असंवैधानिक है?**

यह कानून किसी रूप में असंवैधानिक नहीं है क्योंकि अगर जनता किसी दूसरे लोकपाल अध्यक्ष को समर्थन देती है तो मौजूदा लोकपाल अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए बाध्यकारी/जरूरी नहीं है परन्तु कोई भी, जनता के इतने भारी दबाव का विरोध नहीं कर सकता | इसीलिए यह कानून संविधान के किसी कानून के खिलाफ नहीं जाता है |

अगर आपको लगता है की प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) असंवैधानिक है, तो प्रजा अधीन राजा-लोकपाल (राईट टू रिकाल-लोकपाल) या अन्य राईट टू रिकाल का क़ानून-ड्राफ्ट की कौन सी धारा आपकी राय में संविधान के कौन से अनुच्छेद के खिलाफ है, बताएं ?

**(7) क्या लोकपाल अध्यक्ष या राईट टू रिकाल प्रक्रिया से आम-नागरिकों द्वारा बदला जा सकने वाला जनता का नौकर हर हफ्ते बदल दिया जायेगा ?**

जी नहीं, हर सप्ताह लोकपाल अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा | कई कंपनियों में, मालिकों के लिए कर्मचारियों को निकालने की शक्ति होती है - इसका मतलब यह नहीं की वह मालिक हर दिन कर्मचारियों को निकालता है | इसके बजाय अधिकांश मालिक स्थिर कर्मचारियों को चाहते हैं जब कर्मचारी जानबूझकर भयानक नुकसान करते है तभी उन्हें निकाल दिया जाता है | जनता इस प्रक्रिया/तरीके को कमपसंद लोकपाल अध्यक्ष या एक ऐसा लोकपाल अध्यक्ष जिससे अनजाने में भूल हो गयी हो - उसे निकालने के लिए नहीं प्रयोग करेगी |

वे इसे केवल तब उपयोग करेंगे जब उन्हें लगेगा कि लोकपाल अध्यक्ष पूर्ण-भ्रष्ट और देश-विरोधी नागरिक है और वे 3 रुपए देने को तैयार हो जाएँगे | इस प्रकार , जनता का भ्रष्ट को बदलना तभी हो सकता है जब जनता में उस व्यक्ति के प्रति तीव्र घृणा हो और उस व्यक्ति ने जनता के खिलाफ बहुत बड़ी

धोखाधडी की हो, न की छोटी-मोती भूल चुक से | साथ ही गरीबों के लिए यह शुल्क 1 रुपया होगा |

अमेरिका में 20 राज्यों में राज्यपालों के लिए जनता द्वारा हटाने की प्रक्रिया है | उन राज्यों में पिछले 100 वर्षों में 20 * 100/4 = लगभग 500 राज्यपाल देखे होंगे | उनमें से कितनो को हटाने के लिए चुनाव का सामना करना पड़ा?

केवल तीन | और कितने राज्यपाल वास्तव में हटाये गये? केवल एक ही है | इस तरह का तंत्र कोई अस्थिरता नहीं बनाता है | लेकिन अमेरिका के सब राज्यपाल पर एक अव्यक्त खतरा है जो देश के शीर्ष पद धारकों के इमानदार होने का एक महत्वपूर्ण कारण है |

प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) द्वारा देश के आम-नागरिकों को मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री पर विशाल शक्ति प्राप्त होती है | अब तक, हमने जनाधार प्राप्त अधिकारियों/बाबूओं को देखा है लेकिन उनमें से कोई भी जनता के दबाव में नहीं रहा है | बदलाव की प्रक्रिया लोकपाल पर एक जन-दबाव बनाएगी | आज के रूप में सभी बाबू जानते हैं कि वे 5 साल तक , नौकरी से निकाले नहीं जा सकते हैं और इस तरह वह नागरिकों को मनमाने ढंग से रखते हैं | लेकिन इस प्रक्रिया के साथ, वह नौकरी से हटाये जाने के भय से आज के बाबूओं की तुलना में बेहतर बर्ताव करेंगे |

**(8) क्या प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) पश्चिम से अपनाया गया कानून है ?**

नहीं |

अथर्ववेद में प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) लिखा है | अथर्ववेद का यह कहना है कि नागरिकों की जनसभा, अगर चाहे तो राजा को हटा सकती हैं | सत्यार्थ प्रकाश के अध्याय-6 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने राज धर्म का अर्थ किया है, और पहले 5 श्लोकों में ही, महर्षि कहते हैं - राजा को "प्रजा-अधीन" होना चाहिए | और अगले ही श्लोक में महर्षि का कहना है कि यदि राजा प्रजा-अधीन नहीं है, तो ऐसा राजा राष्ट्र और प्रजा को वैसे ही अन्यायपूर्ण तरीके से डंडा और जुर्माना डालेगा और खा जायेगा जैसे कि एक मांसाहारी जानवर जंगल के अन्य जानवरों को खा जाता है | महर्षि सरस्वतीजी ने दोनों श्लोकों को अथर्ववेद से लिया है | और कृपया ध्यान दें - यहाँ "राजा" शब्द अर्थात सरकारी राज-कर्मचारी है जो पटवारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क सभी शामिल होते हैं और जो देश की व्यवस्था ठीक रखने के लिए रखे जाते हैं , नागरिकों द्वारा | सरकार के सभी कर्मचारियों को प्रजा-अधीन रहना चाहिये, नहीं तो वे नागरिकों को लूटते चले जायेंगे | भारत में ज्यादातर बुद्धिजीवियों ने अथर्ववेद और सत्यार्थ प्रकाश के ठीक उलटी बात पर जोर दिया है |

ज्यादातर बुद्धिजीवियों का कहना है कि राजा और राज-कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारियों को प्रजा-अधीन नहीं होन चाहिए, बल्कि केवल संविधान के अधीन यानी सिर्फ संविधान पर ही निर्भर होना चाहिए | यह संविधान के अधीन की पूरी व्यवस्था / अवधारणा फर्जी है क्योंकि `संविधान के अधीन` राजा और `संविधान के अधीन` मंत्री, अधिकारी, पुलिसकर्मी और जज जब चाहे अपनी इच्छा से संविधान के अर्थ

को मोम की तरह मरोड़ सकते है |

**(9) पहले राईट टू रिकाल को अपने संगठन जैसे की भारत स्वाभिमान में लागू करके देखना चाहिए उसके बाद ही इसका सच्चा स्वरुप सामने आ पायेगा |**

मुझे कोई रूचि नहीं है (राईट टू रिकाल) प्रजा अधीन राजा/शाशक (आर .टी .आर) लगाने की, कोई भी गैर सरकारी संस्था पर | क्यों ? हर नागरिक के पास समान अधिकार होते हैं सरकार पर | लेकिन एक संगठन में हर सदस्य के पास समान अधिकार नहीं होते | उदाहरण के तौर पर मैं भारत स्वाभिमान न्यास में स्वामी रामदेव जी या कोई वरिष्ट सदस्य जितने अधिकार नहीं रख सकता या रिलायंस में एक कर्मचारी के मुकेश अम्बानी जितने अधिकार नहीं हो सकते | हमारे पास राष्ट्र में समानता होनी चाहिए लेकिन संगठन के अंदर ये आवश्यक नहीं है | मैं राईट टू रिकाल को भारत स्वाभिमान न्यास में होने का विरोध नहीं करता लेकिन मैं उसकी मांग भी नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है `भारत स्वाभिमान न्यास या कोई संगठन में आर.टी.आर.की मांग` करने के लिए क्योंकि मेरी भूमिका संगठन को बनाने में ना के बारबार है वरिष्ट सदस्यों के मुकाबले |

**(10) (i) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) केवल शिक्षित वर्ग के साथ काम करता है लेकिन अधिक जनसंख्या गांव में रहती है | शिकायत दर्ज करने के लिए सैंकडों किलोमीटर जाना होगा पटवारी/तहसीलदार/ कलेक्टर के दफ्तर के लिए | ये दफ्तर दलाल और गुंडों का अड्डा है | एक बेचारा दूर-दराज इलाकों में अपनी शक्ति, समय,पैसा खर्च करेगा और फिर इन अनैतिक लोगों का आसान शिकार होगा |**
**(ii) इससे लालफीताशाही, अफसरशाही और उच्चवर्ग-वाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा?**

(i) बाद में कोई भी व्यक्ति प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) की शिकायत किसी भी कलेक्टर के दफ्तर, किसी भी तहसीलदार के दफ्तर, किसी भी मैजिस्ट्रेट की कचेहरी, कोई भी उप-रजिस्ट्रार(उप-पंजीयक) के दफ्तर से कर सकता है |

---

मैंने एक मोटा अनुमान लगाया है फल-भारत का क्षेत्र :32,87,590 वर्ग किलोमीटर है यदि इसको | 2,65,000 ग्राम पंचायतों से भाग कर दें फल-तो सामान्य क्षेत्र ,12.5 वर्ग किलोमीटर है जो ,3.5 किलोमीटर का वर्ग है जो कुछ , कोने में होगा , तो सबसे दूर रहने वाला व्यक्ति ,लेखपाल का दफ्तर केन्द्र में है / यदि पटवारी | 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा इस तरह पटवारी का दफ्तर |3-5 किलोमीटर की दूरी पर होता हैज्यादातर , | मामलों में

(ii) यहाँ कोई लाल फीता-शाही नहीं है क्योंकि अफसरों को कोई स्वनिर्णयगत (अपना खुद का स्वतंत्र निर्णय लेने की ) शक्ति नहीं होगी `ना` बोलने के लिए | और मानें कि कोई अपनी शिकायत एक जिले

में नहीं दर्ज कर सकता हो , तो वो अपने मित्र को बोल सकता है शिकायत दर्ज करने के लिए भारत के 700 जिलों में से कोई भी एक में |

प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) में आवश्यक है कि व्यक्ति जो शिकायत रख रहा है, उसके अंगुली के छाप और फोटो भी लिया जायें | कोई भी दफ्तर जिसमें राजपत्रित अधिकारी (स्टैम्प मारने वाला अधिकारी) हो या अधिकारी व्यक्तियों को सत्यापित करने (जाँच द्वारा सही ठहराना) के लिए अधिकृत हो प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) के आवेदन ले सकता है |

**(11) प्रधानमन्त्री ये इस कानून को पारित नहीं कर सकते केवल किसी भी कानून के बिना, अधिसूचना द्वारा | यदि यह किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है तो क्यों कोई आगामी प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री इसे दूर नहीं होगा एक नई अधिसूचना या हस्ताक्षर से यह संशोधन नहीं करेगा (बदल नहीं सकता) ?**

**आप एक मसौदा (क़ानून-ड्राफ्ट) कैसे लागू करोगे जब 90% सांसद भ्रष्ट हैं? क्या सांसद सार्वजनिक हित के किसी भी क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री को नहीं हटाएंगे?**

प्रधानमंत्री और 2-8 शीर्ष नेता दलबदल विरोधी कानून का उपयोग करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर किसी भी कानून को बदल सकते हैं और कोई सांसद विरोध नहीं करेगा | उदाहरण के लिए, 2009-चुनाव के ठीक पहले सांसदों को प्रधानमंत्री और शीर्ष नेताओं ने मजबूर किया था एक दिन में 12 कानून पारित करने के लिए ! और प्रधानमंत्री (मंत्रिमंडल) को आपातकाल की घोषणा करने और हर क़ानून और पूरे संविधान को बाजू रखने की सत्ता है | ये एक बार हुआ और फिर से हो सकता है |

अंत में एक कानून के मसौदे (ड्राफ्ट) को समर्थन मिलता है या नहीं इसपर निर्भर करता है कि क्या लोग इसे उपयोगी पाते हैं ? यदि लोग कोई क़ानून को बहुत उपयोगी पाते हैं, तब प्रधान मंत्री को उस कानून का ड्राफ्ट (मसौदा) रद्द करने की क्या कीमत क्या है का अहसास होगा- नागरिकों द्वारा हिंसक कार्रवाई करने के लिए खुला निमंत्रण |

ये ही कारण है कि मैं प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) को लागू करने के लिए आंदोलन चाहता हूँ | यदि कोई कानून नागरिकों द्वारा आंदोलन के माध्यम से आता है, तो और अधिक मुश्किल होगा कोई प्रधानमंत्री को रद्द करने के लिए |

कुछ सरकारी अधिसूचना मंत्रिमंडल द्वारा पारित के लिंक -

1) http://ssa |nic |in/national-mission/government-of-india-notification/notification-f-2-4-2000-ee-3-dated-january-19-2005/

2) http://www |mit |gov |in/content/government-notifications-enabling-e-services

3) http://www |maharashtra |gov |in/english/webRing/pdf/gazette569 |pdf

प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) एक सरकारी अधिसूचना है | सरकारी अधिसूचना प्रधानमंत्री (मंत्रिमंडल) द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है सांसदों की मंजूरी के बिना | बाद में, सांसद उस सरकारी अधिसूचना और प्रधानमंत्री को निकालें ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं जन आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री को प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए | मैं चुनाव और चुनाव परिणामों पर निर्भर नहीं रहना चाहता , प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) को हस्ताक्षर करवाने के लिए |

**(12) शिकायत को दर्ज करने के लिए हमें अलग विभाग चाहिए | यह कलेक्टर के माध्यम से या उसके क्लर्क से या यहाँ तक कि पटवारी द्वारा नहीं किया जा सकता जो पहले ही उनपर काम का भोज ज्यादा है और जिनका काम (नौकरी विवरण) अलग है |**

एक बार प्रधानमंत्री (मंत्रिमंडल) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) पर हस्ताक्षर कर देता है , ये कार्य डीएम (कलेक्टर) और पटवारी के काम (नौकरी वर्णन) का हिस्सा बन जाएगा | शिकायत दर्ज करना खुद कलेक्टर द्वारा नहीं, उसकी क्लर्क द्वारा होगी | जिला स्तर पर सभी प्रत्यक्ष(सीधे) या परोक्ष (छुपे) रूप से विभाग डीएम के अंतर्गत आते हैं | अगर डीएम पर ज्यादा भोझ है, वह हमेशा तथाकथित "डीएम अतिरिक्त" या "सहायक डीएम" के लिए पूछ सकते हैं | और अंत में, काम कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या क्लर्क द्वारा किया जाएगा और वह और अधिक क्लर्क रख सकता है यदि उसे जरुरत है तो |

अब एक पन्ने के स्कैनिंग और अपलोड के लिए 5 मिनट लगते हैं | तो अगर वहाँ कोई भीड़ नहीं है, एक क्लर्क पर्याप्त है | यदि भीड़ अधिक है, तो एक घंटे में फिर क्लर्क 12 पृष्ठों का स्कैन और अपलोड कर सकता है, और एक दिन में, वह कुछ 100 पृष्ठों अपलोड कर सकता है | तो प्रति दिन एकत्र आमदनी (राजस्व) 2000 रुपये है | यह वेतन का भुगतान और सभी लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है | और धारा-2 के लिए, यदि पटवारी पर ज्यादा भार है, इस काम के लिए डीएम, पटवारी के कार्यालय में एक क्लर्क रख सकता है | तीन रुपये शुल्क क्लर्क का वेतन सहित सभी लागत को पूरा करेगा |

**(13) 40-50% लोग बाहर वोट करने के लिए नहीं आते हैं | तो, कैसे यह प्रणाली काम करेगी ?**

2004 में कुछ 60% लोगों ने वोट दिया | और 2009 में वोट का प्रतिशत लगभग समान था | और लोग इसी लिए वोट ज्यादा नहीं देते क्योंकि वे सभी जीतने योग्य प्रत्याशियों को एक समान देखते हैं-

या तो उतना ही अच्छे या उतने ही बुरे और वोटर के पास किसी भी दिन भ्रष्ट को बदलने का अधिकार नहीं है | इसीलिए वोटर की रूचि वोट डालने के लिए कम है |

और प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) में पद से निकालने की धमकी अकेले ही भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काफी है |

और ये भी एक तथ्य है कि सूची में 5-10% लोग या तो अपने चुनाव क्षेत्र से दूर होते हैं उस दिन, या मृत होते हैं, तो टी.सी.पी / आर.टी.आर. में क्योंकि किस भी दिन वोटर अनुमोदन दे सकता है , इसीलिए वोट का प्रतिशत 90 % तो हो सकता है |

और अनुमोदन करने का प्रतिशत इस पर भी निर्भर करेगा कि एफिडेविट लोगों के सीधा हित का है कि नहीं | उधाहरण, यदि कोई एफिडेविट डाले कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तो शायद ही कोई अनुमोदन देगा लेकिन यदि एफिडेविट में लिखा है कि नरेन्द्र मोदी (या कोई अच्छा काम करने वाले नेता) को प्रधानमंत्री बनाओ, तो अनुमोदन की संख्या करोडों होंगी |

**(14) आम आदमी किसी को हटाने और रखने के लिए निर्णय नहीं कर सकता, केवल जिनके पास कानून का ज्ञान है, वो फैसला कर सकते हैं |**

**अधिकारियों / बाबुओं (नौकरशाहों) के काम (प्रदर्शन) का अंदाजा (मूल्यांकन) कौन करेगा जब 80 करोड़ से अधिक व्यक्ति 20 रुपये प्रतिदिन पर जीवित हैं ? उन्हें इस प्रदर्शन के अंदाजा (मूल्यांकन) के काम करने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं?**

**क्या तरीके (प्रक्रिया) और स्तर (मानक) आप नोडल अधिकारियों, बाबूओं (नौकरशाहों) आदि के प्रदर्शन का अंदाजा (मूल्यांकन) के लिए प्रस्ताव करते हैं ?**

आम आदमी की परिभाषा है वो व्यक्ति जिसके पास कोई राजनैतिक सम्बन्ध नहीं हैं और प्रायः गरीब होता है या मध्य-वर्गीय होता है और जो 95% या अधिक भारतीय होते हैं | हर आम आदमी को जानकारी है कि कौन सा नेता भ्रष्ट है और अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है | केवल उसके पास अधिकार/सत्ता नहीं है अपने निर्णय देने के लिए | क्या आप सोचेते हैं कि आम आदमी के पास इतना कम बौद्धिक स्तर है कि वे यह नहीं जान सकते कौन भ्रष्ट है ?

आम लोगों को पता है कि उनके पुलिस-कमिश्नर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राशन अधिकारी आदि भ्रष्ट हैं या नहीं | वे व्यावहार की बुद्धि से जायेंगे, उदाहरण से यदि उन्हें मिट्टी का तेल 9.5 लीटर मिलता है 10 लीटर के बजाय, वे शायद बर्दाश्त करेंगे | लेकिन अगर राशन 9 लीटर से नीचे चला जाता है, जिला राशन अधिकारी बदल दिया जाएगा | दूसरे शब्दों में, रोज के अनुभव के आधार पर आम-नागरिक बहुत अच्छे से निर्णय कर पाएंगे कि उनके अधिकारी कितना अच्छा या बुरा कर रहे हैं |

प्रस्तावित प्रक्रिया/तरीके में जिला शिक्षा अधिकारी आदि को बदलने के लिए, हर नागरिक अपना स्तर (मानक) प्रयोग करता है और बहुमत के सामान्य बुद्धि (विवेक) के आधार पर बदलने का फैसला किया जाता है | प्रस्तावित बदलने कि प्रक्रिया की लागत, टैक्स देने वालों पर शून्य आती है | यह प्रशासन में

कोई अस्थिरता का कारण नहीं बनता है | बदलने/पद से हटने का डर काम/प्रदर्शन में सुधार लाएगा और भ्रष्टाचार कम हो जाएगा |

**(15) क्या यह एक जनमत संग्रह है ?**

यह जनमत संग्रह नहीं है क्योंकि एक जनमत संग्रह में एक बार वोट या अनुमोदन डालने पर व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता | इसके अलावा, यहाँ एक व्यक्ति पांच प्रत्याशियों को अनुमोदन दे सकता है | इससे मतदाताओं को खरीदने की संभावना समाप्त हो जाती है | पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली इन्हें कारणों से जनमत-संग्रह से कही ज्यादा श्रेष्ट है |

**(16) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) हम कैसे ला सकते हैं ?**

प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) बहुत आसानी से पारित कर सकते हैं `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली` (टी.सी.पी) सरकारी-आदेश द्वारा, उधम सिंह प्रेरित, कार्यकर्ता-संचालित, ड्राफ्ट आधारित (नेता-आधारित नहीं) आपातकाल-विरोधी तरीके के जन-आन्दोलन द्वारा | एक बार जन-आन्दोलन द्वारा आम-नागरिक, कार्यकर्ता मजबूर कर देते हैं प्रधानमंत्री को भारतीय राजपत्र में ये सरकारी आदेश डालने के लिए, तो अगले दिन कोई भी कलेक्टर के दफ्तर जाकर राईट टू रिकाल का ड्राफ्ट एफिडेविट दे सकता है ताकि वो प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर आये और जन-समूह के समर्थन और दबाव से राईट टू रिकाल आसानी से बहुत जल्दी आ जायेगा |

लेकिन `जनता की आवाज़` सरकारी-आदेश के बिना, सदियाँ लग जाएँगी , प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) पास करने में | दूसरे शब्दों में, समय `जनता की आवाज़` पारित करने के लिए यदि `स` है तो समय प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल)`जनता की आवाज़` द्वारा पारित करने के लिए `स+3` महीने हैं | जबकि प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) बिना `जनता की आवाज़` के पारित करने का समय (10*स) है | कारण कि प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) का ड्राफ्ट (मसौदा) 2-6 पन्ने लंबा है और अधिक समय लग जायेगा एक कार्यकर्ता को से दूसरे कार्यकर्ता से संवाद करने के लिए | जबकि `जनता की आवाज़` द्वारा एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से एक ही दिन में संपर्क कर सकता है |

**(17) हमारे पास जनता की शिकायतें को संभालने का सिस्टम (तंत्र) है और आखिर में कोर्ट है लेकिन असली समस्या नागरिकों में जागृति की कमी है |**

ये सोच / निदान बहुत गलत है | आप पीड़ित को दोषी ठहरा रहे हैं | आपका यह कहना कि "पीड़ित में जागृति नहीं है और इसीलिए समस्याएं हैं |" यह कहना तो ऐसा कहना होगा की यदि

महिलाओं का बलात्कार हो और उसका कारण महिलाओं में जागृति की कमी है और इसीलिए महिलाएं दोषी हैं | मैं पूरी ताकत से "पीड़ित दोषी है" के तर्क का विरोध करता हूँ | अदालतों की नाकामी का कारण जजों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जजों में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद है |

हमने देखा था कि सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज, खरे ने बच्चों का यौन शोषण करने के दोषी पाने वालों को जमानत दे दी, जिससे वे भारत से भाग गए थे | और हमने ये देखा था कि प्रधान-जज अहमदी ने भोपाल मामलों में आरोपित के विरुद्ध आरोप कम कर दिया था | ये मामले जागृति के कमी के कारण नहीं है लेकिन केवल माननीय सुप्रीम-कोर्ट के जजों में व्याप्त भ्रष्टाचार है | और जज बिना रोक-टोक से रिश्वत लेते हैं क्योंकि हम आम-नागरिकों के पास जजों को निकालने की प्रक्रिया नहीं है और हम नागरिकों के पास जजों को बहुमत वोट का उपयोग कर मृत्यु दण्ड देने की प्रक्रिया नहीं है |

मैंने 100% संवैधानिक, मान्य तरीकों का प्रस्ताव किया है जिसके प्रयोग से हम आम-नागरिक (भ्रष्ट) मंत्रियों, बाबू, पोलिस-कर्मी, जजों को निकाल सकते हैं, बंदी बनाना या (भ्रष्ट को) मृयु-दण्ड भी देना बहुमत वोट का उपगोग करके | `जनता की आवज़` एक सरल साधन है ये तरीके/प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए | वही `जनता की आवाज` की शक्ति है | `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) एक साधन है अनेक क़ानून लागू करने के लिए |

**(18) कौन ये अनेक मुद्दे, शिकायत आदि आम जनता तक पहुँचायेगा और इसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी?**

जो पहुँचाना चाहते हैं पहुंचाएंगे | उदाहरण के लिए, जब कोई चुनाव लड़ता है, तब ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कि लोगों को उसके घोषणा पात्र मिल जाये उसपर है, सरकार पर नहीं | और कोई बात फैलेगी कि नहीं निर्भर करती है कि एफिडेविट में वो बात आम-नागरिकों के हित की है कि नहीं | जैसे `सेना और नागरिकों के लिए खनिज आमदनी` का ड्राफ्ट बहुत तेजी से फैलेगा मूंह-जुबानी, पर्चे, विज्ञापन आदि द्वारा क्योंकि इससे उनको उनके हक का महीने का 400-500 रूपया मिलेगा | इसलिए ये एफिडेविट बहुत कम प्रचार और बहुत कम खर्चे से, आसानी से फ़ैल जायेगी |

**(19) शब्द "कर सकता है या करने की जरूरत नहीं है" का मतलब क्या है ? "प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं " का क्या मतलब है ?**
**इतना प्रयास करने का कोई अर्थ / मतलब नहीं है जब ये क़ानून बाध्य / बंधनकर्ता नहीं है |**

यदि 50 करोड़ नागरिक हाँ दर्ज करते हैं क़ानून-ड्राफ्ट पर, और प्रधानमंत्री उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्णय लेता है और पद छोड़ने का निर्णय नहीं लेता है, तो वो अंतिम प्रधानमंत्री होगा जो ऐसा निर्णय लेता है | इसके परिणाम में होने वाली घटनाएं पक्का करेंगे कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री

नागरिकों की अवहेलना/नजरंदाज नहीं करेगा |

उदाहरण से,1650 में अंग्रेज राजा ने वहाँ की सांसद की अवहेलना की थी जो नागरिकों की केवल 4% प्रतिशत का ही प्रतिनिधि था | बाद में जो घटनाएं हुईं, उसके कारण यूनाइटेड किंगडम में कोई भी राजा ने तब से सांसद की अवहेलना नहीं किया है |

शब्द "कर सकता है " ये पक्का करता है कि ये धाराएं संविधान के अनुसार मान्य हैं या नहीं, ऐसी कोई शंका नहीं रहे !! इससे ये पक्का हो जायेगा कि संविधान के भगत-पूजारी, जो ये दावा करते हैं कि प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट संविधान के खिलाफ है, उनको आसानी से चुप रहने के लिए बोला जा सकेगा | नहीं तो, ये शब्द "37 करोड़" परमाणु बम से भी ज्यादी शक्ति रखते हैं |

असल में, हम ने एक तरीका निकाला है भारत में लोकतंत्र का स्तर बढ़ाने का, बिना कोई क़ानून में बदलाव किये और बिना संबिधान बदले | और वो तरीका है, कि धारा के शब्द इस तरह रखना कि " यदि 37 करोड़ मतदाता स्वीकृत / पसंद / अनुमोदन करते हैं, तब अधिकारी कर सकता है या उसे करने की जरुरत नहीं है ....." | 1977 के आपातकाल-विरोधी जन-आन्दोलन में कुछ करोड़ नागरिकों ने मजबूर किया था इंदिरा गाँधी को आपातकाल समाप्त करने के लिए और कुछ करोड़ आम-नागरिकों ने मजबूर किया था अंग्रेजों को भारत देश से भागने के लिए |

अरे, यदि 37 करोड़ मतदाता स्वीकृति देते हैं, तो अधिकारी, जिसको धारा में निर्देश दिया गया है, निर्देश का पालन करेगा या फिर अगला अधिकारी, जो मरे हुए अधिकारी के जगह आएगा, निर्देश का पालन करेगा | मैं इस बात की चिंता नहीं करूँगा कि अधिकारी जैसे प्रधानंमंत्री 37 करोड़ नागरिकों की बात मानेगा कि नहीं | मैं अधिकारी को इसकी चिंता करने दूँगा | कुल मिलाकर, ये संभावना कि सांसद या प्रधानमंत्री" कर सकते हैं " शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 37 करोड़ नागरिकों के इच्छा के खिलाफ, केवल जानकारी के लिए है |

कुछ लोग `प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते है ` को प्रधानमन्त्री पर दबाव बनने के लिए तरीका के रूप में देख सकते हैं |

## (20) उन मुद्दों / विषयों के बारे में क्या, जिसमें लोगों के हित और राष्ट्र के हित आपस में टकराते हैं ?

मुझे एक भी ऐसे काप्ल्पनिक (सोचा हुआ)` क़ानून-ड्राफ्ट नहीं मिला जो लोग, बड़े पैमाने पर समर्थन करेंगे और जो लोगों के हित के विरुद्ध जाता हो | क्या आप एक ऐसा क़ानून-ड्राफ्ट बता सकते हैं , जो आप सोचते हैं कि जिस पर 51% `हां` दर्ज करेंगे और जो राष्ट्र के हित के खिलाफ जाता हो ? नागरिक अधिकारियों को कम वेतन क्यों देंगे ? यदि ऐसा है, तो कितने मालिक, कर्मचारियों को कुछ भी वेतन नहीं देंगे ? क्यों नहीं ? क्योंकि हर मालिक को मालूम है कि कोई भी कर्मचारी मार्केट के भाव से कम पर काम नहीं करेगा | यदि जिले या राज्य का कोई मुद्दा, कानून राज्य के हित के खिलाफ जाता है, तो देश के नागरिकों का बहुमत `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली`के द्वारा उस कानून या मुद्दा को हटा सकते हैं |

**(21) आप भूल रहे हैं कि अमेरिका के लोगों के पास ज्यादा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और दूसरी मूलभूत / बुनियादी व्यवस्थाएँ हैं | उनकी इन्टरनेट, फोन , घर और भोजन तक पहुँच हमारे से अधिक है | अमेरिका के लोगों को रिश्वत या चाय-पानी देकर उनके वोट लेना संभव नहीं है क्योंकि वे यहाँ के लोगों से भिन्न बहुत जागृत/सचेत और बहुत विकसित हैं |**

ये एक बहुत ही बिना मतलब का प्रश्न है, जो कई बार पूछा गया है | अमेरिका में अधिकारी को बदलने के प्रक्रिया / तरीके 1760 के दशक से हैं, जब 5% से कम अमेरिका के लोग पढ़े-लिखे थे | ज्यादातर अमेरिका के राज्यों में, 1900 के दशक तक भी, वहाँ के लोग बहुत कम पढ़े-लिखे थे और उनमें बहुत कम जागरूकता थी | बदलने का अधिकार (राईट टू रिकाल) बहुत ही सरल नियमों पर चलता है - नागरिक छोटी-मोटी कमियों को बर्दाश्त कर लेते है (जैसे पोलिस-प्रधान कोई जुआ-खाने से कोई रिश्वत लेता है ) और बड़े अपराध के खिलाफ पूरी तरह हो जाते हैं ( जैसे पोलिस का प्रधान / अध्यक्ष कोई पेशेवर मुजरिम का समर्थन करता है ) और इसीलिए बहुत कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद, भूतकाल में, बदलने के अधिकार ने ये सुनिश्चित किया कि पोलिस के अध्यक्ष में, अमेरिका के इतिहास में, बहुत ही कम भ्रष्टाचार रहा |

अमेरिका में प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल; भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने/निकालने का अधिकार) 1760 के दशक से है | और अमेरिका में अधिक शिक्षा आदि इसीलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार 1760 के दशक से कम है और भ्रष्टाचार कम `प्रजा अधीन राजा` और जूरी प्रणाली के कारण है | और जहां पर `प्रजा अधीन राजा` नहीं है, अमेरिका में वहाँ पर रिश्वत बहुत है, उदाहरण से अमेरिका में प्रजा अधीन-राजा सभासद (सेनेटर) पर नहीं है और इसीलिए सभासद अमेरिका में भ्रष्ट हैं |

नागरिक कोई प्रधानमंत्री के लिए विकाल्प(दूसरे) उम्मीदवार को तभी स्वीकृति देंगे जब-
1. वर्त्तमान प्रधानमंत्री एक-दम निकम्मा है (जैसे मनमोहन सिंह, मायावती आदि)
2. विकल्प (दूसरा व्यक्ति) बहुत ज्यादा अच्छा है |

और अधिकतर लोग उस व्यक्ति को स्वीकृति / अनुमोदन देंगे जिसने जिले / राज्य स्तर पर अपने आप को सिद्ध किया है |

**(22) पटवारी के दफ्तर जाकर शिकायत करने का शुल्क / फीस , रु 3 से कैसे सब वेतन और चलने का खर्चा पूरा होगा ? `राईट टू रिकाल ` प्रक्रियाओं / तरीकों की लागत क्या है ?**

मैं दिखा सकता हूँ कि क्लर्क का वेतन, कंप्यूटर, सर्वर, बैंडविड्थ आदि की लागत सभी पूरा हो जायेगा | एक क्लर्क एक दिन में 200-300 `हां`/`ना` दर्ज कर सकता है | इसीलिए उससे 600-900 रुपये मिलेंगे | एक क्लर्क का रोज का वेतन 150 से 300 रुपये होता है | सर्वर 100 एम.बी (M.B) के

लिए मुफ्त मिलते हैं और 200 जी.बी. (G.B) के लिए 1000 रुपये हर महीने के शुल्क में मिलते हैं | एक कंप्यूटर 25000 रुपयों में आता है , ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ , जिसका खर्च कुछ ही दिनों में निकल आएगी | तो शुरुवाती लागत कम है, और जैसे `हां`/`न` की संख्या बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, लेकिन रु. 3 के शुल्क से पूरी हो जायेगी |

सरकार पर लागत **शून्य** है | हां, शून्य | और हर व्यक्ति जिसको बदलाव चाहिय , उसको रु.3 शुल्क देनाहोगा और जब `सुरक्षित एस.एम.एस` सिस्टम आ जायेगा ( जो बड़ी आसानी से कभी भी आ सकता , यदि ट्राई ऐसा आदेश करे ), तो लागत एक पैसा प्रति नागरिक से भी काम हो जायेगी !!
और `राईट टू रिकाल ` के तरीकों/प्रोसदुरे का खर्चा कितना आएगा ? रु. 200 करोड़ बिना `सुरक्षित एस.एम.एस` सिस्टम के और केवल रु.3 करोड़, जब `सुरक्षित एस.एम.एस` सिस्टम आ जायेगा | क्या ये आप के विचार से बहुत ज्यादा है ?

आप क्या ये समर्थन करते हैं कि लोगों को कोर्ट में मामला दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए ? देखिये, कोर्ट में मामला दर्ज कराना 100 गुना ज्यादा महंगा है, उस प्रक्रिया/तरीका से जो मैंने बताया है शिकायतों को पारदर्शी तरीके से दर्ज कराने के लिए | तो यदि आप की राय में ये प्रस्तावित प्रक्रिया महँगी है, तो कोर्ट भी महंगे हैं | तो क्या आप की राय में लोगों को कोर्ट में भी केस डालने से रोक देना चाहिए ? लेकिन यदि आप कोर्ट में मामला दर्ज कराने के प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, जो पटवारी के दफ्तर में `हां`/`ना` दर्ज करने से कहीं ज्यादा महंगा है, तो आप क्यों आम-नागरिकों को पटवारी/लेखपाल के दफ्तर पर `हां`/`ना` दर्ज करने के प्रक्रिया का विरोध करते हैं ?

**(23) (i) यदि शिकायत में अपमान करने वाले शब्द हैं तो फिर क्या ?**
**(ii) यदि शिकायतकर्ता शिकायत को साबित करने में असफल हो जाता है, तो क्या उसपर मानहानी का आरोप लगाया जा सकता है ?**

(i) किसी भी तरह की एफिडेविट डाली जा सकती है और यदि शिकायत में अपमान करने वाले शब्द लिखे हैं, तो डालने वाले पर केस (मामला) कर दिया जाएगा और एफिडेविट निकाल दी जायेगी | कोई भी क़ानून की अदालत एफिडेविट को हटाने का आदेश दे सकती है | और बाद में, ऐसे क़ानून जोड़े जा सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति, जिसने आपमान के शब्द वाला एफिडेविट डाला है, उसके एफिडेविट डालने का अधिकार कई सालों तक सस्पैंड / निलंबित किये जा सकते हैं | बिलकुल वैसे ही जैसे , मीडिया (समाचार पत्र, टी.वी. वाले) कुछ भी छाप सकते है, और वो जिम्मेदार हैं कि क्या छापते हैं | लेकिन सामान्य तौर पर कोई भी मीडिया वालों को छापने से नहीं रोक सकते हैं , कार्य किये जाने से पहले |
(ii) कोई भी शिकायतकर्ता कलेक्टर के दफ्तर में जाकर एफिडेविट में अपने ऊपर पब्लिक में नार्को जांच करवाने की मांग कर सकता है ( देखें चैप्टर 27, www.righttorecall.info/301.h.pdf ) | इससे साबित हो सकता है कि शिकायतकर्ता सच बोल रहा है या झूठ और सच्चे शिकायतकर्ता पर मानहानी का मुकद्दमा नहीं होगी

**(24) शिकायत / प्रस्ताव की जानकारी कैसे फैलेगी और इसके लिए कितना समय लगेगा ?**

ये सब शिकायत / प्रस्ताव पर निर्भर करता है कि आम आदमी और जन-समूह के लिए शिकायत / प्रस्ताव कितना फायदे का है | एक शिकायत, जो लाखों लोगों की है, जैसे रामलीला मैदान पर सोते हुए लोगों पर लाठी बरसाना, जून 4, 2011 को हुआ , यदि कोई दर्ज कर देता कलेक्टर के दफ्तर जाकर कि `पोलिस-कमिश्नर हो हटाना चाहिए ` आग की तरह फैलेगी और लाखों लोग उस शिकायत के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए पटवारी के दफ्तर जायेंगे | अभी इन्टरनेट केवल भारत के 4-5 % लोगों के पास ही है | मान लीजिए 5 करोड़ आम नागरिकों के पास इन्टरनेट है | इन 5 करोड़ लोगों में से कुछ 4 करोड़ , 90 लाख लोग ऐसे हैं , जो प्रधानमंत्री के सर्वर पर आम नागरिकों को 1% भी जगह देने के लिए विरोध करेंगे | लेकिन इन में से ,कुछ 10 लाख लोग आम नागरिकों की परवाह जरूर करते हैं |

तो जब ये 10 लाख खुशाल/समृद्ध लोग, जिनके पास इन्टरनेट है, एक जन-हित का एफिडेविट इन्टरनेट पर देखेंगे, तो वे इसे फैलाने का प्रयत्न करेंगे पर्चों, समाचार-पत्र प्रचार या मुंह-जुबानी द्वारा ; और इस तरह ये जानकारी बाक़ी के आम नागरिकों तक पहुँच जायेगी |
इस तरह ये जानकारी केवल इन्टरनेट के प्रयोग करने वालों तक ही सीमित नहीं रहेगी | और यदि किसी के पास इन्टरनेट भी है तो, वो रोज के सैंकडों आने वाले एफिडेविट नहीं पढ़ सकता | इसीलिए आखिर में जानकारियां पर्चों, मुंह-जुबानी, प्रचार आदि साधनों से फैलेगी |

**(25) क्या भाषा शिकायत / प्रस्ताव को लाखों-करोड़ों लोगो तक फैलाने के लिए बाधक होगा ?**

ये भाषा का मुद्दा इस प्रस्ताव की कमी नहीं है | ये इसीलिए है क्योंकि भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं | और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आदि या कियो भी व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र हैं , एफिडेविट के सरकारी या अपना अनुवाद रखने के लिए ,और ऐसा करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है हरेक एफिडेविट के लिए, लेकिन जब कोई एफिडेविट को 1% से ज्यादा समर्थन मिलता है , तो वे ऐसा कर सकते हैं | और ये कोई क़ानून बनाने का सिस्टम नहीं है, जहाँ अनुवाद बहुत जरूरी है | ये केवल एक राय / मत इकट्ठा करने का सिस्टम है |

**(26) नागरिकों के पास अपनी स्वीकृति किसी भी दिन बदलने का अधिकार है, तो क्या नागरिक अपनी पसंद / स्वीकृति को रोज-रोज बदलेगा ?**

ये केवल आपका मानना है | मान लीजिए 10 करोड़ बिना शादी-शुदा के महिलाएं हैं, 18-45 साल के बीच में | एक पति को अधिकार है अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए और इन 10 करोड़ महिलाओं में से किसी से भी शादी करने के लिए | तो क्या पति अपने जीवन-साथी रोज-रोज बदलते हैं ? नहीं | एक व्यक्ति को अपनी नौकरी कोई भी दिन बदलने का अधिकार है | तो क्या वो नौकरी रोज-रोज बदलता है ?

**(27) आपका तरीका / प्रक्रिया मतदान को गुप्त रखना पक्का / सुनिश्चित नहीं करता - क्या इससे कोई मतदाताओं को गुंडों आदि लोगों द्वारा हानि नहीं हो सकती ?**

सबसे पहले, ये पारदर्शिता बढ़ाने वाले तरीके हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद जानकारी को देख सकता है और जांच सकता है, कभी भी और कहीं भी, ताकि वो जानकारी को दबाया न जा सके | लेकिन यदि किसी कारण, किसी को अपनी शिकायत या समर्थन गुप्त रूप में देना है ,तो अन्य विकल्प भी खुले रहेंगे | ये तरीका केवल एक विकल्प के रूप में आयेंगे और गुप्त तरीका भी उपलब्ध रहेगा |

और आजकल गुप्त क्या है ? आपका क्रेडिट-कार्ड की जानकारी / स्टेटमेंट सरकार के पास होती है | आपका खाते के लेन-देन / सौदों की जानकारी सरकार को पता है | जब आप पोलिस, कोर्ट में कोई शिकायत करते हैं, तो आप के नाम का खुलासा हो जाता है | जब ये सब जानकारी पब्लिक में आ जाने पर भी कुछ नहीं होता, तो फिर नागरिकों की स्वीकृति / पसंद का खुलासा करने से क्या हानि हो सकती है ?

कुछ स्थानीय स्तर के प्रस्तावित प्रक्रियाओं में, जैसे जिला पोलिस-कमिश्नर, आदि के बदलने के प्रक्रिया में गोपनीयता रखी गयी है | प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को नागरिकों द्वारा बदले जाने कि प्रक्रिया में कोई गोपनीयता नहीं है | मैंने एक गुप्त तरीका भी बनाया है लेकिन उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा | क्या गोपनीयता की कमी से प्रधानमंत्री को बदलने के लिए कोई नागरिकों कोई हानि होगी ? नहीं, कोई हानि नहीं होगी |

1. जो तरीका/प्रक्रिया मैंने प्रस्तावित किया है, उसमें व्यक्ति को तभी बदला जायेगा जब 24 करोड़ नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकृति देते हैं | और 24 करोड़ नागरिकों पर जबरदस्ती करने के लिए , 10 लाख की सेना और 15 लाख की पोलिस-फ़ोर्स भी कम पड़ेगी | इसीलिए किसी नेता को कुछ 50 लाख प्राइवेट गुंडों की जरुरत पड़ेगी 24 करोड़ नागरों पर जबरदस्ती करने के लिए | दुनिया में किसी के पास 5000 गुंडों की गैंग भी नहीं है | जब गंग इतनी बड़ी हो जाती है, तो उस गैंग के मालिक को आम-नागरिक-समर्थक होना पड़ता है, वो इतने सारे आम-नागरिक का विरोधी होना का खतरा नहीं ले सकता | यदि आपने ध्यान दिया हो, तो गुंडे हमेशा अमीर या कुछ नए-नवेले अमीरों को ही ठगने की कोशिश करते हैं और कुछ ही आम-नागरिकों पर अत्याचार करते हैं , गुंडे कभी भी पुराने(स्थापित)-अमीर या बहुत ज्यादा आम-नागरिकों पर अत्याचार नहीं करते ---क्योंकि ये ऐसा काम नहीं कर सकता | तो ये डर कि कोई एक करोड़ मतदातों पर जबरदस्ती कर सकता है, 24 करोड़ लोगों की बात को छोड़ दें , वास्तविकता से बहुत परे है |

2. नागरिक अपनी स्वीकृति किसी भी दिन डाल सकते हैं और रद्द कर सकते हैं | इसीलिए गैंग का नेता , इतने सारे गुंडों को पटवारी/लेखपाल के दफ्तर के आसपास, रोज-रोज नहीं रख सकता | चुनाव 5 सालों में एक बार आते हैं | इसीलिए कोई 2-5 गुंडे बूथ पर एक दिन के लिए रख सकता है , लेकिन गुंडों को रोज-रोज रखना संभव नहीं है | और इन तरीकों के बाद के रूपों/संस्करण में, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वीकृति पटवारी के दफ्तर, तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टर के दफ्तर ,पोस्ट-ऑफिस आदि पर दर्ज कर सकेगा | कोई भी गैंग का नेता इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह लोगों को किसी जगह जाने के लिए पूरे साल रोक सके |

3. जब नागरिकों को पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) और राईट टू रिकाल-जिला पोलिस-कमिश्नर (जो गुप्त है) को बदलने की प्रक्रिया मिलेगी मिलेगी, तब इन गुंडों को पोलिस और जजों की सुरक्षा, जो आज के समय मिलती है, मिलना बंद हो जायेगी, क्योंकि यदि पोलिस और जज गुंडों को सुरक्षा देंगे, तो नागरिक उनको निकाल/बदल सकते हैं | तो ये गुंडे इन जन-हित के तरीकों के आने के 3 महीनों के बाद बहुत कम हो जाएँगे |

4. और अंत में, कृपया ध्यान दें , कि ये सब क़ानून-ड्राफ्ट जो मैंने प्रस्ताव किये हैं, वे `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) द्वारा ही आएंगे | तो यदि लोगों को लगता है कि खुला अनुमोदन करना बुरा है, तब `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` ये सुनिश्चित करेगा कि गुप्त प्रक्रिया ही आएगी | दूसरे शब्दों में, मेरा कहना है कि ये `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) का क़ानून , दूसरे बुरे प्रस्तावों को आने से रोकेगा |

**(28) यदि पारदर्शी शिकायत प्रणाली और `राईट टू रिकाल` प्रक्रियाओं / तरीकों के लिए प्रयोग किये जाने वाली वेबसाइट हैक (चुरा) लिया जाये तो ?**

ये वेबसाइट सबसे ज्यादा सुरक्षित वेबसाइट होगा, किसी बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित | यदि हैक (चुराने / घुसपैठ करने) वाला इस वेबसाइट को चुरा सकता है, तो उसे करोड़ खातों को चुराना होगा और इस मामले में खतरा ज्यादा है और फायदा कम | इस तरह का चोर, कोई बैंक की वेबसाइट को चुराना पसंद करेगा, ना कि `पारर्शी शिकायत प्रणाली`/`राईट टू रिकाल` के लिए वेबसाइट क्योंकि बैंक की वेबसाइट में घुसपैठ करने (घुसने) में कम खतरा है पकड़े जाने का और फायदा कहीं ज्यादा है |

कृपया प्रक्रिया/तरीका देखें | घुसपैठ(हैक) करने वाला चोर कोड या कुछ और बदल देता है, तो ये वेबसाइट जो करोड़ों लोगों के द्वारा देखी जायेगी, को पता चल जायेगा, इन्टरनेट द्वारा (और बाद में एस.एम.एस, पस्स्बुक, अदि द्वारा) कि उनका अनुमोदन बदल दिया गया है | और अन्य लोगों को भी इतना ज्यादा बदलाव का पता लग जायेगा ,क्योंकि करोड़ों लोग इस बदलाव को देख पाएंगे | इसलिए घुसपैठिये के पकड़े जाने की बहुत संभावना है | इसी कारण घुसपैठिया कोई बैंक की वेबसाइट को घुसपैठ करना ज्यादा पसंद करेगा, जहाँ कम लोग उस साईट को देखते हैं और इसीलये पकड़े जाने की संभावना कम है और फायदा बहुत ज्यादा | और इसके बाद भी यदि घुसपैठिया अनुमोदन/स्वीकृति बदल देता है, उसके बाद भी नागरिक अपने अनुमोदन दुबारा बदल कर पहले जैसे कर सकते हैं , तो घुसपैठिये की सारी मेहनत बेकार जायेगी | कोई भी घुसपैठिया इतना मूर्ख नहीं है कि इस सुरक्षा धारा `कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी स्वीकृति बदल सकता है` के होते हुए कि वे घुसपैठ करे |

एक और बात, कि तीन-चार सर्वर पर आंकड़ों का रिकोर्ड/बैकअप लिया जायेगा , जब शिकायत कलेक्टर को दी जायेगा या पटवारी के दफ्तर पर `हा`/`ना` दर्ज होगा | केवल स्थानीय सर्वर पर राईट करने (लिखने) की सुविधा होगी और हर स्थनीय सर्वर का पासवर्ड होगा | स्थानीय सर्वर से जानकारी केन्द्रीय सर्वर और दूसरे सर्वर जायेगी लेकिन उसपर दोबारा राईट (लिखा) नहीं किया जा सकेगा, केवल रीड (पढ़ने) की सुविधा होगी |

इसीलिए घुसपैठिया निराश हो जायेगा, क्योंकि कोई भी आंकड़ों का नुकसान नहीं होगा यदि अच्छे से रिकोर्ड/बैकअप रखा जाये, जिसकी संभावना भी है |

==========

पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली में, शिकायत या कोई एफिडेविट कलेक्टर के दफ्तर में दर्ज की जाती है, शिकायतकर्ता के सामने और कुछ ही सैकंड में, इसकी कोपी कई सर्वर जैसे कलेक्टर के दफ्तर, मुख्यमंत्री के दफ्तर, प्रधानमंत्री के दफ्तर के सर्वरों आदि पर आ जाती है और कुछ ही मिनटों में, कई कोपियाँ गूगल, फेसबुक आदि के सर्वर पर आ जाएँगी |

अब, कोई सिस्टम का एडमिन या प्रधानमंत्री अपने सर्वर पर शिकायत की कोपी को डिलीट कर सकता है | लेकिन ऐसा करने से एक इस्तेमाल ना किया हुआ सीरियल नंबर रह जायेगा या सिस्टम एडमिन को शिकायतों की एक सीरियल नंबर एक से कम करना पड़ेगा या उसे डिलीट की गयी शिकायत को कुछ और से बदलना पड़ेगा | कुल मिलकर, प्रधानमंत्री का सर्वर दूसरे कलेक्टर, मुख्यमंत्री आदि के सर्वरों से मेल नहीं खायेगा |

इसीलिए, किसी को यदि कोई शिकायत को डिलीट या बदलने है और पकड़े जाने से बचना है, तो उसे बहुत सारे सर्वरों में बहुत सारा डाटा के साथ छेड़-छाड़ करना पड़ेगा | ऐसा करने का प्रयत्न करना और हजारों लोगों को नहीं पता चलना संभव नहीं है | यदि कोई ऐसा कर सकता है, तो वो सोचेगा कि इससे अच्छा होगा कि वो किसी बैंक के सर्वर के साथ छेड़-छाड़ करे |

==========

**अनुमोदन/स्वीकृत/पसंद दर्ज करना बैंक के लेन-देन से जयादा सुरक्षित है** : एक व्यक्ति पटवारी के दफ्तर पर खुद जायेगा शिकायत दर्ज करने के लिए और उसे एस.एम.एस. द्वारा पुष्टि(पक्का) भी हो जायेगी , क्रेडिट-कार्ड के प्रयोग के जैसे और मशीन उसका फोटो और अंगुली का छाप भी ले लेगी | ये जरूर है कि पहले ही दिन ये सभी सुविधाएं नहीं होंगी लेकिन कोई भी कलेक्टर इनको 3 से 6 महीनों में आसानी से लागू करवा सकता है, नहीं तो नागरिक उसको निकालने की मांग करेंगे | फोटो, अंगुली की छाप और एस.एम.एस. द्वारा पुष्टि से ये सिस्टम बैंक के लेन-देन से भी ज्यादा सुरक्षित है | यदि कोई इस सिस्टम में घुसपैठ कर सकता है, तो वो इसको नहीं, एक बैंक में घुसपैठ करेगा |

**(29) `राईट टू रिकाल` के प्रक्रियाओं/तरीकों में जैसे, राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री ,आदि, क्या नागरिक जाती के अनुसार अनुमोदन / स्वीकृति नहीं करेंगे ?**

ये झूठा प्रचार है कि आम आदमी जाती और धर्म के अनुसार वोट देता है, उदाहरण से मायावती को ब्राह्मण के वोट मिले थे |

दूसरा, एक जाती में कई उप-जातियां होती हैं | यदि कोई एक ही जाती या उप-जाती को

लुभाने/पटाने की कोशिश करेगा , तो उसको इतने वोट नहीं मिलेंगे कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि बने क्योंकि जाती/उप-जाती के संख्या इसके लिए काफी नहीं हैं | किसी भी उप-जाती की संख्या राज्य स्तर में भी 10% से अधिक नहीं है और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए 35% से अधिक अनुमोदन चाहिए | और दूसरी जातियां उसके लिए वोट नहीं करेंगी क्योंकि उस व्यक्ति पर एक खास जाती के समर्थक का छाप/लेबल लग जायेगी |

**(30) क्या ये प्रक्रियाएँ / तरीके मीडिया (अखबार,टी.वी आदि) द्वारा प्रभावित किये जा सकते हैं ?**

नहीं | क्योंकि इसमें एक सुरक्षा है कि ` कोई भी नागरिक कभी भी अपना अनुमोदन/स्वीकृति किसी भी दिन दर्ज कर सकता है या बदल सकता है, पटवारी के दफ्तर जा कर |`

ये प्रक्रियाएँ (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली, राईट टू रिकाल-दूरदर्शन अध्यक्ष, राईट टू रिकाल राष्ट्रिय समाचार पत्र, आदि) मीडिया के प्रभाव को समाप्त कर देंगी क्योंकि ये एक स्वयं में एक मीडिया बनेंगी, जो आम-नागरिकों द्वारा जाँची जा सकने वाली और कभी भी देखी जा सकने वाली जानकारी देंगी शिकायतों के बारे में, प्रधानमंत्री आदि के उम्मीदवारों के बारे में और उनके समर्थक के बारे में | आम-नागरिक लाखों लोगों द्वारा समर्थन की गयी, हर नागरिक द्वारा देखी जा सकने वाली जानकारी पर ज्यादा निर्भर करेंगे बजाय कि मीडिया रिपोर्ट पर |

और कोई भी मीडिया या गुंडों के लिए पैसे लगते हैं और उनका इस्तेमाल ज्यादा देर तक करना संभव नहीं है | जैसे ही उनका प्रभाव समाप्त हो जायेगा, कोई व्यक्ति उनके द्वारा पहले दबाया भी गया हो, तो अपना अनुमोदन अपनी इच्छा अनुसार बदल सकेगा और किसी अमीर व्यक्ति की मीडिया या गुंडों द्वारा प्रभावित करने का प्रयास बेकार जायेगा |

इसीलिए , ऐसा व्यर्थ प्रयत्न कोई करेगा नहीं, इस सुरक्षा धारा के होते हुए |

`राईट टू रिकाल-लोकपाल` या दूसरे `राईट टू रिकाल` की प्रक्रियाओं में, कोई भी नागरिक कभी अपना अनुमोदन किसी भी दिन दर्ज या बदल सकता है , पटवारी के दफ्तर जा कर |
तो फिर किसी को हर दिन गुंडे चाहिए होंगे | और 37 करोड़ लोगों को या 5 करोड़ लोगों से भी जबरदस्ती करने के लिए, लाखों गुंडों की जरूरत होगी | किसी के पास भी इतने गुंडे नै हैं , और कोई भी इतने गुंडे दिनों-दिनों या हफ़्तों-हफ़्तों के लिए नहीं रख सकता | यदि प्रधानमंत्री पूरी 15 लाख की पोलिस-फ़ोर्स भी इस्तेमाल करे, तो भी इतने सारे आम-नागरिकों को रोक नहीं सकती |

**(31) (i) क्या राईट टू रिकाल निचले पदों पर काम करेगा ?**

**(ii) हमें `राईट टू रिकाल` प्रक्रियाएँ क्यों चाहिए उन पदों पर जो नागरिक-मतदाताओं द्वारा नहीं चुने गए हैं जैसे लोकपाल, प्रधानमंत्री, भारत का रिसर्व-बैंक गवर्नर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पोलिस-कमिश्नर, सुप्रीम-कोर्ट का प्रधान जज , आदि |**

**(iii) हमें `राईट टू रिकल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालने/बदलने का अधिकार) प्रधानमंत्री,लोकपाल, जज आदि केन्द्रीय पदों पर क्यों चाहिए यदि हमारे पास `राईट टू रिकाल सांसदों ` के ऊपर है तो ? क्या हम सांसदों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, `राईट टू रिकाल-सांसद` के द्वारा , ताकि सांसद प्रधानमंत्री ,**

**लोकपाल, जज को मजबूर करें कि वे देश के नागरिकों के हित में काम करें ?**

(i) हमें `राईट टू रिकाल` सभी पदों पर चाहिए जिनके पास स्वतंत्र (खुद का) निर्णय लेने के अधिकार हैं और जिनके कम से कम एक लाख वोटर के ऊपर अधिकार है | निचले पदों के पास कम खुद का निर्णय लेने का अधिकार है और वो कम नागरिकों के ऊपर अधिकार रखते हैं | इसलिए निचले पदों के लिए, जूरी सिस्टम (क्रम-रहित तरीके से चुनाव करना जिला,राज्य आदि से जो फैसला देते हैं ) अधिक फायदे वाला है |

(ii) `राईट टू रिकाल` प्रक्रिया / तरीके का उद्देश्य उस अधिकारी को लोगों के प्रति, **सीधे** जवाबदार बनाना है | यदि अधिकारी कोई प्रबंधक / नियामक जैसे लोकपाल या उच्च-लोकपाल (लोकपाल के ऊपर अधिकारी) के प्रति जवाबदार है, तो विदेशी या कोई अन्य कम्पनियाँ, दोनों लोकपाल और उच्च-लोकपाल को खरीद सकता है क्योंकि वे बहुत कम संख्या में हैं लेकिन विदेशी कम्पनियाँ करोड़ों आम-नागरिकों को खरीद या प्रभावित नहीं कर सकतीं | इस तरह `राईट टू रिकाल` के प्रक्रियाओं से 99% मामलों में भ्रष्टाचार रुकेगा और अधिकारी अच्छे से बर्ताव करेंगे और 1% मामलों में, भ्रष्ट अधिकारी ईमानदार अधिकारी से बदल दिया जायेगा |

(iii) यदि केवल `राईट टू रिकाल-सांसद`(भ्रष्ट सांसदों को बदलने/निकालने का नागरिकों का अधिकार) है और `राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री नहीं है, तो नागरिक कैसे अपने क्षेत्र के सांसदों और देश के अन्य नागरिकों से संपर्क कैसे करेंगे और कैसे बताएँगे कि उनकी क्या पसंद है दूसरे प्रधानमंत्री के लिए , यदि वर्त्तमान प्रधानमंत्री देश के लोगों के हित में काम नहीं कर रहा है तो ? वे कैसे जिले के अन्य लोगों को बताएँगे कि उनको कौनसा सांसद पसंद है ?

इस कार्य के लिए उनको `राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री ` और `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) चाहिए आम-नागरिकों के लिए | और सांसदों के पास कोई अधिकार नहीं है लोकपाल या जजों को निकालने के लिए, जिससे वो वे उनपर देश के लोगों के हित में काम करने के लिए दबाव डाल सकें | इसीलिए राईट टू रिकाल-जज और राईट टू रिकाल-लोकपाल की जरुरत है |

यदि केवल `राईट टू रिकाल-सांसद`(भ्रष्ट सांसदों को बदलने/निकालने का नागरिकों का अधिकार) है और `राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री नहीं है, तो नागरिक कैसे अपने क्षेत्र के सांसदों और देश के अन्य नागरिकों से संपर्क कैसे करेंगे और कैसे बताएँगे कि उनकी क्या पसंद है दूसरे प्रधानमंत्री के लिए , यदि वर्त्तमान प्रधानमंत्री देश के लोगों के हित में काम नहीं कर रहा है तो ? वे कैसे जिले के अन्य लोगों को बताएँगे कि उनको कौनसा सांसद पसंद है ?

इस कार्य के लिए उनको `राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री ` और `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) चाहिए | और सांसदों के पास कोई अधिकार नहीं है लोकपाल या जजों को निकालने के लिए, जिससे वो वे उनपर देश के लोगों के हित में काम करने के लिए दबाव डाल सकें |

**(32) हमें अच्छे चुनावी सुधार चाहिए जैसे `100 % जरूरी मतदान`, ` ऊपर में से कोई भी नहीं` का बट्टन (राईट टू रिजेक्ट या उम्मीदवारों को अस्वीकार / नापसंद करने के लिए) `राईट टू रिकाल` के प्रक्रियाओं/तरीकों के बजाय | हमें चुनाव चाहिए अच्छे लोगों को चुनने के लिए जो ये सुधार लायेंगे |**

एम.एन.रॉय , पहला व्यक्ति जिसने भारत का संविधान लिखा था, जिसका नाम ` ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ` था 1946 में, ने कहा था " बिना जन-प्रतीनिधियों को निकालने/बदलने के नागरिकों के अधिकार , चुनाव बेकार होंगे " और 1925 में भगत सिंह की पार्टी, `हिंदुस्तान रिपुब्लिकन आर्मी` के घोषणा-पत्र में भी ये ही लिखा था कि बिना `राईट टू रिकाल-जन-प्रतिनिधियों के नागरिकों को अधिकार दिए, लोकतंत्र एक मजाक बन जायेगा |` और राजीव दिक्सित जी ने भी कहा था " पहले राईट टू रिकाल, फिर चुनाव " |

यदि कोई भी राईट टू रिकाल नहीं है नेताओं, जजों, अफसरों आदि के ऊपर, तो हम, आम-नागरिक कभी भी नेता, आदि को निकाल/बदल नहीं सकते यदि वे भ्रष्ट हो जाएँगे | लेकिन यदि हमारे पास कोई तरीका है, **कभी भी** भ्रष्ट को निकालने / बदलने / सज़ा देने का, तो ये `लटकती तलवार` जैसे काम करेगा नेता, आदि के ऊपर और नेता, आदि अपना कम अच्छा करेंगे और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नौकरी जाने का डर रहेगा और सज़ा पाने का डर रहेगा | लेकिन बिना `राईट टू रिकाल` के प्रक्रियाओं / तरीकों के 99% अधिकारी, पद पाने के बाद भ्रष्ट हो जाएँगे | और भगवन ने किसी माथे पर कोई टिकेट नहीं लगायी, कि हमें उन 1% लोगों का पता लगा सके, जो पद पाने के बाद भ्रष्ट नहीं होंगे | इसलिए " पहले `राईट टू रिकाल, फिर चुनाव |"

**`नकारात्मक या अस्वीकार / नापसंद करने वाला` मतदान (राईट टू रिजेक्ट) या `ऊपर में से कोई नहीं` का बट्टन** केवल चुनाव के समय ही उपयोगी है | जो उम्मीदवार ईमानदार है या उसका ईमानदार छवि/नाम है, चुनाव के बाद बिक जाता है | और आम-नागरिकों का अधिकारी पर कोई भी बस नहीं चलता, एक बार अधिकारी चुन लिया जाये | और तो और, जजों ,प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो नागरिकों द्वारा चुने नहीं जाते, आम-नागरिकों का कोई भी नियंत्रण/कंट्रोल नहीं होता उन पर | इसीलिए हमें ऐसे तरीके/प्रक्रियाएँ चाहिए, जिनके द्वारा अधिकारी हमेशा आम-नागरिकों के प्रति जवाबदार हों और आम-नागरिकों के हित के लिए काम करे | इसके अलावा, `ऊपर में से कोई भी नहीं` का बट्टन , 1% भी उपयोगी नहीं है क्योंकि एक पार्टी जैसे कांग्रेस को नफरत करने वाला व्यक्ति, विरोधी पार्टी को ही वोट देगा, नाकि `ऊपर में से कोई नहीं` का बट्टन दबाएगा | क्योंकि उसे डर होता है कि यदि वो किसी को भी नहीं वोट देगा, तो कांग्रेस जीत जायेगी एक वोट से | इसी प्रकार `भा.ज.पा` या अन्य पार्टी से से नफरत करने वाला व्यक्ति भी `ऊपर में से कोई नहीं ` के बट्टन का उपयोग नहीं करेगा |

**`100% जरूरी मतदान`** बेकार है, बिना पोलिस और जजों के पब्लिक के प्रति जवाबदार हुए और हानिकारक भी हो सकते हैं | भ्रष्ट जज और पोलिस इस क़ानून का गलत प्रयोग कर सकते हैं , ब्लैकमेल करने के लिए और रिश्वत लेने के लिए उन लोगों से ,जो किन्हीं कारणों से वोट नहीं कर सकते |

100% जरूरी मतदान का क़ानून बना कर और जुर्माना लगाना, उनपर जिन्होंने वोट नहीं किया , उससे इस क़ानून का गलत प्रयोग होगा, पोलिस/जजों द्वारा, जो ब्लैकमेल कर सकते हैं और रिश्वत ले सकते हैं ,उन लोगों से जो किन्हीं कारणों से वोट नहीं कर सकते,जैसे घर से दूर होना आदि |
आज के समय, बहुत सारे लोग वोट नहीं करते और देश के मामलों में रूचि नहीं दिखाते क्योंकि उनको बुरे लोगों में से कम बुरा चुनना है | भ्रष्ट जज और पोलिस गुंडों को सुरक्षा देते हैं, जो ईमानदार लोगों को

राजनीति में आने से रोकते हैं, लेकिन प्रस्तावित `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने की प्रक्रिया/तरीके` जैसे `राईट टू रिकाल-सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज` और `राईट टू रिकाल-पोलिस कमिश्नर` लागू होने पर, गुंडों को जजों और पोलिस द्वारा सुरक्षा नहीं मिलेगी , इसलिए इम्मान्दर लोग राजनीत में आयेंगे या नागरिकों द्वारा , इन `राईट टू रिकाल` की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए | इस तरह , मतदाताओं की वोट करने की रूचि बढ़ जायेगी मतदान करने का प्रतिशत भी बढ़ेगा , जब एक बार `भ्रष्ट को बदलने के तरीके/प्रक्रियाएँ ` लागू हो जाएँगी |

यदि `राईट टू रिकाल` के प्रक्रियाएँ लागू हैं, तो ये प्रक्रियाएँ 99 % भ्रष्टाचार के मामलों को होने से रोकेंगे और 1 % मामलों में, भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार अधिकारी द्वारा बदल दिए जाएँगे | इस तरह, पूरे अधिकारों मिलने पर, नागरिक मतदान और देश के मामलों में ज्यादा रूचि लेंगे , क्योंकि उनके पास भ्रष्ट को बदलने का अधिकार होगा |

एक चीज जो हमेशा देखने को मिलेगी, जिसका कोई अपवाद/छूट नहीं है : एक अधिकारी अच्चा बर्ताव तभी करता है जब नागरिकों के पास , उसे निकालने / बदलने / सज़ा देने के प्रक्रियाएँ होंगी | यदि आम नागरिकों के पास कोई तरीका/प्रक्रिया नहीं है अधिकारी को बदलने/सज़ा देने के लिए, तो उसका चुनाव कितना ही अच्छा क्यों न हो---- सीधा चुनाव, अप्रत्यक्ष (किसी के द्वारा) चुनाव , लिखित परीक्षा आदि ---- अधिकारी हमेशा भ्रष्ट हो जायेगा |

एक उधाहरण प्राचीन यूनान है, जहाँ अधिकारी लोटरी द्वारा चुने जाते थे !! और फिर भी भ्रष्टाचार कम था, क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत का फैसला 200, 400 या 600 जूरी-सदस्यों द्वारा किया जाता | जूरी-सदस्यों की संख्या, आरोपित के समाज के स्तर के अनुसार होता था (जितना ज्यादा पैसे वाला और शक्तिशाली आरोपित होता था, उतनी ज्यादा जूरी-सदस्यों की संख्या होती थी) | ये जूरी के पास उस अधिकारी को हटाने और सज़ा देने के भी अधिकार होते थे | इसीलिए पुराने यूनान में, अफसर और अधिकारी अच्छा बर्ताव करते थे और भ्रष्टाचार की शिकायतें कम थीं | और आज के भारत में, इतने सारे जाँचपड़ताल- के सिस्टम हैं, इतने सारे `भ्रष्टाचार-विरोधी` संस्थाएं हैं, इतने सारे हिसाब-किताब होते हैं, लेकिन आम-नागरिकों के पास भ्रष्ट अधिकारियों को निकालने / सज़ा देने के कोई तरीके/प्रक्रियाएँ नहीं हैं | इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं |

## (33) नागरिक प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री को `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव / प्रणाली (सिस्टम) सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर / धमकी कैसे दे सकते हैं ?

प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री को मजबूर करने के लिए हमें समाधान कानून-ड्राफ्ट आधारित, कार्यकर्ता संचालित, उधम सिंह केंद्रित जन-आन्दोलन करना होगा | इसका एक उदाहरण 1977 का कार्यकर्ता संचालित जन-आन्दोलन था, जिसमें सभी नेता जेल में थे, फिर भी लाखों कार्यकर्ता को मालूम था कि उन्हें क्या करना है और इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा |

**नेता आधारित आन्दोलन** को विरोधी बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इसमें हरेक कार्यकर्ता बिना नेता के आदेश के काम नहीं करता और विरोधियों को केवल नेता को खरीदना, दबाना या बंदी

बनाना होता है या उसे मारना होता है आन्दोलन को समाप्त करने के लिए, उदहारण अन्ना आन्दोलन और स्वामी रामदेव आन्दोलन |

**उधम सिंह का अर्थ**

उधम सिंह का अर्थ है उधम सिंह के प्रकृति के व्यक्ति जो वीर, जान का खतरा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, राष्ट्र-भक्त, बुद्धिमान होते हैं, अकेले काम करते हैं बिना किसी के निर्देश के | देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वे समय बर्बाद करने वाले और अंत में हिंसा का परिणाम लाने वाले तरीके जैसे अनशन, धरना आदि के तरीके नहीं अपनाते और सबसे अधिक अहिंसात्मक तरीके अपनाते हैं देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए | वे जन-समूह के आम-राय के अनुसार काम करते हैं अधिकारीयों से आम-नागरिकों के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए और इसीलिए उन्हें करोड़ों आम-नागरिकों का समर्थन प्राप्त होता है | उधम सिंह के कुछ उधाहरण हैं -भगत सिंह, उधम सिंह, नेताजी सुभास चन्द्र बोस, 1946 नौसेना विद्रोह के नौसैनिक, 1977 आपातकाल-विरोधी आन्दोलन के कार्यकर्ता, आदि |

आज, आम-नागरिक और देश को लोकतान्त्रिक, जल्दी प्रभावशाली, अल्पकालीन समाधान चाहिए देश के ज्वलंत समस्याओं के लिए , क़ानून-ड्राफ्ट समाधानों के अलावा जो असली जन-आन्दोलन द्वारा लाये जा सकते हैं | कुछ असली जन-आन्दोलन , आपातकाल, 1975 और नौसेना विद्रोह, 1946 (जिससे देश को आजादी मिली थी) |

सबसे अच्छा अल्पकालीन , जिससे देश के ज्वलंत समस्याओं से थोड़ी देर के शान्ति मिलेगी, समाधान क़ानून पर्चों द्वारा / अभियान करना विज्ञापन-ड्राफ्ट पर व्यापक स्तर पर जन-| इसके साथ ही हम मिस काल नंबर सिस्टम भी चालू कर सकते हैं , जहाँ पर लोग अपना समर्थन दर्ज कर सकें |

ये लोकतान्त्रिक तरीके हैं देश के लिए अच्छे प्रक्रियाएँ लाने के लिए , जो सफल होंगी यदि कार्यकर्ता इसमें भाग लें तो | गैर-लोकतान्त्रिक तरीके जैसे अपने प्रिय नेता के नारे लगाना, भाषणबाजी , बंद दरवाजों के पीछे चर्चा, किसी नेता के लिए चुनावी प्रचार करना, अनशन, मोमबत्ती रैली, आदि., से देश और व्यवस्था में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा |

इन तरीकों में जनसमूह सक्रीय रूप से शामिल होता है, जो देश में बराबर के हिस्सेदार और इसीलिए ये लोकतान्त्रिक तरीके शक्तिशाली और सफल होते हैं | दूसरी ओर, वो तरीके जिनके द्वारा जनसमूह नहीं, कुछ ही लोग सक्रीय रूप से शामिल होते हैं, वे कमजोर और गर-लोकतान्त्रिक हैं और व्यवस्था में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने में विफल हो जाते हैं |

हमें कम से कम 2-4 लाख कार्यकर्ता चाहिए, जो अच्छे समाधान कानून-ड्राफ्ट प्रक्रियाओं का महीने में 15-20 घंटा प्रचार करें और कुछ करोड़ आम-नागरिक चाहिए, देश और व्यवस्था में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए |

क्या एक आम-नागरिक प्रधानमंत्री आदि से विनती करे या उसे उन्हें धमकी देने चाहिए क़ानून की सीमा में रह कर ? ये तो नागरिकों के प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री के बारे में राय के ऊपर निर्भर है | यदि नागरिक को लगता है कि प्रधानमंत्री आदि ईमानदार लोग हैं, तो उसे विनती करनी चाहिए | यदि नागरिक को लगता है कि प्रधानमंत्री आदि बेईमान लोग हैं, तो उसे उन्हें कानूनी सीमा में धमकाना चाहिए | और यदि कोई नागरिक को लगता है कि प्रधानमंत्री बेईमान है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, महापौर (मेयर) बेईमान है, तो उसे प्रधानमंत्री को धमकाना चाहिए, मुख्यमंत्री से विनती करनी चाहिए , महापौर (मेयर) को धमकाना चाहिए आदि | प्रधानमंत्री, आदि को कानूनी सीमा में कैसे धमकाना है ? इस का तरीका ऐसा हो सकता है -

क) मैं आपकी पार्टी के लिए वोट नहीं करूँगा |

ख) मैं आप के खिलाफ रैली निकालूँगा |

ग) मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर या आपके पार्टी के दफ्तरों का घेराव करूँगा |

घ) मैं आप को कानोनी सीमा में बेइज्जत करूँगा |

च) मैं आप को पब्लिक-रैली में `गली गली में शोर है....` कहूँगा |

छ) "मैं भगत सिंह के जैसे जवान, समर्पित लोगों को कहूँगा कि आपके खिलाफ मुझेसे जुड़ें" |

आदि , आदि |

## (34) `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) आने के बाद, क्या करोड़ों लोगों के शिकायत करने से सिस्टम पर बोझ नहीं पड़ेगा ?

यदि आप `जनता की आवाज़` के आने के बाद की बात कर रहे हैं, तो करोड़ों एफिडेविट कैसे नुकसान करेंगी ? एफिडेविट के हर पन्ने के लिए रु. 20 का शुल्क लिया जयेगा, जो सभी खर्चों को पूरा करेगा वेतन सहित |

एक पन्ने को स्कैन (कंप्यूटर पर डालने के लिए) 100 किलोबिट चाहिए | यदि एक करोड़ एफ्फिदेवित के पन्ने दर्ज किये गए हैं, तो (एक करोड़ X 100 किलोबिट) = 10 टेराबिट चाहिए , जिसके लिए 60,000 रुपये चाहिए | और एक करोड़ प्रस्तावों को स्कैन (कंप्यूटर पर डालने) से आमदनी 20 करोड़ रुपये है | यदि वेतन की लागत भी गिना जाये, फिर भी ये प्रक्रिया/तरीका भारत सरकार को कोई हानि नहीं पहुँचायेगा | और 10 करोड़ प्रस्ताव भारत में किसी को कैसे नुकसान पहुँचायेगा ?

कलेक्टर और पटवारी जरूरत के कर्मचारियों को बढ़ा सकता है और पूरा सिस्टम जो `उपयोग करो और भुगतान करो` आधारित है, अपने आप में पूरा है, और सरकार या किसी और पर कोई बोझ नहीं डालेगा |

और हर एक शिकायत को सुनने के लिए या एक भी शिकायत को सुनने के लिए अधिकारी के लिए कोई बंधन नहीं है क्योंकि ये केवल एक राय इकट्ठा करने की प्रणाली (सिस्टम) है जिसमें हर राय हमेशा देखी जा सकती है और जाँची जा सकती है, किसी के भी नागरिक द्वारा | लेकिन अधिकारी उन शिकायतों को नजर-अंदाज नहीं कर सकते, जो लाखों लोगों की है |

**(35) हम प्रायवेट वेबसाइट का प्रयोग क्यों नहीं प्रयोग करते पब्लिक की शिकायतों को डालने के लिए, पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) में ?**

" प्रायवेट वेबसाइट पब्लिक की शिकायतों के लिए " का प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं है | किसी को भी ये रूचि और भरोसा नहीं होगा कि मेरी वेबसाइट क्या कहती है | उदाहरण से, मैं एक एफिडेविट डाल सकता हूँ " मनमोहन को फांसी लागों" और दो महीनों में मान लीजिए , 5 करोड़ों नागरिकों ने `हां` दर्ज कर दिया | तब क्या आप मानेंगे कि मैंने ये नंबरों को फर्जी नहीं बनाया है ? यदि मैं एक प्रायवेट वेबसाइट चलाता हूँ `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)` के लिए, तो आप मेरे को फर्जी-धोखेबाज कहेंगे और यदि आप एक प्रायवेट `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)` के लिए वेबसाइट चलाते हो, तो मैं आप को फर्जी-धोखेबाज कहूँगा | फिर, मुझे कोई कांग्रेस का एजेंट कहेगा और फिर आपको भा.जा.पा का एजेंट कहेगा | सरकारी वेबसाइट सबसे कम बेईमान है, मतलब सबसे ज्यादा भरोसेमंद | असल में, सभी प्रायवेट वेबसाइट की कुछ भी भरोसा नहीं है, राजनैतिक मामलों में, क्योंकि इन वेबसाइट के मालिक कोई भी फर्जी संख्या बना सकते हैं | जरा मीडिया (अखबार, टी.वी. वाले आदि) के बिके हुए हुए समाचार और सर्वेक्षणों को देखें | जब संख्याओं की कोई विश्वसनीयता नहीं होगा, तो फिर कोई भी अपना `हाँ`/`ना` दर्ज करना नहीं चाहेगा |

अभी प्रस्तावित पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (जनता की आवाज ; टी.सी.पी.) कुछ भी नहीं पर एक सरकारी आदेश है, जो हम, आम-नागरिकों को प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर शिकायतें, इस तरह डालने देगा कि सभी पढ़ सकते हैं | कृपया फिर से तीनों धाराएं पढ़ें | तीसरी धारा का कोई भी कानूनी या अन्य प्रकार का बंधन नहीं है | और दूसरी धारा इसीलिए है क्योंकि कलेक्टर के दफ्तर, जो कम संख्या में हैं पर बोझ न पड़े | इसीलिए, पटवारी/लेखपाल के दफ्तर जो हर तीन-चार गांव के बीच एक होता है, या हर तीन-चार वार्ड के बीच एक होता है, जाकर नागरिक को पहले से कलेक्टर के दफ्तर में किसी अन्य नागरिक द्वारा दर्ज शिकायत पर `हां`/`ना` दर्ज कर सके |

---

किसी भी तरह की एफिडेविट डाली जा सकती है, और यदि शिकायत में अपमान करने वाले शब्द लिखे हैं तो डालने वाले पर केस (मामला) कर दिया जाएगा और एफिडेविट निकाल दी जायेगी | कोई भी कानून की अदालत एफिडेविट को हटाने का आदेश दे सकती है | और बाद में, ऐसे क़ानून जोड़े जा सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति, जिसने आपमान के शब्द वाला एफिडेविट डाला है, उसके एफिडेविट डालने का अधिकार कई सालों तक सस्पैंड / निलंबित किये जा सकते हैं | बिलकुल वैसे ही जैसे , मीडिया (समाचार पत्र, टी.वी. वाले) कुछ भी छाप सकता है लेकिन वो जिम्मेदार है कि क्या छापते हैं | लेकिन सामान्य तौर पर कोई भी मीडिया वालों को छापने से नहीं रोक सकते हैं , कार्य किये जाने से पहले |

---

कलेक्टर एफिडेविट दर्ज करने का काम तहसीलदार को भी दे सकता है, यदि उसको लगे की उसके लिए सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं | सुविधाएं जो होनी चाहिए एफिडेविट दर्ज करने के लिए - एक अच्छा कैमरा शिकायत, प्रस्ताव आदि की एफिडेविट दर्ज करने वाले का फोटो लेने के लिए, अंगुली की छाप लेने के लिए मशीन और वोटर आई.डी स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए मशीन | इस तरह, गांव के स्तर पर भी ये जा सकती है, निकट भविष्य में | लेकिन कलेक्टर के दफ्तर या तहसीलदार के दफ्तर

जाना, जन-हित याचिका दर्ज करने से ज्यादा आसान है, क्योंकि जन-हित याचिका दर्ज करने के लिए किसी को हाई-कोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट जाना पड़ता है और जिसके लिए भारी रिश्वतें देनी पड़ती हैं |

## (36) एक दूर-दराज के गांव का व्यक्ति, राष्ट्रिय स्तर का व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री, आदि का चुनाव कैसे करेगा ?

आज, एक गांव या कसबे में व्यक्ति को कोई भी अपने दूर के स्थान का समाचार पाने के लिए कोई समाचार-पत्र, टी.वी. चैनल या अन्य मीडिया पर निर्भर रहना पड़ता है | लेकिन आज 90 % मीडिया बिके हुए हैं और वे वो ही समाचार देते हैं, जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं | इसलिए उस समाचार का कोई भरोसा नहीं है |

लेकिन जब `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर और आदेश द्वारा लागू हो जायेगा, तो उसके द्वारा `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री`/`राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री आदि भ्रष्ट को निकालने/बदलने की प्रक्रियाएँ आ जाएँगी, तब कोई भी किसी अधिकारी के बारे में समाचार डाल सकता है एफिडेविट में, कलेक्टर के दफ्तर जाकर | और यदि लाखों-करोड़ों लोग, उसका पटवारी के दफ्तर जाकर समर्थन करते हैं, अपना वोटर आई.डी. और अँगुलियों की छाप द्वारा जांच भी करवाते हुए, तो वो समाचार / जानकारी भरोसे वाली होगी | दूसरे शब्दों में, ये लोकतान्त्रिक तरीके/प्रक्रियाएँ अपने आप में एक वैकल्पिक मीडिया बन जाएँगे, जो भरोसेमंद समाचार, किसी भी नागरिक द्वारा कभी भी जाँची जा सकने वाले समाचार देंगे |

पहले दौर में तो कोई भी जानकारी मूहं-जुबानी फैलेगी | दूसरे दौर में, क्योंकि ये किसी भी नागरिक द्वारा जांचे जा सकने वाला समाचार देने वाला वैकल्पिक, आम-नागरिकों का मीडिया होगा, तो आज की बिकी हुई मीडिया भी मजबूर हो जायेगी कि सच्चा समाचार आम-नागरिकों को बताये वर्ना उसे अपना धंधा बंद करना पड़ सकता है |

## (37) हम को `राईट-टू रिकाल` सांसदों और निचले पदों के ऊपर क्यों चाहिए जब हमारे पास `राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री` है ?

सबसे पहली बात तो ये है कि ये सभी ड्राफ्ट टी.सी.पी. (जनता की आवाज़ ; पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली) द्वारा लाये जाने हैं | टी.सी.पी. आने के दूसरे दिन मैं या कोई और ये ड्राफ्ट कलेक्टर के दफ्तर जाकर स्कैन करवा कर, प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डलवा सकते हैं और करोड़ों आम-नागरिकों के साबित किये जाने वाला समर्थन और दबाव द्वारा ये ड्राफ्ट लागू होंगे |

भारत में 700 जिले हैं और हर जिले में एक 20-30 बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर, एस.पी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राशन अधिकारी, आदि हैं | ऐसा कोई तरीका नहीं है कि प्रधानमंत्री अकेला ही 700x30=2100 बड़े अधिकारियों की देख-रेख कर सके | तो फिर, प्रधानमंत्री को सुपरवायसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो इन 21,000 बड़े अधिकारों पर नजर रख सकें | ये सुपरवायसरों को कुछ भी नाम या इनाम नहीं मिलेगा, सारा नाम-इनाम और वाह-वाही प्रधानमंत्री को मिलेगी | इसीलिए ये बीच के लोग , भ्रष्ट और आलसी / सुस्त हो जाएँगे | और जिले के बड़े अधिकारियों को अच्छा काम करने के लिए कोई

नाम-इनाम नहीं मिलेगा | इसीलिए, वो वही करेंगे जो सुपरवायसर कहेंगे और रचनात्मक (कुछ अलग और अच्छा सोचने और करना) होना बंद कर देंगे |

जबकि यदि `राईट टू रिकाल` जिले और राज्य के अधिकारियों पर आ जाता है, तो अधिकारियों को दिखेगा कि जनता की राय उसको केवल सजा ही नहीं दे सकती है, बल्कि अच्छा काम करने पर इनाम भी दे सकती है और उसकी तरक्की भी हो सकती है | उदाहरण से, `राईट टू रिकाल-जिला शिक्षा अधिकारी` का जो हम ने तरिका बताया है, उसमें देख सकते हैं कि नागरिक एक व्यक्ति को 10 जिलों तक शिक्षा अधिकारी बना सकती है | और अधिक जिलों का अधिकारी बनने पर वेतन भी उतनी गुना बढ़ेगी | इसीलिए उसके पास कारण और प्रेरणा / बढ़ावा है अच्छा काम करने के लिए | लेकिन यदि वो केवल प्रधानमंत्री के नीचे काम करता है, बिना उसके ऊपर `राईट टू रिकाल` के , उसके पास कोई भी कारण या प्रेरणा / बढ़ावा नहीं रहेगी, और अच्छा काम करने की |

**(38) लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के अभाव में देश और देशवासियों को क्या नुकसान हो सकता है ? ये लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का क्या लाभ है ? हम इसके बदले समाज सेवा करनी चाहिए जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना, आदि देश की व्यवस्था को सुधरने के लिए | हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री या नेता चाहिए ये लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को लागू करवाने के लिए |**

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के अभाव में जैसे `पारदर्शी शिकयत / प्रस्ताव प्रणाली`, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज आदि पर राईट टू रिकाल, जूरी सिस्टम, कोर्ट, पोलिस अन्यायपूर्ण होंगे और विदेशी कंपनियों की तरफदारी करेंगे और उन्हें देश पर अपना वर्चस्व बढ़ाने देंगे | विदेशी कंपनियों के प्रशासन, नयायपालिका, मीडिया, नियंत्रक संस्थओं जैसे लोकपाल आदि पर वर्चस्व बढ़ने से स्थानीय उद्योगों का नाश होगा, देश की गणित/विज्ञान की शिक्षा कमजोर होगी, देश की खेती का नाश होगा, कोई भी असली उत्पादन नहीं होगा देश में और देश विदेशी कंपनियों के पराधीन हो जायेगा | सभी या अधिकतर माल को बहार के देशों से आयत किया जायेगा, देश की सेना और कमजोर हो जायेगी (अभी भी देश की सेना बहुत कमजोर है) और अवैद्य बंगलादेशियों का आना बढ़ जायेगा जिसके कारण कभी भी विदेशी आक्रमण कर सकते हैं |

आज, ज्यादा से ज्यादा गरीब नक्सलवाद या ईसीई धर्म-प्रचारकों या दोनों की तरफ जा रहे हैं अच्छा खाना, दवाई, शिक्षा आदि पाने के लिए | बाद में, इससे आतंकवाद बढ़ेगा, जैसे कि नेपाल में हुआ था और उड़ीसा, आंध्रप्रदेश के भाग, मध्यप्रदेश के भाग, छतीसगढ़ के भाग, आदि में आपसी विवाद बढ़ सकते हैं |

देश बाद में कई फिलीपीन जिसे विदेशी कंपनियों के कटपुतली, आर्थिक-गुलाम देश या पूरे गुलाम देश जैसे इराक में टूट जायेगा | भौतिक या आर्थिक गुलाम बनने के बाद, देश के 99% नागरिकों को लूट लिया जायेगा और उच्च वर्ग के लोग भी नहीं बच सकेंगे इस लूट से |

एक तानाशाह या अच्छा, ताकतवर नेता यदि प्रधानमंत्री भी बन जाये, तो भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि विदेशी कंपनियों की ताकत का सामना कर सके | आज, विदेशी कंपनियों का अधिकतर मुख्यधारा के मीडिया, संगठित सामाजिक मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं और न्यायपालिका पर बहुत प्रभाव है | बिके हुए मीडिया पर अपना प्रभाव का प्रयोग करके, विदेशी कंपनियों की लोबी नकली कांग्रेस विरोधी, क्लोन

(हमशकल) लोग जैसे अन्ना, अरविन्द केजरीवाल, सुब्रमनियम स्वामी आदि बना सकते हैं और वोटों का बटवारा कर सकती हैं ताकि कोई भी पार्टी या पार्टियों के समूह को बहुमत न मिले | ये स्तिथि विदेशी कंपनियों की लोबी के लिए काबू में करना बहुत आसान है | विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित, बिका हुआ मीडिया, नकली लोग जैसे अन्ना, अरविन्द केजरीवाल, सुब्रमनियम आदि को समाधान बताता है और कार्यकर्ताओं को अधूरी जानकारी देता है | कार्यकर्ता ऐसे समय बरबाद करने वाले लोगों के भक्त बन जाते हैं और अपना समय भी बरबाद करते हैं | इस तरह समाधान-ड्राफ्ट की कभी भी बात नहीं होती है |

मान लीजिए किसी पार्टी या पार्टियों के समूह को किसी तरह बहुमत मिल जाती है, लेकिन किसी भी पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बिना जिसके संसद में कानून बनाना संभव नहीं है | दोनों सदनों में बहुमत मिलना लगभग असंभव है और इसके लिए कम से कम 10 साल लगेंगे | मान लीजिए कि किसी तरह 10 सालों में, कोई पार्टी आय पार्टियों के समूह को दोनों सदनों में बहुमत मिल जाता है और ये लोकतान्त्रिक कानून भी पारित कर देते हैं, फिर भी सुप्रीम-कोर्ट के जज, जो अधिकतर भ्रष्ट विदेशी कंपनियों के एजेंट होते हैं, ये कानून को रद्द कर सकते हैं | 1977 में, अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के एजेंट जज ने इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री/संसद के पद को रद्द कर दिया था बिना कोई ठोस कारण के |

संक्षिप्त में, भ्रष्ट विदेशी कंपनियों के लोबी कोई भी ताकतवर प्रधानमंत्री को दबा सकती है या उसे खरीद सकती है या उसे मरवा सकती है जैस लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया था | केवल करोड़ों नागरिक उधम सिंह केंद्रित, कार्यकर्ता संचालित, समाधान कानों-ड्राफ्ट के नेतृत्व में, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के लिए जन-आन्दोलन द्वारा भ्रष्ट विदेशी कंपनियों के लॉबी का सामना कर सकते हैं और जनत के नौकरों को मजबूर कर सकते हैं कि ये लोकतान्त्रिक कानूनों को भारतीय राजपत्र में डालें (भरतीय राजपत्र का मतलब प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अफसरों को छाप कर दिए गए निर्देश)

सामाजिक कार्य और सक्रियतावाद बहुत अलग हैं | सक्रियतावाद में शामिल है आम-नागरिकों को देश के लिए अच्छे-बुरे प्रक्रिया-ड्राफ्ट के बारे में बताना | और अच्छे प्रक्रिया-ड्राफ्ट को देश के ज्वलंत समस्या, जैसे विएशी कंपनियों का वर्चस्व, कमजोर होती सेना, अवैद्य बंगलादेशी गुसपैठ, अन्यायपूर्ण नयायपालिका, गरीबी, आदि के लिए समाधान कानून-ड्राफ्ट लाने का प्रयत्न करना भी सक्रियतावाद में शामिल होता है | मैं सामाजिक कार्य को कम नहीं अंक रहा हूँ लेकिन समाज सेवा देश की कोर्ट, सेना और पोलिस को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है | सेना, कोर्ट, पोलिस की आवश्यकता है स्कूलों की सुरक्षा करने के लिए और राईट टू रिकाल-शिक्षा अधिकारी, `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली` आवश्यक हैं देश का शिक्षा स्तर सुधरने के लिए |

**(39) क्या कोई मोटा तरीका है, झूठी जानकारी जांचने के लिए जो मीडिया (समाचार पत्र, टी.वी., पाठ्य-पुस्तकें, आदि) देता है, `पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) और दूसरे प्रक्रियाएँ के आभाव में, जिसके द्वारा हर नागरिक कोई भी जानकारी खुद जांच कर सकता है ?**

ऐसी प्रक्रियाएँ, जिनके द्वारा हम आम-नागरिक दूसरे नागरिकों के बारे में जानकारी को जांच कर सकते हैं, के अभाव में, मीडिया (टी.वी. चैनल, समाचार-पत्र, पाठ्य-पुस्तक आदि) और अन्य लोग भी हमें

गलत जानकारी दे सकते हैं जैसे `आम-नागरिक बेवकूफ, बेकार, हिंसक, जातिवाद हैं`, `लोग और ट्रस्ट अपने वोट बेचते हैं` आदि | लेकिन हम ना तो उस जानकारी को सही साबित कर सकते हैं और ना ही गलत |

अब जब तक हमें `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) जैसे प्रक्रियाएँ न मिल जायें, कुछ मोटे तरीके हैं, जिनके द्वारा हम कोई भी जानकारी की जांच कर सकते हैं कि सही है या झूठी |

**ऐसे लोगों के बारे में विचार करने से पहले जो हमारे पहुँच से बाहर हों, हमें पहले सच्चाई उन लोगों से पता लगाना चाहिए , जो हमारे आस-पास हैं, जो हमारे पहुँच के भीतर हैं, जैसे हम खुद, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और फिर दूसरे लोग हमारे मोहल्ले में |**

और फिर आप के लिए परिणाम, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जो परिणाम आते हों, वो ही दूसरे नागरिकों के लिए भी हैं | राज्य और देश के दूसरे नागरिक आपके मोहल्ले से अलग नहीं हैं |

कुछ उदाहरण लेते हैं -

1) मीडिया कहता है `लोग और संस्थाएं अपने वोट बेचते हैं ` लेकिन कोई भी सबूत नहीं देते, जैसे बेचने की रसीद आदि | ध्यान रखें की मतदान गुप्त होता है | इसीलिए, पहले अपने से पूछें कि क्या आपने अपना वोट बेचा है ? फिर अपने रिश्तेदार और दोस्तों से ये प्रश्न पूछें | उसके बाद , अपनी आस पास के लोगों से ये पूछें कि क्या उन्होनें **खुद**, **अपना वोट बेचा है ?** और यदि कोई व्यक्ति या संस्था बोलते हैं कि उन्होंने अपना वोट बेचा है, तो उनसे इसका सबूत देने के लिए कहें |

2) मीडिया अक्सर कहता है कि आम-नागरिक मूर्ख है, हिंसक है, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता , आदि |
पहले देखें कि ये आप पर लागू होता है क्या, फिर उसके बाद देखिये कि ये आपके दोस्तों और रिश्तेदारों पर लागू होता है | अंत में पूछिए और देखिये कि ये आप के मोहल्ले के कितने लोगों पर लागू होता है |

3) हम एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसके द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि कोई नेता या कोई संस्था को कितनी जनता जानती है |

मीडिया कह सकता है कि फलाना नेता या संस्था के करोड़ों समर्थक हैं, यहाँ तक की उस नेता या संस्था के लोग भी कई बार, बड़ा-चढ़ा कर समर्थकों की संख्या बताते हैं |
जब `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) आएगा, तब इस तरह की जानकारियाँ आसानी से मिल सकती हैं और हर नागरिक द्वारा जाँची भी जा सकती हैं | कोई भी आम-नागरिक कोई भी जानकारी डाल सकता है कलेक्टर के दफ्तर जाकर और दूसरे लोग इसका समर्थन कर सकते हैं पटवारी/लेखपाल के दफ्तर जाकर | और ये सब जानकारी जाँची जा सकती है किसी भी नागरिक द्वारा क्योंकि समर्थकों के वोटर आई.डी. की जानकारी और अँगुलियों के छाप लिए जाएँगे और कोई भी उन्हें प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर देख सकता है |

लेकिन, `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` के अभाव में, कौन सा मोटा तरीका का प्रयोग किया जा सकता है, पता लागने के लिए कि कोई नेता या संस्था को कितनी जनता जानती है |

आज के समय में, 70-80% नागरिक टी.वी. नहीं देखते या समाचार-पत्र नहीं पढ़ते | इसीलिए वे मीडिया द्वारा सीधे प्रभावित नहीं होते |

इसीलिए हमने ये तरीका का सुझाव दीया है जानने के लिए कि कोई नेता या संस्था आम-जनता के बीच कितना जाने जाते हैं -

कोई पांच लोगों का चुनाव करें आपके मोहल्ले में से, जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते या टी.वी. नहीं देखते . और उनसे ये प्रश्न पूछें (ये केवल नमूना प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न भी बना सकते हैं)-

1) `भारत स्वाभिमान न्यास` क्या है ?
2) बाबा रामदेव कौन हैं ?
3) `इंडिया अगेंस्ट कर्रप्शन` क्या है ?
4) अन्ना हजारे कौन है ?
5) इंदिरा गाँधी कौन है ?
6) जनलोकपाल बिल क्या है ?
7) काला धन क्या है ?
8) काला धन कहाँ है ?
9) काला धन आम-नागरिकों को कैसे मिल सकता है ?
10) लालू यादव कौन है ?

कृपया ये और इस प्रकार के प्रश्न पूछें और उनकी राय और मोहल्ला बताएं, ताकि दूसरे भी जांच कर सकें कि ये जानकारी सही है या गलत |

**(40) क्या हमें `राईट टू रिकाल ` के तरीकों / प्रक्रियाओं के बजाय, कोई परीक्षा या कोई अन्य तरीके चाहिए, जो व्यक्ति-आधारित नहीं हों, विशेष पदों के लिए जैसे रिसर्व-बैंक गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि ?**

`राईट टू रिकाल` / `प्रजा अधीन-राजा` (भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) की प्रक्रियाएँ जो हमने प्रस्तावित किये हैं, कम व्यक्ति-आधारित (सब्जेक्टिव) हैं , आज के प्रक्रियाओं / तरीकों के तुलना में और ऊंचे पद, जैसे रिसर्व-बैंक गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के लिए परीक्षाएं संभव नहीं हैं क्योंकि आसानी से परीक्षा-पत्र लीक हो सकते हैं या भ्रष्ट अमीर लोगों द्वारा परीक्षाएं प्रभावित किये जा सकते हैं |

इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि परीक्षा अमीर भ्रष्ट द्वारा खरीदी नहीं जायेगी, मतलब वे आसानी से ख़रीदे जा सकते हैं | और जिन लोगों को करोड़ों आम-नागरिक समर्थन करेंगे, `राईट टू रिकाल` की प्रक्रियाओं के द्वारा, सालों राजीनीति में हर प्रकार के लोगों के संपर्क में रहने से थोड़ा अनुभव

तो होगा, उस क्षेत्र के लिए, जिनके लिए करोड़ों आम-नागरिकों ने समर्थन किया है | करोड़ों लोग मूर्ख नहीं हैं कि एक बेकार, नामी व्यक्ति को पद के लिए समर्थन करें और अपने आप को नुकसान करेंगे |

सबसे ज्यादा हानि अच्छे चुनाव प्रक्रिया/तरीका के अभाव से नहीं होती, बल्कि जनता के लिए अधिकारी को निकालने के अच्छे तरीके के अभाव के कारण होती है | क्योंकि आम-नागरिकों के पास अधिकारी को बदलने / सज़ा देने का कोई तरीका न होने से अधिकारी मिली-भगत करके भ्रष्ट हो जाते हैं | और दूसरी ओर उनको जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए कोई रूचि नहीं होती क्योंकि जनता उनको इसके लिए, उनकी तरक्की नहीं कर सकती है |

आज के समय, आम-नागरिकों को बहुत सारी जानकारी मीडिया देता नहीं है या सही देता नहीं है | लेकिन `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) लागू हो जाने पर, भरोसेमंद जानकारी मिलेगी हर नागरिक को, जो हर नागरिक खुद जांच सकता है कि सही है या नहीं | इसलिए, तब किसको `रिसर्व बैंक गवर्नर`, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, और आसान हो जायेगा | (कुछ हद तक इन्टरनेट आने पर भरोसेमंद जानकारी मिलना शुरू हो गयी है | )

**41) क्या लोग शिकायत / प्रस्ताव दर्ज करने के लिय या किसी शिकायत या प्रस्ताव या उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए जाएँगे ? क्या आम-नागरिक ऐसा करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं प्रयोग करेगा ?**

ये सब शिकायत या प्रस्ताव या उम्मीदवार कैसा है, उसके ऊपर निर्भर है | यदि वो प्रस्ताव या शिकयत आम-नागरिकों को सीधे और तुरंत फायदा पहुँचाने वाला है, तो वे पटवारी/लेखपाल/तलाटी के दफ्तर जाएँगे शिकायत या प्रस्ताव या उम्मीदवार को समर्थन या विरोध करने | यदि कोई कहता है -`श्री `क` को प्रधानमंत्री बनाओ` और यदि श्री `क` समाज के लिए अच्छे कार्य नहीं कर रहा है , जिससे उसको देश या उस क्षेत्र के ज्यादा नागरिक नहीं जानते, कोई ज्यादा लोग प्रस्ताव को समर्थन नहीं करेंगे | लेकिन यदि श्री `क` को काफी नागरिक जानते हैं, क्योंकि श्री `क` जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है, और वर्तमान प्रधानमंत्री आम-नागरिकों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर काफी नागरिक उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनको खोना केवल 3 रुपये है लेकिन उनको काफी फायदा हो सकता है अच्छा प्रधानमंत्री मिलने पर |

एक दूसरा उदाहरण `एम.आर.सी.एम` का है ,जो ये पक्का करेगा कि 300-400 रुपये हर महीने , हर नागरिक के खाते में **सीधे** जायेगा | अभी, 50 करोड़ मतदाता हर दिन 20 रुपयों से कम कमाते हैं | तो, उनमें से कितने कहेंगे, कि हमें ये 100% नैतिक (सही) 300-400 रुपये हर महीने नहीं चाहिए ? मेरे अनुसार, 5% भी ऐसा नहीं कहेंगे |

और जहाँ तक तरीका जो नागरिक अपनाएंगे अपने शिकायत / प्रस्ताव / उम्मीदवार के लिए समर्थन दर्ज कराने के लिए, नागरिक वो ही तरीका चुनेंगे, जिससे सबसे अधिक फायदा होगा, जिसमें लाखों/करोड़ों उनकी अर्जी या समर्थन या विरोध को देख सकें और अपनी हाँ/ना उसके साथ जोड़ सके और खुद हर नागरिक उसकी जांच भी सके | और वो तरीका में सबसे कम मेहनत और पैसा लगे, एक निश्चित प्रभाव होने के लिए | जहाँ तक हमने देखा और जाना है, ये तरीके बाकी सभी तरीकों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं,

विशेषकर जब लोगों को एक से ज्यादा अर्जी देनी है, या समर्थन या विरोध करना है एक से ज्यादा बार 2-3 सालों में |

**42) क्या जात-पात, धर्म आदि तरफदारी / पूर्वाग्रह, इन तरीकों को प्रभावित नहीं करेंगे ?**

जात-पात और धर्म आदि तरफदारी/पूर्वाग्रह नेता लोग बढ़ा-चढ़ा कर, मीडिया के मदद से बताते हैं | यदि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में पता करोगे, तो आप को पता चलेगा कि वो इतनी ज्यादा नहीं है |

और जाती, धर्म और दूसरे तरफदारी/पूर्वाग्रह, ज्यादा होती है जब कोई तरीके में भाग लेने वाले लोग कम हों | इन तरीकों में , लाखों-करोड़ों लोग भाग ले सकते हैं, इसीलिए जाती, धर्म की तरफदारी, यदि है भी तो एक-दूसरे को कट देगी और इसीलिए ये तरीके किसी भी प्रकार की तरफदारी/पूर्वाग्रह को वातव में / असल में कम करते हैं |

**कैसे पक्षपात-जाती, धर्म आदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं से कम होते हैं ?**

कृपया नोट करें कि कुछ हद तक तरफदारी या पक्षपात करना मानव में स्वाभाविक है लेकिन हमारे सिस्टम बिना कोई पक्षपात के बनाये जा सकते हैं |

**A. वे तत्व जो निर्णय करते हैं कि कोई पक्षपात होता है कि नहीं हैं -**

**1. उपलब्ध उम्मीदवारों की तुलनात्मक अच्छाई या बुराई -**

हालाँकि 95% लोग ये कहेंगे कि वे पक्षपात नहीं करते, लेकिन यदि उनके यहाँ के उम्मीदवार आपसी तुलना में उतने ही बुरे या उतने ही अच्छे हैं, तो पक्षपात प्रचालन में आता है |

मान लीजिए कि आपको बहार खाना पड़ जाये और सभी होटल एक जितनी ही खराब हैं और उन होटलों में से एक आपके रिश्तेदार की है, तो आप अपने रिश्तेदार का होटल जाना पसंद करेंगे, ये सोच कर कि शायद रिश्तेदार अच्छे बर्ताव करेगा और अच्छा खाना देगा | लेकिन यदि गैर-रिश्तेदार की होटल बाकी होटलों से कहीं अच्छी है और आपके रिश्तेदार के होटल से भी बहुत अच्छी है, तो लोग वो ही होटल जाना पसंद करेंगे |

ये ही स्तिथि वोट देते समय, कर्मचारियों को चुनने के समय भी आ सकती है |

**2. पक्षपात की सम्भावना चुनने वाले व्यक्ति के विवेकाधीन शक्ति (स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार) के बढ़ने से बढ़ता है और पक्षपात की सम्भावना अधिकारी के मिली-भगत बनाने के अवसर बढ़ने से भी बढ़ता है -**

यदि चुनने वाले / वोट देने वाले व्यक्ति के पास स्वतंत्र निर्णय करने के अधिकार हैं और मिली-भगत बनाने के अवसर हैं, तो अधिक सम्भावना है कि वो व्यक्ति अपना पक्षपात दिखायेगा |

एक मुख्यमंत्री अपना पक्षपात दिखा सके अपने रिश्तेदारों, जाती वाले, रिश्तेदारों आदि को चुन कर इसकी

अधिक सम्भावना है, एक आम-नागरिक की तुलना में क्योंकि मुख्यमंत्री के पास स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिक अधिकार हैं |

सुप्रीम-कोर्ट का जज अपने रिश्तेदार के लिए एक मंत्री को जनता का वकील (सरकारी वकील) बनाने की सिफारिश करने के लिए कहेगा और मंत्री सुप्रीम-कोर्ट के जज को अदालती मामलों में अपने रिश्तेदारों का पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए कहेगा |

---

हमेशा आज के सिस्टम से शुरुवात करनी चाहिए | यदि आप आज का सिस्टम देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जनता के नौकरों के हमेशा अपने स्वार्थ होते हैं | और जनता वही नौकरों के लिए वोट देती है, जिनके स्वार्थ जन-समूह के स्वार्थ के विरुद्ध नहीं जाते |

**B. अल्प-लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं में,** जन-समूह शीर्ष के कुछ जनता के नौकरों के पक्षपात को रोक नहीं सकते और शीर्ष के कुछ लोग गैंग बना लेते हैं और जन-समूह को लूटते हैं |

ये था आज के अल्प-लोकतान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक तरीकों के बारे में, जो दुर्भाग्य से हमारे पास आज हैं |

अभी, **लोकतान्त्रिक प्रक्रियों में** भी कुछ पक्षपात और स्वार्थ होता है, लेकिन ये पक्षपात एक दूसरे को काट देते हैं और जो स्वार्थ आपस में समान रूप से विद्यमान हैं, वे उभर के आते हैं और वे ही लागू किये जाते हैं | ये स्वार्थ जन-समूह के स्वार्थ के विरुद्ध नहीं होते |

**यदि लोकतांतिक प्रक्रियाएँ लागू हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे जनता के नौकर अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि की तरफदारी करते हैं, तो जो जन-समूह को इससे नुकसान होता है, वे आपस में मिलकर उस पक्षपात करने वाले जनता के नौकर को एक निष्पक्ष व्यक्ति से बदल देंगे | इसीलिए, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं में, शीर्ष के लोग जन-समूह को लूट नहीं सकते |**

छोटे स्तर पर, आप लोकतंत्र को एक परिवार की तरह से समझ सकते हैं | परिवार के सदस्य अपने रुचियों को बताते हैं और फिर परिवार का मुखिया निर्णय लेता है, बहुमत परिवार के सदस्यों के रूचि के अनुसार | इसी प्रकार होता है देश का लोकतान्त्रिक सिस्टम |

**C. राष्ट्रिय हित की बात**

असल में, ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है, जब कोई बात या चीज जनसँख्या के एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचायेगी और राष्ट्र के हित को नुकसान पहुंचायेगी |

यदि कोई इस तरह का दावा करता है, तो उसे कोई विशेष ड्राफ्ट जैसे `पारदर्शी शिकयत / प्रस्ताव प्रणाली`, राईट टू रिकाल-जिला शिक्षा अधिकारी, राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री आदि का संदर्भ देना चाहिए और वो पूरी परिस्थिति बतानी चाहिए जिसमें ये लोकतान्त्रिक ड्राफ्ट राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाएंगे | वो व्यक्ति परिस्थितियां देगा और एक-एक करके आपको उनको व्यावहारिक दृष्टि से असंभव साबित करना

चाहिए | इस तरह, आप उसे या कमसे कम दर्शकों को ये मनवा सकते हैं कि ये लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ देश के लिए अच्छी हैं |

और कृपया नोट करें कि ली गयी आम-नागरिकों के राय की गिनती जनता के नौकरों पर बंधनकारी नहीं होगी | इसीलिए जनता के नौकर कोई विशेष परिस्थितियों में जन-समूह के राय के विरुद्ध और राष्ट्र हित में भी निर्णय ले सकते हैं |

ऐसा आज भी होता है, लेकिन आज, जब जनता के नौकरों के पास कोई तरीका नहीं हैं आम-नागरिकों की राय जानने का | इसीलिए, उनके अधिकतर फैसले जाने-अनजाने में जन-विरोधी होते हैं |

**इसीलिए, प्रस्तावित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ पक्षपात कम करती हैं और आज की अल्प-लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ पक्षपात को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं |**

**D. कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए ?**

कृपया कुछ प्रस्तावित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ जैसे पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (टी.सी.पी), राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री, राईट टू रिकाल-मुख्यमंत्री, राईट टू रिकाल-जज, आदि चैप्टर 1,6,7,21 www.righttorecall.info/301.h.pdf में देखें | अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न - www.righttorecall.info/004.h.pdf

इसीलिए कृपया ये लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का प्रचार करें और इनकी मांग करें अपने फेसबुक वाल नोट, वेबसाइट आदि में डाल कर, विज्ञापन, पर्चे आदि देकर , यदि आप असल में हामरे देश के सिस्टम में पक्षपात कम करना चाहते हैं |

==========

कृपया किसी चुनाव का उदाहरण देते समय पूरी परिस्थिति बताएं और ये बताएं कि व्यक्ति के पास क्या वैकल्पिक उम्मीदवार थे वोट डालते समय या चुनने के समय |

अभी, यदि एक हिंदू वोटर वोट करता है एक हिंदू प्रत्याशी के लिए या एक हिंदू व्यक्ति एक हिंदू उम्मीदवार को चुनता है, तो केवल इसी आधार पर उसको पक्षपाती नहीं बोल सकते कि उसने मुसलमान प्रत्याशी के लिए वोट नहीं दिया | हमें ये भी देखना चाहिए कि मुसलमान उम्मीदवार ज्यादा अच्छा और कम पक्षपाती था हिंदू उम्मीदवार के तुलना में, जिसको वोटर ने पसंद किया या मुस्लमान उम्मीदवार हिंदू उम्मीदवार जितना ही बुरा या अच्छा था |

**E. `जो ज्यादा मत पाया वो जीता` (फर्स्ट पास्त थी पोस्ट) सिस्टम का विशेष मामला, मतलब इस सिस्टम में एक व्यक्ति एक उम्मीदवार को वोट दे सकता है**

हमारे देश में `जो ज्यादा माता पाया वो जीता` वोट करने का सिस्टम है | उसमें एक व्यक्ति एक उम्मीदवार को वोट दे सकता है और जो उम्मीदवार एक वोट से भी जीतता है, वो विजेता घोषित किया जाता है |

**इस सिस्टम में, क्योंकि एक वोटर के पास के ही वोट है, वो उस पार्टी के विरुद्ध वोट करता है, जिससे सबसे अधिक नफरत करता है |**

तो, यदि वोटर सबसे अधिक कांग्रेस से नफरत करते है, तो वो कांग्रेस के विरुद्ध वोट करेगा एक ऐसी पार्टी के लिए, जो मानी जाती है कि कांग्रेस के विरुद्ध जीतेगी, जैसे भा.जा.पा., स.पा. आदि | और यदि एक वोटर भा.जा.पा. से नफरत करता है, तो वो भा.जा.पा. के विरुद्ध वोट करेगा ऐसी पार्टी के लिए, जो भा.जा.पा. के विरुद्ध जीत सकती है ऐसी मान्यता हो |

इस तरह, निर्दलीय आदि., पार्टियां जो नयी हैं और जिनकी जीतने की अवधारणा (मान्यता) नहीं है, उनको पर्याप्त वोट नहीं मिलेंगे | **ये सिस्टम नए उम्मीदवारों को दबाता है |**

ये समस्या 800 साल पुरानी है और इसका समाधान भी 800 साल पुराना है, जो कि है `पसंद के अनुसार एक से अधिक प्रत्याशी को वोट`, जहाँ हरेक वोटर एक से पांच उम्मीदवारों को वोट देता है, पसंद के क्रम अनुसार वोट दे सकता है |इस तरह कोई नागरिक-वोटर उस व्यक्ति को वोट दे सकता है, जिसे वो सबसे अधिक उपयोक्त समझता है और उसे भी वोट दे सकता है, जो माना जाता है जीतेगा उसके विरुद्ध जिसको वो नागरिक सबसे अधिक नफरत करता है | इस तरह नए उम्मीदवार और निर्दलीय के जीतने की सम्भावना अधिक हो जाती है इस सिस्टम में |

कृपया चैप्टर 40, www.righttorecall.info/301.h.pdf देखें `पसंद के अनुसार वोट` के लिए |

**F. अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात -**

कृपया नोट करें कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण मिलने वाली किसी जाती, धर्म के केवल शीर्ष के 1% को ही जाता है | क्योंकि नौकरियों या सीटों की संख्या सीमित है, केवल अल्पसंख्यों के सबसे गरीब वर्ग, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई संपर्क, उनको ही आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है |

फिर नेता आरक्षण के वायदे क्यों करते हैं ?

क्योंकि उनको इन अल्पसंख्यकों के उच्च वर्ग से सांठ-गाँठ बनानी होती है | नेता ये सुनिश्चित करते हैं कि इन अल्प-संख्यकों के उच्च वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले और बदले में, ये उच्च वर्ग, जिनका मीडिया या अपने समूह में कुछ प्रभाव होता है, इन नेताओं के लिए प्रचार करते हैं या उनको मीडिया द्वारा प्रचार, धन या कोई अन्य लाभ भी दिलवाते हैं | कहे जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक के पीछे अधिकतर ये ही असली कारण है |

और, उच्च वर्ग जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, वे अपने समूह के निचले वर्ग के लोगों में, नेता की छवि सुधरने के लिए प्रचार करते हैं | हमारे देश में, किसी समूह के निचले वर्ग, उस वर्ग के उच्च वर्ग पर निर्भर रहते हैं, रोज के जरूरतों के लिए | एक बार `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली`, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, जज, अधिकारीयों पर राईट टू रिकाल, जूरी सिस्टम, आदि जैसे लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ आ जाएँगी, तो निचले वर्ग के लोग फिर उच्च वर्ग के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे |

यदि कोई सचमुच रूचि रखता है आरक्षण कम करने के लिए और वो भी गरीब दलितों और अनुसूचित जनजाति के सहमति से तो कृपया चैप्टर 36, www.righttorecall.info/301.h.pdf देखे |

**43) टी.सी.पी. (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली) और राईट टू रिकाल की प्रक्रियाएँ बड़े स्तर के भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे ? क्या यदि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री अपनी नौकरी जाने से नहीं डरें और बड़े स्तर के भ्रष्टाचार जैसे कोयला घोटाला आदि करें और बाद में देश छोड़ कर भाग जायें ?**

मान लीजिए कि कोयला घोटाले में कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री एक भ्रष्ट उद्योगपति को प्रस्ताव देता है कि तुम मुझे 1000 करोड़ जमा दे दो विदेशी गुप्त खाते में और 10,000 करोड़ का कोयला का ब्लाक (खंड) ले जाओ 100 रुपये प्रति टन की रोयल्टी देकर, जबकि बाजार में कोयले की कीमत 2500 रुपये प्रति टन है |

अब राईट टू रिकाल, टी.सी.पी. के आने के बाद ये कैसे बंद हो जायेगा ?

क्योंकि उद्योगपति द्वारा रिश्वत दिया गया पैसा को कोयला ब्लाक से कमाने में काफी समय लगेगा और टी.सी.पी., सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (देखें चैप्टर 5, www.righttorecall.info/301.pdf) आने के बाद आम-नागरिक उद्योगपति से उसको दिया हुआ कोयला ब्लाक छीन सकते हैं और उद्योगपति को बहुत नुकसान होगा | इसीलिए ऐसी प्रक्रिया होने पर उद्योगपति ऐसी रिश्वत नहीं देगा |

दूसरा, टी.सी.पी. द्वारा लोग भ्रष्ट प्रधानमंत्री को फांसी या सजा देने की मांग भी कर सकते हैं और करोड़ों के दबाव द्वारा ये फांसी या सजा हो भी सकती है, तो प्रधानमंत्री सजा के डर से रिश्वत नहीं मांगेगा |

इस प्रकार टी.सी.पी. और सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) आने से बड़े भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेंगे |

**44) क्या `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली` (टी.सी.पी) किसी देश या कहीं और लागू की गयी है ? ये प्रक्रिया पहले छोटे स्तर पर लागू होनी चाहिए और फिर राष्ट्रिय स्तर पर लागू होनी चाहिए |**

नहीं | ये प्रस्तावित प्रक्रिया अभी तक कहीं भी लागू नहीं की गयी है | विकसित देशों में, आम-नागरिकों की स्तिथि इतनी बुरी नहीं है क्योंकि वहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ हैं जैसे जूरी सिस्टम, राईट टू रिकाल, प्रभावशाली संपत्ति-कर, विरासत-कर, आदि | आप किसी मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं इस प्रक्रिया को भारतीय राजपत्र में डालने के लिए और नगर / जिले स्तर पर लागू करवाने के लिए | यदि आप ऐसा करते हैं, तो हम आपका समर्थन करेंगे |

**45) क्या ये राय इकट्ठा करने वाले प्रक्रियाएँ कोई बदलाव ला सकती हैं ? यदि किसी शिकायत या प्रस्ताव के लिए करोड़ों अनुमोदन भी आ जायें, तो क्या अधिकारी या जनता के नौकर मजबूर होंगे कोई कदम उठाने के लिए ?**

ये केवल राय इकट्ठा करने के प्रक्रियाएँ नहीं हैं, ये जनता की राय को साबित करने की भी प्रक्रियाएँ हैं | अधिकारी मजबूर होंगे कोई कदम उठाने के लिए यदि लाखों/करोड़ों अनुमोदन आयेंगे किसी भी शिकायत या प्रस्ताव के लिए और ये साबित करके आम-नागरिक दबाव डाल सकते हैं | अधिकारी कोई उचित कदम उठाएंगे क्योंकि उन्हें नौकरी जाने का डर होगा, सजा होने का डर होगा, उनका नाम खराब होने का डर होगा और ये भी डर होगा कि यदि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर उधम सिंह उचित कदम उठाएगा उनके विरुद्ध |

`पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली` और अन्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ दिशा देती हैं उधम सिंह को उचित कदम उठाने के लिए आम-नागरिकों के अधिकारों के लिए | ये प्रक्रियाएँ ये सिद्ध करती हैं कि जन-समूह की राय क्या है |

उधम सिंह के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रश्न 33 का उत्तर देखें |

# (2) जूरी सिस्टम पर अक्सर पूछे गए प्रश्न

**(1) इसकी क्या गारंटी है कि जूरी-सदस्य , जजों के जैसे बिकेंगे नहीं या उनके जैसे भ्रष्ट नहीं होंगे ?क्या गारंटी है कि जूरी-मंडल के सदस्य, जो चुने जाएँगे वो ईमानदार हों ?**

जूरी सिस्टम में, 15-30 जूरी-सदस्य चुने जाएँगे , 5 लाख से लेकर 110 करोड़ की आबादी में से | क्योंकि ये जूरी-सदस्य के पास एक ही मामला होगा, वो मामला 99 % मामलों में 5-15 दिनों में समाप्त हो जायेगा | तो पहले तो, इसकी बहुत कम संभावना है, कि कोई वकील ऐसा होगा , जो इन 15 जूरी-

सदस्यों का रिश्तेदार होगा या इन जूरी सदस्यों में से 2-4 का भी रिश्तेदार हो | और ऐसे वकील को 15 दिनों में ढूँढना होगा ,जिससे मामले पर प्रभाव डालना और भी मुश्किल हो जाता है |

जूरी-सदस्य हर मामले के साथ बदल जाएँगे | क्योंकि जूरी 10 लाख या ज्यादा के जन-संख्या में से बिना क्रम (अंधा-धुंध तरीके से) चुने जाएँगे, ये गारंटी होगी कि वकील के जूरी-सदस्यों के साथ पहले से कोई संपर्क नहीं होंगे , क्योंकि ऐसा होने की सम्भावना 1000 में से 1 से कम है | जब कि जज सिस्टम में जज और वाकी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं | इसीलिए जज-वकील की मिली-भगत मामला शुरू होने से पहले से ही होती है | और जूरी में ,एक जूरी-सदस्य फिर से जूरी-मंडल में अगले 10 सालों तक दुबारा नहीं आ सकता | इसीलिए वकील या जूरी-सदस्य के लिए कोई "दोहराना" नहीं होगा , जब कि जज सिस्टम में "दोहराना" बहुत ज्यादा होता है |

**(2) जाली / नकली जूरी-सदस्यों के होने की क्या संभावना है ?**

किसी ने भी ऐसा प्रश्न चुनावों के लिए नहीं पूछा | यदि भारत में चुनाव कर सकते हैं, 1% से भी कम नकली मतदान के साथ , तो हम जूरी को भी बिना नकली जूरी सदस्यों के साथ चला पाएंगे |

**(3) क्या संभावना है कि जूरी-सदस्य जज के जैसे मामले लटकायेगा ?**

जूरी सिस्टम में, 15-30 जूरी-सदस्य 5 लाख से 110 करोड़ की जन-संख्या में से चुने जाएँगे | क्योंकि ये जूरी-सदस्यों के पास केवल एक ही मामला होग, 99 % मामले 5 से 15 दिनों में पूरा हो जायेंगे |

एक जूरी के पास केवल एक ही मामला होगा , और इसीलिए मामले की सुनवाई लगातार सुबह 10 बजे से लेकर , शाम को 5 बजे होगी और अगली तारीख दूसरे दिन होगी | इसीलिए वकीलों के पास फ़ालतू के तर्क/दलील , घंटों में या कुछ दिनों में समाप्त हो जाते हैं | और जो सिस्टम मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, उसमें 12 में से 9 जूरी सदस्य यदि मत देकर सहमत हों , तो जूरी-सदस्य किसी मामले में से वकील को निकाल सकते हैं , यदि वकील समय-बरबादी के तर्क/दलील कर रहा है तो और ये धारा , वकील और आसिल / मुवक्किल को समय-बरबादी के तर्क/दलील करने से रोकेगा |

**(4) जूरी-सदस्यों और जजों को गुंडों के जवाबी करवाई / हमले से बचायेगा ?**
**हम को कैसे मालूम होगा कि यदि ताकतवर दुश्मन जूरी-सदस्य या उनके परिवार को शारीरिक नुकसान / हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार उनको जरूरी सुरक्षा देगी (ना केवल दिखावट करेगी) |**

हम अपनी चर्चा जज सिस्टम और जूरी सिस्टम के बीच तुलना तक सीमित रखते हैं और किसी बिना ड्राफ्ट वाले कोई आदर्श से तुलना नहीं करें | और यदि कोई कमी दोनों सिस्टम में हो, तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए | अभी जूरी सिस्टम में भाग लेना , अनिवार्य / जरूरी सेवा है | अभी कुछ संभावना है कि एक अपराधी / गुंडे का साथी ,कोई जूरी-सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा | ये ही बात जज सिस्टम पर लागू होती है | गुंडा जज को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा | अभी आपका प्रश्न है : जूरी-सदस्यों को कौन गुंडों के जवाबी हमलों से बचायेगा ? ये ही प्रश्न जज सिस्टम प् भी लागू होता है: जज को कौन सुरक्षा देगा ? सरकार पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकती है और सरकार/पोलिस अपराधी को सज़ा दे सकती है , अपराध हो जाने के बाद , लेकिन जूरी-सदस्य या जज या किसी और को भी

“सुरक्षा” नहीं दे सकती गुंडों के खिलाफ |

जूरी सिस्टम में, ताकतवर गैंग-लीडर/मुखिया को एक जूरी-मंडल का नहीं ,बल्कि कई सौ जूरी-मंडल का सामना करना पड़ेगा --- एक जूरी-मंडल , उसके खिलाफ हर एक शिकायत के लिए | उदाहरण., एक व्यक्ति जैसे दावूद भाई , जिसके पास 100-200 गुंडे हैं मुंबई में , को 100-200 जूरी के मुकदमों का हर साल सामना करना होगा , उसके खिलाफ या उसके गुंडों के खिलाफ | और दावूद-भाई को इज्जत देते हुए, वो हर साल 2500 जूरी-सदस्यों को धमकी नहीं दे सकता | और जूरी सिस्टम के साथ एक दूसरा क़ानून भी आ जायेगा(`जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव सिस्टम` सरकारी आदेश द्वारा) , जो मैं प्रस्ताव करता हूँ, जिसके द्वारा हम आम-नागरिक जिला पोलिस-कमिश्नर ,जज, मुख्यमंत्री, गृह-मंत्री को बदल सकेंगे |

दावूद-भाई और लतीफ-भाई जैसे गुंडे इसीलिए फलते-फूलते / बढ़ते हैं क्योंकि हाई-कोर्ट के जज, सुप्रीम-कोर्ट के जज, मंत्री और जिला पोलिस-कमिश्नर उनका समर्थन करते हैं | लेकिन जब नागरिकों के पास सुप्रीम-कोर्ट के जज,हाई-कोर्ट जज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, जिला पोलिस-कमिश्नर को बदलने का अधिकार आ जायेग, तो कोई भी अधिकारी गुंडों का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करेगा और फिर दावूद-भाई जैसे गुंडों की ताकत कम हो जायेगी | इस तरह , ये संभव नहीं है कि दावूद-भाई हर साल 2000 जूरी-सदस्यों को धमकी दे सकता है |

सुरक्षा के मुद्दे पर , जूरी सिस्टम जज सिस्टम से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या जूरी सिस्टम में 25,000 गुना ज्यादा है | (एक जज के पास साल में 60 मामले आते हैं, इसीलिए उसके 30 साल के कैरियर में 1800 मामले आयेंगे | जूरी सिस्टम में इन मामलों के लिए 1800x15 = करीबन 25,000 जूरी-सदस्य चाहिए | तो अंदाज से एक जज , 25,000 जूरी -सदस्यों के बराबर है ) | सिसिलिये जूरी सिस्टम में, एक गुंडे को 600-1500 जूरी-सदस्यों को धमकी देना होगा हर साल , जबकि जज सिस्टम में उसे केवल एक जज को ही धमकी देनी होगी | और यदि जज के पास अंग-रक्षक/बॉडी-गार्ड भी हैं ,तो भी जज या उसके परिवार वालों को हर समय सुरक्षा करना संभव नहीं है |

अमेरिका में कितने जूरी-सदस्य मारे गए सज़ा सुनाने के लिए ? कोई नहीं | क्यों ? क्योंकि गैंग टूट जाते हैं, जब भ्रष्टाचार कम होता है ,और बिना गैंग के , संगठित बदला संभव नहीं है |

---

और जूरी सिस्टम में , जो मैंने प्रस्ताव किया है, मैंने एक विचार ,पुराने समय के यूनान के जूरी सिस्टम से लिया है | जैसे अपराध और अपराधी का साइज़/आकार ज्यादा बड़ा होता जाये, जूरी-सदस्यों की संख्या भी बड जायेगी | उदाहरण., पुराने यूनान में बड़े अपराध या प्रभाव-शाली व्यक्तियों के लिए 500 लोगों की जूरी-मंडल होता था | सुकरात के मुकदम्मे के लिए 500 जूरी-सदस्य थे | मैंने पूरा तरीका नहीं बनाया है , लेकिन जो सिस्टम मैंने प्रस्ताव किया है, उसमें बड़े अपराधों के लिए 50 जूरी-सदस्य होंगे और बड़े अपराध , प्रभावी व्यक्तियों द्वारा के लिय, 2-10 जूरी-मंडल होंगे, हरेक जूरी-मंडल में 50 जूरी-सदस्य होंगे |

==========

और अंत में, जो जूरी सिस्टम मैंने प्रस्ताव किया है, जूरी-मंडल का फैसला लोगों के बहुमत द्वारा, `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` द्वारा, रद्द किया जा सकता है | तो यदि बहुमत जूरी-मंडल के खिलाफ है (जिसकी बहुत कम संभावना है,क्योंकि जूरी-सदस्य अंधा-धुंद (क्रम-रहित

) तरीके से, लाखों-करोड़ों नागरिकों में से चुने जाते हैं) , बिना कोई सामना के, बहुमत फैसले को बदल सकता है |

====

इस तरह , सुरक्षा का मुद्दा , दोनों जज और जूरी सिस्टम में है | तो बराबर-बराबर | सरकार केवल ये ही कर सकती है ,कि जज या जूरी-सदस्यों को , जो गुंडों द्वारा चोट पहुंचाए गए हों ,उनको मुआवजा दे | जूरी सिस्टम में, जूरी-सदस्यों को नुकसान पहुँचाना कई गुना ज्यादा मुश्किल / कठिन है | इसीलिए जूरी सिस्टम ज्यादा अच्छा है |

**(5) जूरी-सदस्यों को मानसिक धमकी से कैसे बचा सकते हैं , विशेषकर जूरी-सदस्यों को जो पिछड़े इलाके से आते हैं, बिना जरूरी शिक्षा के ? उदाहरण ., यदि जूरी-मंडल में एक किसान, लोहे की कम्पनी का कर्मचारी,और एक `कालेज का पढ़ा-लिखा , आदि हो |**

हाँ, जूरी-मंडल में हर तरीके के लोग होंते | जूरी सिस्टम में, हर जूरी-सदस्य दूसरे जूरी-सदस्यों को राजी करना चाहेगा कि उसके साथ सहमत हों | तो यदि कोई जूरी-सदस्य ,किसी दूसरे जूरी-सदस्य को धमकी देने की कोशिश करेगा, तो फिर और जूरी-सदस्य उसको सुनना बंद कर देंगे | इसीलिए , ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई जूरी-सदस्य दूसरे जूरी-सदस्य को धमकी दे |

**(6) एक ज्यादा महंगा लेकिन उतना ही प्रभावी तरीका होगा, कार्यवाई की विडियो लेकर , पब्लिक को दिखाना ताकि जनता उसका अच्छे से जांच कर सके और इससे कोर्ट पर इतना दबाव पड़ेगा कि कोर्ट में सुस्ती / झूठी गवाई / रिश्वत देना / पक्षपात धीरे-धीरे कम हो जायेगा |**

जो क़ानून मैंने प्रस्ताव किया है, उसमें सभी कोर्ट के मामलों की विडियो रेकोर्डिंग करनी जरूरी होगी | और वो इन्टरनेट पर दिखाया जायेगा | दूसरे शब्दों में, एक लाख कोर्ट होंगे अभी के 17,000 कोर्ट से बढ़ कर , और हरेक में टी.वी. कमरा होगा ,जो इन्टरनेट से जुड़ा होगा, ताकि भारत में कोई भी कोर्ट का कमरा और सुनवाई लाइव/सीधे देख सके | सुप्रीम-कोर्ट से और हाई-कोर्ट से सीधा प्रसारण एक महीने में शुरू हो सकता है , लेकिन 16,000 से एक लाख निचले अदालतों से सीधा प्रसारण के लिए 4-5 साल लगेंगे |

लेकिन सार्वजनिक (जनता के सामने) खुलासा भ्रष्टाचार और भाई-भातिजेवाद का कोई समाधान नहीं है | क्योंकि हम आम-नागरिकों के पास भ्रष्ट को बदलने का अधिकार नहीं है ,जज,पोलिस खुले-आम रिश्वत लेते हैं और किसी से नहीं डरते | सार्वजनिक खुलासा केवा हमें जानकारी देगी कि हर जज कितना निकम्मा है --- वो समस्या का समाधान नहीं देगा | इसीलिए , हालाँकि मैं सभी कोर्ट से इन्टरनेट पर सीधे प्रसारण का समर्थन करता हूँ, कोर्ट में भ्रष्ट्राचार का समाधान भ्रष्ट को बदलने का नागरिकों का अधिकार और जूरी सिस्टम है और इन्टरनेट पर कोर्ट-टी.वी नहीं |

**(7) न्यायिक सुधार के साथ, हर आदमी के लिए कोर्ट आसानी से पहुँच सकना बहुत जरूरी है | हर जिला-मुख्यालय में एक हाई-कोर्ट की पीठ / बेंच / शाखा होनी चाहिए और राज्य की राजधानी में सुप्रीम-कोर्ट की शाखा होनी चाहिए | एक सुप्रीम-कोर्ट का जज, चाहे वो नई दिल्ली में हो या बेंगलुरू में , सुप्रीम-कोर्ट की शाखा को वो ही फैसला देना चाहिए क़ानून और सत्य / तथ्यों के आधार पर | एक गरीब आदमी या कोई भी आदमी को इतनी दूर दिल्ली क्यों जाना पड़े और अपना पैसा-समय बरबाद करे**

?

ऊपर दी गयी स्थिति में फिर भी ये समस्य होगी कि हाई-कोर्ट जज और सुप्रीम-कोर्ट के जज भ्रष्ट हैं और भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) वाले हैं |

अपील करने की समस्या का मैं जो समाधान प्रस्ताव करता हूँ -

1. पहली सुनवाई जिला-कोर्ट की जूरी करेगी और फैसला देगी |
2. यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है, तो वो मामले को किसी क्रम-रहित चुने गए जिले के महा-जूरी-मंडल के सामने रखेगा | यदि महा जूरी-मंडल, अपील स्वीकार कर लेता है, तब वो मामला क्रम-रहित तरीके से चुने गए 3 जिलों की जूरी के पास जायेगा |
3. आसिल(मुवक्किल) विडियो-कांफेरेंस द्वारा भी हाजिर हो सकते हैं |
4. यदि आसिल(मुवक्किल) एक और अपील चाहता है, तो उसे क्रम-रहित तरीके से चुने तीन राज्यों में से तीन जिलों की महा जूरी-मंडल के सामने अपनी अर्जी रखनी होगी | यहाँ भी वो विडियो कांफेरेंस द्वारा भी हाजिर हो सकता है |
5. यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो वो मामला पूरे देश के 9 क्रम-रहित तरीके से चुने गए जूरी-मंडल द्वारा सुना जायेगा |

दूसरे शब्दों में, मैं हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट को पूरे देश में `फैला` रहा हूँ | भारत में, सबसे ज्यादा सत्ता का जमाव / केन्द्रीयकरण मंत्रियों के पास नहीं , लेकिन हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जजों के पास है | और एक बार, ये सत्ता `फ़ैल` जाये, तो भारत में बहुत सी बुरायाँ कम हो जाएँगी | हाई-कोर्ट के राज्य के राजधानी में होने से उस राजधानी के ऊंचे लोगों को आम-नागरिक, जो पूरे राज्य में हैं, के मुकाबले ज्यादा फायदा मिल जाता है | और सुप्रीम-कोर्ट के दिल्ली में होने से दिल्ली के ऊंचे/विशिष्ट वर्ग के लोगों को भारत के दूसरे नागरिकों पर ज्यादा फायदा मिल जाता है | एक बार हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट , इस तरह से फ़ैल` जाएँगे, तो ऊंचे लोगों को ये फायदा नहीं मिलेगा |

**(8) मौत की सज़ा ज्यादा दी जाती है, उन जगहों पर जहाँ जूरी सिस्टम है कि जहाँ जज सिस्टम है ?**

जूरी सिस्टम में कोई ऐसी कमी नहीं है, जो जज सिस्टम में 10-100 गुना नहीं हो | और रूस में और पूरी दुनिया में ,मौत की सजा उन जिलों में कम है, जहाँ जूरी सिस्टम है | और अमेरिका में भी मौत की सज़ा इसीलिए तब बढ़ गयी , जब जजों ने उन जूरी-दसस्यों को छांटना और निकालना शुरू कर दिया जो मौत के सज़ा के खिलाफ थे !! अमेरिका के जूरी सिस्टम में जज के पास जूरी-सदस्यों को छांटने की बहुत ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन मेरे द्वारा प्रस्तावित जूरी-सिस्टम में जज के पास ये अधिकार नहीं हैं | जूरी सिस्टम मौत की सज़ा के खिलाफ , आज की जानकारी में सबसे अच्छी सुरक्षा है |

**(9) भारत में, फैसला किसी आरोपित पर ,उसके पक्ष में या खिलाफ , जाती, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के अनुसार किया जाता है | हमारा मीडिया भी इसमें अपना योगदान देता है | और, मीडिया के द्वारा लोगों की सोच को प्रभावित किया जा सकता है |**

जूरी सिस्टम अमेरिका,यूरोप के सभी जिलों में एक सामान नहीं है | इसीलिए मैं जवाब मेरे द्वारा प्रस्तावित जूरी सिस्टम के अनुसार दूँगा |

जूरी-सदस्य किसी भी आबादी से क्रम-रहित(अंधा-धुंध) तरीके से चुने जाएँगे | अपराध और अपराधी कितना बड़ा है, उसके अनुसार, जूरी की संख्या 12 से लेकर 100 या ज्यादा भी हो सकती है (पूराने ज़माने के यूनान में जूरी के मुकदमों में 600 जूरी-सदस्य तक होते थे) | ज्यादातर मामलों में जूरी-सदस्यों की संख्या 12-20 होगी | क्योंकि वे क्रम-रहित तरीके से चुने जाएँगे , कोई भी जाती जूरी-मंडल में हावी नहीं होगी |

ये एक मिथ्या / झूठी बात है है कि मीडिया झूठ को सच मनवा सकता है | मीडिया ज्यादा से ज्यादा सचाई को छुपा सकता है | और आसिल (मुवाकील) है, सच्चाई को जूरी-सदस्यों के सामने रखने के लिए |

मेरा दावा है कि जज में ,जूरी-सदस्यों से कहीं ज्यादा भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) और मिली-भगत है और इसीलिए कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है | जबकि जूरी-सदस्यों में मिली-भगत शून्य है, क्योंकि 12-600 जूरी-सदस्य क्रम-रहित तरीके से चुने जाते हैं , लाखों-करोड़ों की जन-संख्या में से | और वकीलों, गुंडों आदि, के साथ मिली-भगत जूरी-सदस्यों में लगभग शून्य है | और मिल-भगत और भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) से भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ जाता है और इसीलिए जज में भ्रष्टाचार जूरी-सिस्टम में भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा है | इसीलिए हमें निचली अदालतों ,हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में जूरी सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए, जज सिस्टम का नहीं | मैंने कभी नहीं कहा कि जूरी-सदस्य तरफदारी / पक्षपात नहीं करते, वो उतना ही पक्षपात करते हैं, जितने कि जज | लेकिन क्योंकि जूरी-सदस्यों की संख्या 12 से 600 होगी , ये पक्षपात आपस में एक दूसरे को काट देगा और इस तरह पूरे जूरी सिस्टम में जज सिस्टम से बहुत कम पक्षपात होगा | लेकिन मुख्य मुद्दा पक्षपात नहीं है- मुख्य मुद्दा भाई-भतिजेवाद, मिली-भगत और भ्रष्टाचार है |

**(10) कृपया अपनी जानकारी ताज़ा करें और बताएं कि भारत में जूरी सिस्टम क्यों समाप्त की गयी थी |**

सुप्रीम-कोर्ट ने नानावटी मामले का बहाना दिया था जूरी सिस्टम को समाप्त करने के लिए | ये एक गलत निर्णय था | जूरी-सदस्यों को पता था कि नानावटी एक हत्यारा है | लेकिन जूरी-सदस्यों ने यदि उसे दोषी करार दिया होता, तो जज ने नानावटी को फांसी दे होती थी | ये उन जूरी-सदस्यों को मान्य नहीं था क्योंकि अपराध (हत्या) गुस्से में आ कर की गयी थी और जिसकी हत्या हुई थी , वो एक शादी-शुदा औरत के साथ शारीरिक संभंध बनाये थे |

उस समय `डी.एन.ऐ ` जांच उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए किसी दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनने का मतलब था एक ऐसे बच्चे का हों, जिसका पिता कोई और हो , और इसीलिए परस्त्रीगमन / व्यभिचार (किसी दूसरे स्त्री / पुरुष के साथ सम्बन्ध) हत्या से जयादा बुरा माना जाता था | और ये देखते हुए कि नानावटी एक सैनिक था और आम-नागरिकों को सैनिकों के लिए इज्जत होती है , उन्होंने फैसला किया कि नानावटी को फांसी नहीं होनी चाहिए | इसीए उन्होंने `निर्दोष` का फैसला सुनाया था |

यदि जूरी-सदस्यों के पास उसे कुछ सालों के लिए कैद करनी की सज़ा सुनाने का अधिकार होता, तो वो ऐसा करते | लेकिन उस समय जूरी-सदस्यों के पास केवल दो ही अधिकार थे : या तो `निर्दोष` करार देना या `दोषी` करार देना | यदि दोषी करार देते, तो जज नानावटी को फांसी दे सकता था , इसीलिए , उन्होंने नानावटी को `निर्दोष` का फैसला सुनाया था |

इसीलिए जूरी-सदस्यों ने सही किया था |

इसीलये हमारे द्वारा प्रस्तावित जूरी सिस्टम में, जूरी-सदस्य ही सज़ा का फैसला करेंगे , जो कोई भी सज़ा हो सकती है, क़ानून में दी गयी सबसे ज्यादा (अधिकतम) सज़ा से कम |

तो नानावटी का मामला ये ही साबित करता है कि जूरी सिस्टम जज सिस्टम से ज्यादा अच्छा है |

---

उस समय भारतीय अदालतों में , जज सभी ऊच-जाती के समर्थक थे और वे चाहते थे कि दलित "अपनी औकात में रहें | " और इसीलिए जूरी में दलित का विचार उनके लिए मान्य नहीं था | 1947 तक, जूरी-सदस्य एक सीमित लिस्ट में से चुने जाते थे (शिक्षा, भूमी की मलिकी आदि एक कसौटी / मानदंड / आधार था ) | 1950 के दशक में, भारत सरकार के पास और कोई रास्ता / विकल्प नहीं था , कि ये लिस्ट में पूरे देश के मतदाताओं को डालने के सिवाय | इसका ये मतलब होगा कि दलित भी जूरी-सदस्य बन सकते थे | तो फिर ऊच-जाती के अंध-भक्त जज इस अधर्म को कैसे स्वीकार कर सकते थे ? ये एक कारण था जूरी सिस्टम को समाप्त करने के लिए |

1950 के दशक का जातिवाद मेरी कल्पना / सोच नहीं है | ये एक कड़वा सच है | अभी भी जज न्यायपालिका में दलितों के खिलाफ हैं ( जज बाला कि नियुक्ति (नौकरी) एक बार रद्द की गयी थी और वो फिर से तभी नियुक्त किया गया था , जब दलित सांसदों और राष्ट्रपति नारायणन खुद ने सयुंक्त राष्ट्र में ये दलितों के प्रति जजों का अत्याचार रखने की मांग का समर्थन किया था )

इसके अलावा, जजों को जूरी सिस्टम में रिश्वत के पैसे से हाथ धोना पड़ता है |

**(11) लेकिन यदि आप को किसी को सज़ा देनी है, तो क्या आप को जूरी-सदस्यों का एकमत निर्णय नहीं चाहिए होगा ? जिसका मतलब कि यदि आप 12 में से एक भी जूरी-सदस्य को रिश्वत दे कर भ्रष्ट कर दें तो , आप हत्या करके भी छूट जाएँगे या आप को त्रिशंकु (अनिश्चित) फैसला मिलेगा |**

अमेरिका में सज़ा होने के लिए सभी 12 जूरी-सदस्यों को `दोषी` का फैसला देना होता है | स्कॉटलैंड में ,जूरी में 15 सदस्य हैं और यदि 15 में से 8 `दोषी` कह दे , तो सज़ा होती है |
अमेरिका में कुछ जगह हैं , जहाँ 12 में से 11 जूरी-सदस्य दोषी बोलते हैं, तो भी सज़ा होती है, लेकिन सज़ा कम होती है |
दूसरे शब्दों में कोई निश्चित नियम नहीं है |

---

जो , जूरी सिस्टम का मैंने प्रस्ताव किया है, उसमें 12 में से 9 जूरी-सदस्य यदि `दोषी` बोलते हैं, तो सज़ा होती है | सामान्य तौर पर, सज़ा देने के लिए जो जूरी-सदस्य की संख्या की आवश्यकता होगी, जिनको दोषी बोलना है = (2/3N +1) ,जहाँ N= कुल जूरी-सदस्यों की संख्या |

जो जूरी-सिस्टम का मैंने प्रस्ताव किया है, उसमें जूरी-सदस्य (और भ्रष्ट, भाई-भातिजेवाद वाले जज नहीं) सज़ा का फैसला सुनायेंगे | तो हरेक जूरी-सदस्य एक संख्या चुनेगा 0 और `सबसे अधिक ` के बीच ( 0 का मतलब `निर्दोष` है और `सबसे अधिक` सबसे अधिक सज़ा है महीनों में , जो उस अपराध के लिए सुनाई जा सकती है ) सभी संख्याओं को घटते क्रम में रखें और शुरू से नौवी संख्या, सज़ा होगी , यदि कुल 12 जूरी-सदस्य हैं या (2/3N =1), यदि कुल `N` जूरी-सदस्य हैं |

**(12) कोर्ट के ऊपर पहले से बहुत से बकाया मामलों का बोझ है | आपका जूरी सिस्टम ,इस बोझ को और बढ़ा देगा |**

जूरी सिस्टम करीब 20 देशों में रहा है , और बकाया मामले , जिन देशों में जुज सिस्टम है , उसमें ज्यादा है | उसके अलावा, गुंडे कोर्ट पर बोझ डालते हैं, ना कि जज सिस्टम या जूरी सिस्टम |

गलत सज़ा होने की संभावना , जज सिस्टम में ज्यादा है क्योंकि यदि दूसरा पक्ष पैसे वाला है, तो वो जजों को रिश्वत दे सकता है , जज के दलाल वकीलों के द्वारा और झूठी सज़ा करवा सकता है | ये खासकर उन मामलों में सच है ,जब आरोपित इतना कमजोर है कि वो हाई-कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता है | (आज अपील करने की लागत इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जिन वकीलों की मिली-भगत होती है जजों के साथ, वो ही मामला दर्ज करा पाते हैं, और ऐसे वकीलों की फीस बहुत ज्यादा होती है | जूरी सिस्टम में कोई मिली-भगत नहीं होती, इसीलिए वकीलों की फीस कम होगी और कमजोर भी अपील कर पायेगा )

**प्रश्न- 12-15 जूरी-सदस्यों के पास एक ही मामला है | तो फिर यदि एक दिन में सौ मामले दर्ज किये जाते है, तो आपको एक दिन में 1200 जूरी-सदस्य चाहिए | यहाँ समय, जगह , वकील और दूसरी सीमाएं होंगी , जिससे दिक्कतें आ सकती हैं |**

जब आपराधियों को सज़ा होती है, तो अपराध का दर / रेट कम हो जाता है और कोर्ट में आने वाले मामलों की संख्या भी कम हो जाती है | इसीलिए, जूरी सिस्टम में , जहाँ संगठित अपराधियों को सज़ा मिलती है, कोर्ट में मामलों की संख्या आना कम हो जाती है |

यदि एक जिला है, जिसमें 15 लाख नागरिक हैं | और आप कहते हैं कि हर दिन, उस जिले में 100 मामले आते हैं या कहें 100x250 = 25,000 मामले हर साल या एक लाख पचीस हज़ार मामले पांच सालों में |(साल में औसत 250 कोर्ट के काम-काज के दिन मानें तो )

फिर ये दो संभावनाएं हो सकती हैं -
क) यदि हर अपराध अलग-अलग व्यक्ति द्वारा किया गया है, इसका मतलब , उस जिले के नागरिकों का 1/12 वां हिस्सा अपराधी है ! ये वास्तविक स्थिति नहीं है |

ख) इसीलये केवल एक ही तरीका है कि हर दिन एक जिले में 100 अपराध के मामले दर्ज होते होंगे, कि वो ही लोग दुबारा-दुबारा अपराध करते हों | इसी को मैं `पेशेवर (करियर) अपराधी` बोलता हूँ | ऐसे अपराधी इसीए बढ़ते हैं क्योंकि छूट जाते हैं और फिर वे हर महीने कई अपराध करते हैं | लेकिन वे छूट इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका जज के साथ सांठ-गाँठ होता है | जबकि जूरी सिस्टम में, ये पेशेवर अपराधी सजा पा कर जेल जाते हैं , क्योंकि हर मामले के साथ जूरी-सदस्य बदल जाते हैं और इसीलिए हर साल हज़ारों जूरी-सदस्यों के साथ मिली-भगत नहीं बना सकते | और जैसे `पेशवर मुजरिम` सज़ा पाते हैं , अपराध और मामलों की संख्या कम हो जाती है |

---

इसीलिए एक जिले में 100 मामलों की स्तिथि कोई भी जूरी सिस्टम वाले देश में नहीं देखी जाती है

| अमेरिका में , जहाँ पश्चिम के देशों में से सबसे ज्यादा अपराध है, वहाँ एक तो अपराध ज्यादा दर्ज होते हैं और भारत में ज्यादातर अपराध दर्ज ही नहीं होते, और अमेरिका में नशा सम्बन्धी अपराध ज्यादा है क्योंकि वहाँ नशे के सामान पर प्रतिबन्ध है | लेकिन अन्य पश्चिम देशों में, जहाँ नशे पर प्रतिबन्ध नहीं है, वहाँ, अपराध का स्तर गिर रहा है और जेल बंद हो रहे हैं , कैदियों की कमी के कारण |

**(13) क्या जूरी सिस्टम आज के जातिवाद के चलते सफल होगा ?**

पहले , हमें जज सिस्टम और जूरी सिस्टम की आपस में तुलना करनी चाहिए | जज उतने ही जातिवाद हैं ,जितने की आम-नागरिक ,और जज सिस्टम कोई जातिवाद का समाधान नहीं है | इसके अलावा, जज सिस्टम में बड़े पैमाने/स्तर पर भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) है ,जो जातिवाद से ज्यादा बुरा है | जूरी सिस्टम में कोई भी भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) संभव नहीं है |

अभी ,मान लीजिए 20 जूरी सदस्य 10 लाख बड़े उम्र के नागरिकों के समूह से क्रम-रहित (अंधा-धुंध) तरीके से चुने जाते हैं , और कोर्ट में हर पक्ष 2 जूरी-सदस्यों को निकाल देती है, ताकि अंत में केवल 12 मुख्य जूरी-सदस्य और 4 अतिरिक्त / एक्स्ट्रा /स्टैंडबाय बचते हैं | अभी ये 12 जूरी-सदस्य सभी जातियों से आयेंगे | और 10 लाख बड़े नागरिकों के क्षेत्र में, (मतलब कि उस क्षेत्र की कुल जन-संख्या 15 लाख होगी ) , कोई भी जाती 20% से ज्यादा नहीं होगी और हर प्रधान जाती , उप-जाती में बंट जाती है और जाती की चेतना / होश खो जाती है |

तो, यदि शिकायत करने वाला और मुजरिम दोनों अलग जाती के हैं, तो जूरी-सदस्य भी सभी जाती के होंगे और बुरी से बुरी स्थिति में , दोनों पक्ष एक दूसरे के जाती के जूरी-सदस्यों को निकाल देंगे और 12 जूरी-सदस्य उन जातियों के होंगे, जो न तो शिकायत करने वाले और ना ही मुजरिम के पक्ष के हैं |

तो जातिवाद का जूरी सिस्टम पर कम असर होगा , जज सिस्टम के मुकाबले |

---

बहुत सारे अपराध जमीन के विवाद के नतीजे होते हैं| असल उदाहरण के लिए , एक अहमदाबाद में अमृत पटेल नाम का बिल्डर / निर्माता था | उसके काम करने का तरीका इस प्रकार था :

क) मान लीजिए वो चाहता है किसी प्लाट के मालिक को अपने प्लाट को बेचने के लिए मजबूर करने के लिए, क्योंकि उस प्लाट-मालिक का प्लाट अमृत पटेल के लिए फायदे वाला है (जैसे कि वो प्लाट अमृत के प्लाट के बगल में है )

ख) अमृत पटेल पोलिस-वालों आदि को बोलेगा कि उस प्लाट के मालिक के खिलाफ झूठा मामला लिखवाये |

ग) फिर अमृत पटेल स्थानीय जज को रिश्वत देगा उसके दलाल या रिश्तेदार वकील के द्वारा और जज प्लाट के मालिक को सज़ा देने की धमकी देगा , अगर वो प्लाट बिल्डर को बेच नहीं देता है तो |

ऐसे सौदे जज सिस्टम में संभव होते हैं, क्योंकि निचली अदालतों के जज 2-4 सालों के लिए एक ही क्षेत्र में होते हैं , और अगला जज उसी राज्य में से होता है, किसी आस-पास के क्षेत्र से(अगला जज आस-पास के क्षेत्र से होने से , उसके और पहले वाले जज के बीच विश्वास और मिली-भगत बनना आसान हो जाता है ) , और हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जज एक ही क्षेत्र में और भी ज्यादा समय के

लिए रहते हैं | और हर जज के कुछ 5-10 रिश्तेदार वकील होते हैं, जो बेसब्री से अमीर बिल्डर, अमीर अपराधी आदि ., खोज रहे होते हैं, जो उनको पैसे दे सकें, कुछ उपकार के बदले |
लेकिन ऐसे सौदे जूरी सिस्टम में संभव नहीं हैं, जहाँ हर मामले के बाद जूरी-सदस्य बदल जाते हैं |

**(14) जूरी सिस्टम ज्यादा अच्छा चलेगा यदि जूरी-सदस्य अच्छे से चुने जायें |**

जूरी सिस्टम कोई भी दुनिया के आज तक के जज सिस्टम से कहीं ज्यादा अच्छा है , केवल इसीलिए क्योंकि जूरी-सदस्य क्रम-रहित (अंधा-धुंध) तरीके से चुने जाते हैं, जिले/राज्य/देश के पूरी जन-संख्या से | ये एक संगठित अपराधियों के गैंग को मजबूर कर देती है कि उनको, हजारों-हजारों जूरी-सदस्यों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट में , और ये उनके लिए भविष्यवाणी करना असंभव होता है कि कौन अगले मामले में जूरी-सदस्य होंगे , और इसीलिए वो पहले से ही जूरी-सदस्यों से मिली-भगत नहीं बना सकते | "तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करता हूँ" जूरी सिस्टम में संभव नहीं है, जब कि जज सिस्टम में निश्चित है |

**प्रश्नकर्ता- अमेरिका में, जूरी क्रम-रहित (अंधा-धुंध) तरीके से चुनी जाती है | हमें पता है कि यदि जूरी `क्रम-रहित` तरीके से भारत में चुनी जाये, तब भी उसमें वे सारे लोग हों जो, जज / सिस्टम चाहते हो |**

जब चुनाव एक स्थूल ( आखों से देखे जा सकने वाले) तरीके से किया जाता है , जैसे 10 अंधे व्यक्ति महा-जूरी-सदस्यों के सामने पांसा फेकना , तो भगवान भी नहीं बता सकते कि कौन जूरी-मंडल में चुना जायेगा | अमेरिका में जूरी सिस्टम कमजोर हो गया है क्योंकि जज 200 जूरी-सदस्यों तक को बुलाते हैं और उनका साक्षात्कार / इंटरवीयू लेकर 150 जूरी सदस्यों तक को निकाल देते हैं | इससे जज ताकतवर होते हैं और आसानी से सिस्टम में आसानी से छेड़-छाड़ और हेर-फेर कर सकते हैं |

जो जूरी सिस्टम मैंने प्रस्ताव किया है, उसमें केवल 20 जूरी-सदस्य होंगे और कोर्ट में हर पक्ष 2 को निकाल देगा और बाकी 16 जूरी-सदस्य होंगे , जिनमें से 12 मुख्य जूरी-सदस्य होंगे और 4 अतिरिक्त / एक्स्ट्रा जूरी-सदस्य होंगे | इनमें यदि ज्यादा जूरी-सदस्यों की आवश्यकता होगी तो भी इसी फोर्मुले द्वारा चुनाव किया जायेगा |

**प्रश्नकर्ता- हम एक भरोसे वाला जूरी सिस्टम कैसे बना सकते हैं ?**

जूरी सिस्टम जहाँ जज के पास कम से कम अधिकार / नियंत्रण / कंट्रोल है , ऐसे सिस्टम से भगवान भी छेड़-छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं | और जजों को और कमजोर बनने के लिए , मेरा प्रस्ताव है है कि जजों को बदलने का अधिकार आम-नागरिकों को होना चाहिए |

**प्रश्नकर्ता- बहुत अच्छा विचार है .... लेकिन भारत के नेता इस सिस्टम को भी धोखा देने का तरीका निकाल लेंगे |**

एक बार मैंने, मेरे एक ग्राहक के लिए कोड बनने का एक सिस्टम बनाया | लेकिन मेरे ग्राहक को संदेह था --- क्या कोई सुपर कंप्यूटर के साथ , इसका पास-वर्ड नहीं तोड़ सकता है ? मैंने कहा," देखो , यदि वो एस कर सकता है, तो वो बैंक का पास-वर्ड और सुरक्षा भी तोड़ सकता है , औरइसीलिए वो तुम्हारा सस्तें तोड़ने की नहीं सोचेगा, वो बैंक के सिस्टम को तोड़ने का सोचेगा| ' उसको विश्वास हो गया

|

यदि भारत के नेता जूरी सिस्टम को तोड़ सकते हैं, तो वे भारत छोड़ कर अमेरिका में बस गए होते , और अमेरिका को अभी तक लूट लिया होता | वे अमेरिका गए नहीं है और अमेरिका के जूरी सिस्टम को अभी तक तोड़ा नहीं है, क्योंकि अच्छे जूरी सिस्टम को तोड़ना, भगवान की भी बस की बात नहीं है , क्योंकि जूरी-सदस्यों का चुनाव बड़े जनसंख्या से क्रम-रहित (अंधा-धुंध) तरीके से होता है |

---

**(15) जजों का चुनाव , आम-नागरिकों द्वारा एक मूर्खता है | क्या आप सोच सकते हैं कि अनपढ़ लोग क़ानून की बारीकियों को समझ पाएंगे ? और यदि आप एक सीमित मतदाताओं को ये अधिकार देंगे, तो फिर किसाधर पर ये अधिकार दिए जाएँगे ?**

नहीं, सीमित मतदाताओं को ही ये जजों को चुनने का अधिकार नहीं दिया जायेगा, मैं सभी मतदाताओं को ये अधिकार देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ |

आप को हम अनपढ़ , आम-नागरिकों का अपमान करन अच्चालागता है , सही है ? आप कहते हैं कि मूर्ख लोग कैसे फैसला कर सकते है कि कौन जज होना चाहिए ? क्या केवल पढ़े-लिखे लोग , जैसे जज, वकील , आदि ही क़ानून की बरिकोइयाँ समझ सकते हैं? क्या हम आम-नागरिक क़ानून नहीं समझ सकते ? क़ानून तो अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं | क़ानून केवल सामान्य-ज्ञान है | क़ानून पढ़ना और बनाना, वकीलों, जजों का काम नहीं है, आम-नागरिकों का है |

---

अमेरिका के टेक्सास में, 1870 से सभी जज, मेजिस्ट्रेट से टेक्सास के हाई-कोर्ट के जज तक, सभी का चुनाव किया जाता रहा है | और 1870 के टेक्सास से आज के भारत में पढ़े-लिखे लोग ज्यादा हैं | अमेरिका में, एक शताब्दी से ज्यादा के लिए, 50 में से 20 राज्यों में चुनाव द्वारा जज बनाये जाते रहे हैं | और जिला पोलिस-कमिश्नर भी चुने जाते हैं | और अद्धे से ज्यादा दण्ड-अधिकारी अमेरिका में एक शताब्दी से ज्यादा चुने जाते हैं | आपके दलील के अनुसार, अमेरिका अभी तक एक नर्क बन चाहिए था | लेकिन क्या क्या सच्चाई आपके दलील के अनुसार है ? ऐसा क्यों है कि जहाँ जजों का चुनाव होता है, वहाँ विकास है, बजाय कि जहाँ जजों की नियुक्ति / अपोइंट-मेंट होती है ?

---

चुनाव की प्रक्रिया भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) से मुक्त है | गुजरात के हाई-कोर्ट को लें | वहाँ 32 हाई-कोर्ट जज हैं, जिसमें से 16 बनिया और ब्राह्मण हैं , सभी इसीलिए जज हैं , क्योंकि उनके पिता या चाचा जज या नागरिक दंडाधिकारी थे या अच्छे वकील थे | चुनाव बहुत जरूरी है, न्यायपालिका में ये फैला-हुआ, भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) को समाप्त करना है तो |

और यदि जज को बदलने का आम-नागरिकों का अधिकार होता है, तो वो कम निकम्मा होगा एक नियुक्त/तैनात किया हुआ जज से , जो आम-नागरिकों द्वारा न निकाला जा सके |

. ----------

**प्रश्नकर्ता- जज को सांसद द्वारा निकालने की प्रक्रिया / तरीका कठिन बनाई गयी है ,जिससे सांसद इसका दुरुपयोग / बुरा उपयोग ना कर सके | जज के निकालने की प्रक्रिया को आसान बना कर , आप न्यायपालिका को सांसद द्वारा दुरुपयोग करना आसान बना रहे हैं |**

जज को निकालने के लिए सांसद के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए | स्थानीय जज या सुप्रीम-कोर्ट के जज को निकालने / बदलने का अधिकार केवल हम आम-नागरिकों के पास होना चाहिए ,और किसी के पास नहीं |

जजों के लिए ये प्रक्रियाएँ होनी चाहिए -

क) प्रक्रिया जिसके द्वारा हम आम-नागरिक सुप्रीम-कोर्ट के जज, हाई-कोर्ट के जज और स्थानीय जज को निकाल / बदल सकें |
ख) 5 सबसे सीनियर / बड़े जजों का राष्ट्रिय स्तर पर हम आम-नागरिकों द्वारा चुनाव होना चाहिए |
ग) बाकी जजों का लिखित परीक्षा द्वारा नौकरी पर रखा जाना चाहिए |
घ) स्थानीय कोर्ट में , हाई-कोर्ट में और सुप्रीम-कोर्ट में, कोई भी मामले में, फैसला - सज़ा या/और जुर्माना जूरी-सदस्य द्वारा दिया जाना चाहिए ,ना कि जजों द्वारा

जज सिस्टम में स्वभिविक रूप से भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) है | और इसीलिए जज को फैसला देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल जूरी-सदस्यों को ही फैसला दिए जाने का अधिकार होना चाहिए , सभी स्तरों पर | और जजों को जाओं को नियुक्ति (नौकरी पर रखने) का अधिकार नहीं होना चाहिए , क्योंकि इससे बड़े स्तर पर भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) होता है |

**प्रश्नकर्ता- एक जज के पास कानूनी कुशलता ,फैसला करने की क्षमता और इमानदारी होनी हहिये , जिसका एक राष्ट्रिय चुनाव द्वारा फैसला नहीं किया जा सकता है | चुनाव में ये सभी मुद्दों पर कभी बात नहीं होती | एक आम-नागरिक में इतनी क्षमता नहीं है कि वे किसी के कानूनी ज्ञान के बारे में कैसे फैसला दे सकें, इसीलिए जजों के लिए चुनाव बेहूदा है |**

इमानदारी के बारे में बात करते समय, हम जजों को नेताओं से क्यों तुलना करते हैं ? हम जजों की तुलना जूरी-सदस्यों से करें , तो पता चलेगा कि जज कितनी बुरी तरह से फेल हो जाएँगे | कोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि फैसला देने वालों का पहले से वकीलों, मुजरिमों , ऊच वर्ग के लोगों या किसी और के साथ मिली-भगत नहीं हो | कृपया , इस मुद्दे पर जज और जूरी-सदस्यों की तुलना करें | कितने जजों का अपने रिश्तेदार वकीलों के साथ मिली-भगत है ? कितने वकीलों और ऊंचे वर्ग के लोगों की मिली-भगत है ? इसके विपरीत, जूरी-सदस्य और वकीलों की मिली-भगत कभी सुनी नहीं जाती है और किसी भी जूरी सिस्टम के विरोधी ने एक भी मामला , जूरी-सदस्यों में भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) का बताया है |

और यदि , क़ानून का ज्ञान इतना जरूरी है, तो सुप्रीम-कोर्ट के जज, हाई-कोर्ट के जजों को नौकरी पर रखते समय क्या लिखित परीक्षा लेते हैं ? कोई नहीं | यदि क़ानून का ज्ञान इतना जरूरी है, तो जज क्यों नहीं लिखित परीक्षाएं देते ? क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगे, तो वे अपने रिश्तेदारों को जज की नौकरी पर नहीं रख पाएंगे |

**प्रश्नकर्ता- आप को ऐसा क्यों लगता है कि लोग अपने वोट , उम्मीदवारों के जाती, धर्म आदि को देखे बिना करेंगे ?**

अमेरिका में टेक्सास में, आम-नागरिक जजों को 100-120 सालों से जजों का आम-चुनाव कर रहे हैं |

आप कहते हैं कि हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जज यदि आम-नागरिकों द्वारा चुने गए ,तो वो जाती, धर्म आदि पर होगा | तो क्या अपोइंत्मेंट की प्रक्रिया / तरीका , इसको कम कर देगा | लोगों को नियुक्त करने में भी ये दोष हो सकते हैं | उससे बुरा कि , उसमें भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) (रिश्तेदारों की तरफदारी) हो सकता है |

और आपका जातिवाद के बारे में विचार सही नहीं हैं | मान लीजिए , पूरा राज्य 10 हाई-कोर्ट के जजों का चुनाव करता है ,जहाँ हर मतदाता के पास 10 वोट हैं | अभी हर जाती के पास किसी भी राज्य में राज्य के कुल जन-संख्या का 51% नहीं है | ज्यादा से ज्यादा, किसी जाती के पास 20% की संख्या है, और वो भी उप-जातियों में बंटी हुई है |दूसरे शब्दों में, जहाँ चुनाव-क्षेत्र बड़ा है, जातिवाद कोई मुद्दा नहीं होता | इसीलिए यदि हाई-कोर्ट के जज पूरे राज्य द्वारा चुने जाते हैं, तो जातिवाद की ना के बराबर भूमिका होगी |

**प्रश्नकर्ता- असल में, जज चुनने की प्रक्रिया / तरीके से समय और पैसे की बरबादी होगी और दूसरे गलत बर्ताव भी होते हैं , चुनावों के समय |**

चुनाव महंगे इसीलिए है क्योंकि चुनाव कमिश्नर, चुनाव करवाने के बेकार तरीके का प्रयोग करता हैं | नहीं तो, चुनाव कि लागत, आज के समय की लागत से आधी या एक तिहाई भी की जा सकती है | और भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) से होने वाला फायदे , लागत से कहीं ज्यादा होंगे | न्यायपालिका में रिश्वत-खोरी यदि देखें, वो चुनावों के लागत से कहीं ज्यादा है |

**प्रश्नकर्ता - जैसे मैंने कहा है, भाई-भतिजेवाद को पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता है | जब तक किसी को चुनने का अधिकार है, तो वो व्यक्ति अपने खुद की पसंद के अनुसार ही निर्णय करेगा |**

कृपया बताएं कि भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) कैसे संभव है जब 10 लाख आम-नागरिक एक स्थानीय जज का चुनाव करेंगे या 5 करोड़ गुजराती , गुजरात का हाई-कोर्ट जज चुनेंगे | क्या कोई लाखों-करोड़ों आम-नागरिकों का रिश्तेदार हो सकता है ?

इतना काफी होगा कहना कि हाई-कोर्ट के चुनाव की प्रक्रिया / तरीका, हाई-कोर्ट जजों में फैला-हुआ भाई-भतिजेवाद जो आज हम देखते हैं, को समाप्त करेगा |

**प्रश्नकर्ता- इंटरवीयू / साक्षात्कार चयन का सबसे जरूरी हिस्सा है, चाहे वो आई.ऐ.एस , आई.आई.एम. में हो, या एन.डी.ऐ. में | हां , मैं मानता हूँ कि इंटरवीयू काफी समय छांटने का साधन बन जाता है, जब इंटरवीयू लेने वाले को किसी विशेष तरह के व्यक्ति के लिए नफरत हो | लेकिन इंटरवीयू के फायदों को नकारा नहीं जा सकता |**

केवल पसंद या नापसंद की बात नहीं है | उच्च-जाती के लोग `आई.ऐ.एस`, `आई.आई.एम` और दूसरे कालेजों में इंटरवीयू को दलितों को छांटने के लिए प्रयोग करते हैं और भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों

की तरफदारी) के लिए करते हैं | न्यायपालिका में , जज इंटरवीयू द्वारा `वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर वकील)` का शीर्षक (टायटल) देते हैं  और ये भी बड़े स्तर पर भाई-भातेजेवाद का साधन बन गया है |

---

वो तरीका , जिसमें सबसे कम गलत बर्ताव हैं, वो लिखित परीक्षा हैं , बिना इंटरवीयू के | इंटरवीयू नर्क हैं और सभी गलत बर्तावों की जन्मदाता हैं - जातिवाद, छांटना, भाई-भतिजेवाद, भ्रष्टाचार, आदि, .... आप जो सोचें | लेकिन लिखित परीक्षा के अलावा, चुनाव में सबसे कम गलत बर्ताव है , इंटरवीयू और नियुक्ति / तैनाती (नौकरी पर रखना ) से बहुत कम |

कारण, क्यों नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक-बुद्धिजीवी-ऊंचे लोग अल्प-लोकतांत्रिक (कुछ ही लोगों को अधिकार मिलना ) तरीके , जैसे एक जज, दूसरे जज को नियुक्त/तैनात करना ; और लोकतान्त्रिक सिस्टम (सभी लोगों को अधिकार) का विरोध करते हैं , इसीलिए ताकि वे पब्लिक (सरकारी) जमीनों , खदानों और अन्य अर्ध-प्राकृतिक अल्पाधिकार ( वो क्षेत्र जहाँ कई सौ खिलाड़ी नहीं हो सकते है ) जैसे दूरसंचार/फोन, बिजली, रोड आदि को नियंत्रण/कंट्रोल कर सकें |

**(16) आपकी संविधान के बारे में समझ बताएं | नागरिक फैसले कैसे दे सकते हैं ?**

मैं अपनी सामान्य तौर पर संविधान की समझ बताता हूँ | संविधान के पहले कुछ शब्द (“ हम , भारत के लोग...”) से ये साफ़ हो जाता है, कि भारत में , सभी राज्य, राष्ट्र और संविधान के अधिकार हम 120 करोड़ आम-नागरिकों के पास हैं , और उन आम-नागरिकों के नौकर जैसे सुप्रीम-कोर्ट के जज, हाई-कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि कुछ अधिकार का प्रयोग केवल और केवल हम आम-नागरिकों के सहमति , इच्छा/पसंद और खुशी से  करेंगे |

संविधान इस सत्य को कुछ शब्दों का हवाला देते हुए , फिर से पक्का करता है -

क) राजनीतिक न्याय

ख) लोकतांत्रिक

ग) गणतंत्र

घ) समानता

ये सभी शब्द दृढ़ता-पूर्वक / निश्चित से ये कहते हैं कि आम-नागरिकों के नौकर या एजेंट , जैसे सुप्रीम-कोर्ट, हाई-कोर्ट जज,प्रधानमंत्री, आई.ऐ.एस (बाबू), पोलिस-कर्मी, आदि अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक आम-नागरिक उनको बदलना / हटाना नहीं चाहें | इसीलिए प्रधानमन्त्री , मुख्यमंत्री, हाई-कोर्ट के जज, सुप्रीम-कोर्ट के जज, आई.ऐ.एस (बाबू), पोलिस-कर्मी आदि को बदलने / निकालने का अधिकार निहित (छिपी हुई) है , भारत के संविधान में, जो कि हम आम नागरिकों द्वारा अर्थ लगाया जायेगा |

ये शब्द “ राजनैतिक न्याय” और “समानता” बताते (सूचित करते) हैं और सिद्ध करते हैं कि हर एक व्यक्ति का संविधान का अर्थ लगाना / व्याख्या का कुछ मूल्य होगा | इस कारण , यदि आम लोगों का बहुमत सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले को असंवैधानिक बोलते हैं, तो वो फैसला भले ही 24 सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा वैध घोषित किया गया था, फिर भी वो फैसला  असंवैधानिक और व्यर्थ हो जाता है | दूसरे शब्दों में , सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य तभ है जब तक कि हम आम लोग उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर देते |

---

केवल समस्या है --- प्रक्रियाओं का अभाव | लेकिन प्रक्रिया के अभाव से अधिकारों का अभाव का मायना/अर्थ नहीं है | इसका यही मायना है कि हमें एक अधिनियम/सरकारी आदेश की जरुरत है एक प्रक्रिया बनाने के लिए जिसके द्वारा संविधान का अर्थ लगाना `हम आम` लोगों द्वारा किया जा सके | इसका ये मतलब नहीं कि `हम आम लोगों ` द्वारा अर्थ लगाना जजों द्वारा अर्थ लगाने से निम्न है | और मेरा एक उद्देश्य है कि इस इस प्रक्रिया की कमी को पूरा करना , ऐसे प्रक्रियाएँ ला कर जीसे हम अपने संविधान के हमारे नौकरों/एजेंटों को बदलने/निकालने के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं |

मैं इन पदों के लिए सीधे चुनाव का प्रस्ताव करता हूँ-

1) सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज
2) हाई-कोर्ट के प्रधान जज
3) जिलों के प्रधान जज
4) प्रधानमंत्री
5) मुख्यमंत्री
6) महाह्पौर (मेयर)
7) सांसद
8) विधायक
9) पार्षद
10) जिला पोलिस-कमिश्नर

नीचे लिखे हुए पदों पर लिखित परीक्षाओं पर नियुक्ति / तैनात होना चाहिए -
1) एक लाख स्थानीय जज
2) क्लर्क
3) जिला पोलिस-कमिश्नर
आदि |

सभी बीच के स्तर के पद-अधिकारी को उनके सेवाओं और परीक्षाओं में प्राप्त नंबरों के आधार पर तरक्की देनी चाहिए |
तो रेलवे के क्लर्कों को चुनने की जरूरत नहीं है, यदि उनके चुनाव के लिए लिखित परीक्षाएं हों तो | उनके लिए जूरी-आधारित तरीका होना चाहिए उनको निकालने के लिए |

इन पदों को नियुक्त / तैनात करना चाहिए, लेकिन हम आम-नागरिकों को निकालने/बदलने का अधिकार/तरीके होना चाहिए |

1) गृह-मंत्री

2) जिला शिक्षा अधिकारी
3) रिसर्व बैंक का गवर्नर (मुखिया)
4) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम-कोर्ट के जज, हाई-कोर्ट के जज
आदि |

---

ज्यादातर आम-नागरिकों का ये मानना है कि न्यायपालिका में भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों में तरफदार) आसमान जितनी ऊंची है , राजनीति से भी ज्यादा | लेकिन ऐसा नहीं कि नेताओं में कम भाई-भतिजेवाद है , लेकिन चुनावी के तरीकों से भाई-भतिजेवाद कम हो रही है , नेताओं में | उदाहरण के लिए , मोदी एक छोटे शहर के छोटे किराने का व्यापारी का बेटा है | इनकी तुलना के पदों वाले , हाई-कोर्ट के जज देखें | सभी वकीलों के परिवारों से आते हैं | और ये सत्य बहुत कुछ बताता है --- आम-नागरिकों के बच्चे मुख्यमंत्री, `आई.ऐ.एस.`, बन सकते हैं , लेकिन हाई-कोर्ट के प्रधान जज और सुप्रीम-कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं |

कोई एक-आध अपवाद/छूट हो सकता है, जैसे सुप्रीम-कोर्ट के जज बाला, लेकिन वो 1992 के पहले था जब हाई-कोर्ट के जज मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त/तैनात किये जाते थे , ना कि हाई-कोर्ट के प्रधान जज द्वारा और इस लिए आम-नागरिक अंदर आ सकते थे | लेकिन 1992 के बाद, जजों ने जजों को नियुक्त / तैनात करना शुरू कर दिया , और न्यायपालिका में , जजों के बच्चों और उनके करीबी दोस्तों के बच्चों के लिए 100% आरक्षण हो गया | न्यायपालिका , खुद एक जाती में तेजी से बिगड़ कर बदलती जा रही है |

---

और निचले अदालतों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है | हाई-कोर्ट के जज और सुप्रीम-कोर्ट के जज इस समस्या को ठीक क्यों नहीं कर रहे ? क्योंकि, असल में निचली अदालतों के जजों का एक बड़ा हिस्सा , हाई-कोर्ट के जाओं के रिश्तेदार हैं | इसीलिए कोई आशा नहीं है कि हाई-कोर्ट के जज , निचली अदालतों में भ्रष्टाचार कम भी करेंगे |

---

और `आई.ऐ.एस`(बाबूओं) में भ्रष्टाचार , केवल इसीलिए बड़ा है क्योंकि जजों ने भ्रष्ट आई.ऐ.एस को सज़ा नहीं दी है |

जब तक कोर्ट को सुधार नहीं जाएगा , तब तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सुधेरेगा | और हम कोर्ट को कैसे सुधर सकते हैं, जब सुप्रीम-कोर्ट के जज भ्रष्ट है , भाई-भातिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) वाले हैं | इसी तरह हाई-कोर्ट के जज हैं | नेता और आई.ऐ.एस कोई खास अच्छे नहीं हैं |
तो केवल एक ही रास्ता है कि हम आम-नागरिक स्थिति को अपने हाथों में लें | दंगे करके नहीं, लेकिन आम-नागरिकों के `हाँ`/`ना` के दर्ज करने के अच्छे तरीकों द्वारा भ्रष्ट को निकालना/बदलना |

---

नहीं तो , यदि सुप्रीम-कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों पर , और बुद्धिजीवी, नेता, आई.ऐ.एस (बाबू) ., आदि पर छोड़ दिया जाये , तो हम एक और पकिस्तान बन जाएँगे और फिर अमेरिका के गुलाम बन जाएँगे |

## (17) जूरी सिस्टम में भी जज सिस्टम के समस्याएं हो सकती हैं ?

ये बात सही नहीं है | जूरी सिस्टम पर भाई-भात्रिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफार) और मिली-भगत का कोई भी प्रभाव नहीं होना साबित हो चुका है, जबकि 99% जज , पश्चिमी देश और सभी देशों में, भाई-

भतिजेवाद और मिली-भगत वाले साबित हो चुके हैं | भारत में भी जब जूरी सिस्टम था, तो एक भी भाई-भतिजेवाद या मिली-भगत का मामला नहीं था , जबकि जज सिस्टम व्हुरुवात के दिनों से ही भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) वाला रहा है , उदाहरण., पी.एन.भगवती हाई-कोर्ट के जज तभी बन पाये थे क्योंकि उनके पिता सुप्रीम-कोर्ट के जज थे |

---

राजनीति में अपराधियों का भर जाना , न्यायपालिका में भाई-भतिजेवाद और भ्रष्टाचार के कारण हुआ है | जजों ने स्थानीय मुजरिमों का समर्थन किया है क्योंकि वे बहुत पैसा दे रहे थे जजों के रिश्तेदार वकीलों को | इसीलिए जजों ने ये अपराधियों का समर्थन किया और ये अपराधी ज्यादा ताकतवर बन गए और बाद में राजनीति में आ गए |

और हम आम-नागरिक जजों को मुजरिमों/गुंडों का समर्थन करने से नहीं रोक सके क्योंकि हम आम-नागरिकों के पास जजों को बदलने/निकालने का अधिकार नहीं है |

इसीलिए आप की बात कि जजों को निकालने/बदलने का आम-नागरिकों के अधिकार से समाज में अपराधी बढ़ेंगे बिलकुल गलत है , जबकि इसका उल्टा सही/सत्य है | कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आम-नागरिक भ्रष्ट जज को बदल सकें , जिससे समाज में अपराधियों की ताकत बढ़ती जा रही है |

**(18) प्रधान-मन्त्री / मुख्यमंत्री कोर्ट की संख्या क्यों नहीं बढाते ?**

जब तक कि सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज और हाई-कोर्ट के प्रधान जज कोर्ट की संख्या को बढ़ाने की मांग नहीं करते, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोर्ट की संख्या बढ़ा नहीं सकते | और जब भी सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज और हाई-कोर्ट के जजों ने कोर्ट के संख्या बढ़ाने के लिए कहा , तो कुछ ही हफ़्तों या महीनों में, प्रधान-मंत्री / मुख्यमंत्री ने इसको पूरा किया है | इसीलिए यदि कोर्ट की संख्या कम है , तो इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज , हाई-कोर्ट के प्रधान जज , सुप्रीम-कोर्ट के जज और हाई-कोर्ट के जज हैं |

क्या आप फिर भी कहेंगे कि ऐसे हाई-कोर्ट के प्रधान जज अपने पदों पर बने रहें कि निकाल दिए जायें ?

**(19) जज कैसे नियुक्त / तैनात होते हैं ?**

ये लिंक देखें-
http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b1-14.htm

1992 से पहले , प्रधानमंत्री और सांसद राष्ट्रपति को निर्देश/आर्डर देते थे , जो जजों को नियुक्त करता आता , सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों से सलाह ले कर | `सलाह लेना ` जरूरी नहीं था |

1993 में , सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने जान-बूझकर संविधान का गलत मतलब निकाला और सुप्रीम-कोर्ट के जजों को नियुक्त / तैनात करने की सारे अधिकार छीन लिए और भारत के कोर्ट को अपनी जागीर बना दिया | सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने ये शब्द `सलाह लेना` को बंधनकारी / जरूरी होने का मतलब निकाला |

और ये गडबडी चली जा रही है, इसीलिए क्योंकि हम आम-नागरिकों के पास ऐसे तरीके नहीं हैं सुप्रीम-कोर्ट के जजों को निकालने के लिए , संविधान को बचाने के लिए |

असल में , इस प्रकार जज नियुक्त / तैनात किये जाते हैं :

1. सूप्रीम-कोर्ट के जज ,सुप्रीम-कोर्ट के जजों और जो नेता, ई.ऐ.एस (बाबू) , आई.पी.एस., ऊंचे वर्ग के लोगों, विदेशी कम्पनियाँ , जो हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जजों को एहसान/उपहार देते हैं, उनके द्वारा नियुक्त / तैनात किये जाते हैं | इन जजों की हाई-कोर्ट से सुप्रीम-कोर्ट तरक्की होती है |
2. हाई कोर्ट के जज , हाई कोर्ट के प्रधान-जज ,हाई-कोर्ट के जज, और सुप्रीम-कोर्ट के जज, और जो नेता, `आई.ऐ.एस`(बाबू), पोलिस-कर्मी, ऊंचे-वर्ग जिन्होंने हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जजों के लिए एहसान/उपहार दिया था, उनके द्वारा नियुक्त/तैनात किये जाते हैं | उन नियुक्त/तैनात होने वालों में से लगभग 50% वकील होते हैं और 50% सत्र-न्यायलय (सैशन कोर्ट) के जज होते हैं |
3. सत्र-न्यायलय (सैशन कोर्ट) के जज , हाई-कोर्ट के जजों द्वारा नियुक्त / तैनात हैं , उनके अधिकार द्वारा | उन नियुक्त/तैनात होने वाले जजों में से लगभग 50% वकीलों में से लिए जाते हैं और 50% मेजिस्ट्रेट में से लिए जाते हैं |
4. मेजिस्ट्रेट लिखित परीक्षाओं द्वारा नियुक्त/तैनात किये जाते हैं और उसके बाद इंटरवियू होता है ,जो हाई-कोर्ट के प्रधान-जज द्वारा चुने गए हाई-कोर्ट के जज या रिटायर हुए हाई-कोर्ट के जज लेते हैं | इंटरवीयू एक धोखा हैं | असल में , केवल जजों के रिश्तेदार या नजदीकी दोस्त ही मजिस्ट्रेट बनते हैं |

---

लिखित परीक्षाएं केवल न्यायपालिका के निचले जजों के लिए ही है ---- मेजिस्ट्रेट और जूनियर जज | वहाँ भी इंटरवीयू/साक्षात्कार केवल चुने हुए लोगों द्वारा ही लिया जाता है | केवल जजों के रिश्तेदार या जान-पहचान के लोग ही चुने जाते हैं इन इंटरवीयू में |

---

जज भ्रष्ट और भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) वाले हो गए हैं , क्योंकि आम-नागरिकों के पास इनको बदलने का कोई भी तरीका नहीं है | आम-नागरिकों को जजों को बदलने का अधिकार के अभाव में , कोई भी तैनात / नियूक्त करने का तरीका क्यों ना हो ,पहले ही दिन से जज भाई-भतिजेवाद वाले हो जाते हैं और दूसरे दिन से भ्रष्ट हो जाते हैं |

---

लेकिन अब भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) और अभी नकद द्वारा सौदे खुले आम होते हैं , इंटर-वीयू में | हाई-कोर्ट के प्रधान जज एक 3 रिटायर या वर्त्तमान जजों की कमीटी / समीति बनाते हैं और ये समीति इंटर-वीयू के अंक / नंबर देते हैं | ये इंटरवीयू में जजों के पास पूरे अधिकार होते हैं और इन इंटरवियू का प्रयोग केवल खुले-आम रिश्तेदारों की तरफदारी के लिए होता है |

जज सिस्टम के समर्थक जान-बूझ कर ये इंटरवीयू के सिस्टम का समर्थन करते हैं |

विष्णुचंद्र गुप्त (ऊर्फ चनाक्य-भाई) ने मुझे कुछ 2300 साल पहले बोला था : जो हानि नहीं पहुंचा सकता , उसका गुस्सा बेकार है | मैं इसके आगे ये कहूँगा : जो हानि नहीं पहुंचा सकता , उसका अस्तित्व (होना) बेकार है | और मैं ये भी कहूँगा : जो हानि नहीं पहुंचा सकता है, उसका सारा धन लूट लिया जायेगा और वो गुलाम/दास बन जायेगा |

`आई.ऐ.एस`(बाबू), पोलिस-कर्मी, जज, मंत्रियों ने हम आम-नागरिकों को कैसे गुलाम बनाया है ?

क्योंकि हम आम-नागरिकों के पास प्रक्रियाएँ/तरीके नहीं हैं, उनको हानि पहुँचाने के लिए --- उनको नौकरी से निकालने के लिए, उनकी संपत्ति जब्त करने और उनको जेल में डालने के लिए | इसलिए, यदि हम `तेज और सस्ते नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को बदलने के तरीके ` नहीं लाते, तो वो हमें लूटते रहेंगे |

---

**प्रश्नकर्ता- तो फिर अब (1992 के बाद) , न्यायपालिका नेताओं द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी , मतलब कि 1992 के व्यवस्था के परिवर्तन के बाद | फिर इसमें क्या दिक्कत है ?**

देखिये, भारत के सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज को वरिष्टता के अनुसार निर्णय करने से कोई हानि नहीं है | लेकिन सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने ये क्यों फैसला किया कि सुप्रीम-कोर्ट के जज ही सुप्रीम-कोर्ट के जज और हाई-कोर्ट के जज नियुक्त / तैनात करेंगे ? यदि नेता इतने बुरे हैं, तो कई सारे दुस्सरे तरीके हैं सुप्रीम-कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों को चुनने के लिए | (उदाहरण , अमेरिका में , आम-नागरिक जजों का चुनाव करते हैं ) ये ऐसा हुआ कि " बाकी सभी बुरे हैं, इसीलिए हम (जज) सारे अधिकार छीन लेते हैं ", जैसे की ये जज दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं |

कारण कि सुप्रीम-कोर्ट के जज ने सारे अधिकार छीन कर खुद को दे दिए , कि वो चाहते थे कि सारा (दो नंबर का ) माल उन्हीं को मिले | `भ्रष्ट नेता` तो केवल एक बहाना था |

**प्रश्नकर्ता - जज बनने के लिए बहुत कड़े योग्यता / गुण चाहिए |**

सुप्रीम-कोर्ट के जज बनने के नियम :

"3) एक व्यक्ति सुप्रीम-कोर्ट का जज नहीं बन सकता यदि वो खुद भारत का नागरिक नहीं हो और -
(क) वो कम से कम पांच साल के लिए हाई-कोर्ट का जज या दो या अधिक ऐसे कोर्ट में लगातार रहे हों ; या
(ख) पिछले दस सालों के लिए हाई-कोर्ट के वकील रहे हों या दो या अधिक ऐसे कोर्ट में लगातार रहे हों : या
(ग) राष्ट्रपति के राय में एक माना हुआ जूरिस्ट (जो क़ानून के बारे में विवेक बुद्धि रखता हो )
स्पष्टीकरण 1: इस धारा में ,"हाई-कोर्ट" का मतलब, एक हाई-कोर्ट जो अभी या इस संविधान के लागू होने से पहले , भारत के क्षेत्र में , का कहीं भी अधिकार हो |
स्पष्टीकरण 2: ये धरा के लिए , वो समय का गणित करने के लिए जब वो वकील रहा हो , वो समय भी शामिल होगा ,जिसमें व्यक्ति न्यायिक पद जो जिला जज से कम नहीं हो ,पर रहा हो वकील बनने के बाद भी |

---

हाई-कोर्ट के जज बनने के लिए वो व्यक्ति को केवल ये ही जरूरी है कि वो 10 साल के लिए वकील रहा हो |ऐसे एक लाख लोग होंगे जो ये आवश्यकता / जरूरत पूरी करते हैं | इसमें इतना कड़ा क्या है ? ऐसा नहीं कहा गया है कि उसे इतने `क` मामले लड़ने हैं |

और सुप्रीम कोर्ट का जज ,होने के लिए उसे हाई-कोर्ट का जज होना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है या हाई-कोर्ट में वकील होने की जरूरत है 10 साल के लिए | ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है , क्योंकि ऐसे हज़ारो वकील होंगे हाई-कोर्ट में |

सुप्रीम-कोर्ट के जज होने के लिए कोई लिखित परीक्षाओं की जरूरत नहीं है | सुप्रीम-कोर्ट के 3 जजों

की कमीटी/समिति निर्णय करती है कि कौन सुप्रीम-कोर्ट के जज बनेंगे | चुनने का तरीका पूरी तरह भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) ,ऊंचे वर्ग के लोग ,जो जजों के रिश्टार वकीलों को पैसा देते हैं,आदि के सिफारिश से होती है | जी हाँ, हर कोई सुप्रीम-कोर्ट का जज नहीं बन सकता, केवल पैसे वाले लोग ही बन सकते हैं |

**प्रश्नकर्ता- भ्रष्टाचार और भाई-भतिजेवाद न्यायपालिका में है, लेकिन उतनी ही जितना कि राजनीति में या चिकित्सा में या सेना में है |**

सेना में भ्रष्टाचार , जजों के भ्रष्टाचार से बहुत, बहुत कम है | और भाई-भतिजेवाद भी बहुत ,बहुत कम है | असल में , बोअहुत से सैनिकों के लड़के अब सेना में नहीं जाना चाहते क्योंकि सेना में वेतन बहुत कम है | जजों में भी वेतन बहुत ज्यादा नहीं है ,लेकिन वहाँ सीधे या रिश्तेदार या दलाल वकीलों और व्यापारियों के द्वारा रिश्वेतें लेना आसान है | इसीलिए जज बनने की लाइन हर दिन लंबी ही होती जाती है , जबकि सेना के अफसरों में 20% खाली जगह है और ये दिनों-दिन बढ़ रही है |

न्यायपालिका में भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) राजनीति से ज्यादा है | राजनीति में ,मतदाता कभी भी रिश्तेदारी के आधार से वोट नहीं देते | विधायक के क्षेत्र में भी 2 लाख मतदाता हैं और किसी को भी 1000-2000 से ज्यादा रिश्तेदारों या जानने वालों से वोट नहीं मिल सकते हैं | इसीलिए, आप राजनीति में , " आम-नागरिकों के औलाद " जैसे मोदी को शीर्ष के पदों तक अभी भी पहुँचते देख सकते हैं | लेकिन उदाहरण हाई-कोर्ट के जजों की नियुक्त / तैनात होने में 1992 के बाद नहीं देख सकते |

इसीलिए हमें जजों में भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) को नजरंदाज नहीं करना चाहिए ,ये कह कर कि भाई-भतिजेवाद तो सभी जगह है ---- दूसरे जगहों की तुलना में , जजों में भाई-भतिजेवाद बहुत-बहुत ज्यादा है |

**प्रश्नकर्ता - किसी न किसी के पास तो अधिकार होंगे, जजों के नियुक्त / तैनात करने के लिए , जिसके कारण थोड़ी-बहुत तो भाई-भतिजेवाद रहेगा | लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं, , ये अधिकार केवल जजों को न देकर |**

हां, अधिकार तो रहेगा किसी न किसी के पास | लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिना भाई-भतिजेवाद वाले तरीके नहीं हैं | एक लाख से ज्याद मतदाताओं वाले चुनाव क्षेत्र में चुनाव में 995 भाई-भतिजेवाद नहीं होता क्योंकि किसी के भी 1000 से ज्यादा रिश्तेदार नहीं हो सकते | और दस लाख से ज्यादा वाले चुनाव क्षेत्र में, भाई-भतिजेवाद ( रिश्तेदारों की तरफदारी) 0.1% से भी कम होती है | तो सभी प्रधान जजों और 4 सबसे वरिष्ट/सीनियर जज (जिला,राज्य,राष्ट्र स्तर पर) के चुनाव होने से भाई-भतिजेवाद नहीं होगा |

**(20) मैंने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (कमीशन) बनने के लिए हमेशा के लिए समर्थन किया है , जिसमें दो सीनियर/वरिष्ट जज, एक वकील , राजनैतिक प्रतिनिधि और एक मान्य नागरिक होगा |**

ये 5-6 लोग खुले-आम ,फैला हुआ परस्पर-भाई-भतिजेवाद करेंगे ( मतलब `क`, `ख` के रिश्तेदार की

तरफदारी करेगा और `ख`, `क` के रिश्तेदारों की तरफदारी करेगा |

**(21) न्यायपालिका(कोर्ट) में भ्रष्टाचार ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी हमारे राजनीति में या नगरपालिका में या राज्य के दूसरे विभागों में |**

“भाई-भातिजेआद (रिश्तेदारों की तरफदारी) न्यायपालिका में सबसे ज्यादा है क्योंकि जज ही जजों को नियुक्त / तैनात करते हैं और जज ही फैसले भी देते हैं | और जजों में भ्रष्टाचार , राजनीति में भ्रष्टाचार जितनी ही जयादा है सिवाय इसके कि जज पैसे को खुद कभी नहीं छूते | वे सारे सौदे रिश्तेदार या दलाल वकीलों द्वारा ही करते हैं | इसीलिए इस बारीकी को छोड़ कर, हाई-कोर्ट के जजों और सुप्रीम-कोर्ट के जजों में भ्रष्टाचार अभी मंत्री, आई.ऐ.एस (बाबू), पोलिस-कर्मी जितनी ही है या कभी-कभी उससे भी ज्यादा |

**प्रश्नकर्ता- सुधार के लिए मैं आज के मुजरिम नेताओं से कोई आशा नहीं रखता ये मुजरिमों के साथ मिली-भगत समाप्त करने के लिए क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा फायदा होता है , क्योंकि वे खुद मुजरिम हैं | सांसद में बड़ा हिस्सा हत्यारों और चोरों का है ... इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग(कमीशन) को चुनाव-सुधार लाने होंगे | एक साफ़-सुथरा सांसद ही ऐसे क़ानून ला सकता है , जिससे जजों, वकीलों और मुजरिमों के बीच मिली-भगत कम की जा सके |**

यदि वकीलों और मुजरिमों के साथ (सीधे या वकीलों के द्वारा) एक जुर्म है, तो कोर्ट में बहुत सारे ऐसे जज हैं जिन्होंने ये अपराध किया है |

जज वैसे तो खूनी नहीं हैं , लेकिन कोर्ट में किसी खूनी की मदद करना (जैसे जज भयाना ने मनु शर्मा की मदद की थी और उसे छूटने देना , बहुत सारे सबूतों और गवाहों के बावजूद भी, एक बहुत बड़ा अपराध है (हत्यारे की मदद करना) | और जज ऐसे कई सौ हत्यारे और जबरदस्ती वसूली करने वालों की मदद करते हैं | वे सांसदों से अभी कम नहीं हैं |

अलग : आप सहमत हैं कि सांसद सब निकम्मे हैं | फिर भी , आप एक ऐसे तरीके का विरोध करते हैं , जो आम-नागरिक कानूनों पर अपनी राय भी दे सकें | आप बोलते हैं कि आज के सांसद मुजरिम आदि हैं | फिर भी आप ऐसे तरीकों का विरोध करते हैं , जिसके द्वारा आम-नागरिक सांसद ,विधायक , मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को बदल / निकाल सकें | दूसरे शब्दों में, यदि सांसद बुरे हैं, तो फिर आम-नागरिकों को उनके कुछ अधिकार देने का विरोध क्यों ? या क्या आप हम आम-नागरिकों को सांसदों से ज्यादा नफरत करते हैं ?

---

बहुत से जज चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके रिश्तेदारों को जनता का दंडाधिकारी तैनात / नियुक्त करें | और , रिटायर हुए जजों को कमीशनों में पद चाहिए (मानव अधिकार, महिला अधिकार,पशु अधिकार, दलित अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार ,कानून कमीशन ., आदि आदि ) | और मंत्रियों अक्सर इन रिटायर जजों को कहते हैं कि वर्तमान जजों से कुछ काम करने के लिए | और बहुत से जज , नेताओं और बाबुओं से काम होता है (जैसे अपने रिश्तेदारों के लिए ठेके., आदि) | इस तरह नेताओं और जजों के बीच मिली-भगत और आपसी लेन-देन होता रहता है |

**(22) कोर्ट में बकाया मामले क्यों बहुत ज्यादा हैं ,क्योंकि बाबू उचित करवाई नहीं करते ?**

अभी प्रश्न है कि : बाबू उचित कारवाई क्यों नहीं करते ? क्योंकि जज निकम्मे बाबूओं को निकालता नहीं है और बाबू निकम्मे ही रहते हैं | यदि जज ,बाबुओं के साथ मिली-भगत नहीं बनाता और कुछ निकम्मे बाबूओं को निकलता , तो बाबुओं का निकम्मापन कम हो जाता |

अब प्रश्न है कि : जज इन निकम्मे बाबूओं को निकालता क्यों नहीं है ? उत्तर है : मिली-भगत | बाबू जजों के लिए कई काम करते हैं ., उदाहरण के लिए जज के रिश्तेदार जनता का (सरकारी) दंडाधिकारी नियुक्त / तैनात किये जाते हैं और सरकार से मोटे मामले मिलते हैं, जिसमें वे करोड़ों कमाते हैं, हारकर !! इसीलिए जज, निकम्मे बाबुओं को नहीं निकालते ?

(पश्चिम में, बाबू के निकम्मेपन का मामला जूरी-सदस्यों के पास जाता | क्योंकि जूरी सिस्टम में मिली-भगत नहीं है , इसीलिए वे तुरंत निकम्मे बाबू को निकाल देते | क्योंकि बाबू को पता है कि जूरी सिस्टम में मिली-भगत होना संभव नहीं है, वे अपनी सीमा में रहते हैं और भारत के बाबू जितने निकम्मे नहीं होते )

इसीलिए कोर्ट में बहुत सारे बकाया मामले, इसीलिए होते हैं क्योंकि जज निकम्मे/भ्रष्ट हैं | और जो आप कहते हैं " कोर्ट में बहुत सारे बकाया मामले इसीलये हैं क्योंकि बाबू वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए " सही है , लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जहाँ सरकार के दफ्तर के बहुत सारे मामले भी बकाया रहते हैं, क्योंकि जज बाबूओं के काम में रुकावट डालते हैं ., उदाहरण :अवैध निर्माण (गैर-कानूनी बनाना) | बहुत सारे मामलों में जब बाबू उन अवैध निर्माणों को तोड़ने जाते हैं, तो जज ,रिश्वत लेकर , रोक आदेश (स्टे-आर्डर) दे देते हैं | (भारतीय जज रोक आदेश (स्टे-आर्डर) के लिए बदनाम हैं | एक बहुत खराब मामला, जो मुझे पता है, निजी/प्रायवेट प्लाट पर झुग्गियों को तोड़ने पर स्टे-आर्डर था ....मामला 12 सालों तक चला ) |

और इसी तरह, एक कारण क्यों मुजरिम की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जज उनको सज़ा नहीं देते , उनकी वकीलों के द्वारा , मुजरिमों के साथ मिली-भगत | इसलिए जब लोग देखते हैं कि मुजरिमों को जमानत मिल रही है और छूट जाते हैं , और ज्यादा लोग मुजरिम बन जाते हैं और , इसीलिए अपराध बढ़ते हैं और कोर्ट के मामले भी बढ़ते हैं | जैसे ज्यादा मुजरिम होते हैं, पोलिस और कोर्ट का बोझ बढ़ता है | तो यहाँ भी जजों के कारण पोलिस और प्रशासन पर बोझ बढ़ता है , इसके उल्टा नहीं |

**(23) `जूरी द्वारा अपील` संभव कैसे होगा ?**

"जूरी द्वारा अपील" संभव है | हम को केवल एक 4-5 पन्नों का क़ानून चाहिए, सांसद में पारित करने के लिए | अपील दो तरीकों से लागो की जा सकती है -

पहला तरीका-

1) जिला कोर्ट की जूरी में 12 नागरिक होगी , जो पूरे जिले में से क्रम-रहित तरीके से चुने जाएँगे |
2) अपील के लिए , राज्य के इघ-कोर्ट की जूरी में 12 और नागरिक होंगे , जो पूरे राज्य में

से क्रम-रहित तरीके से चुने जाएँगे | यदि जूरी-सदस्य पहले वाले फैसले को रद्द कर देते हैं , तो फिर से मामले की सुनवाई होगी कोई दूसरे जिले में , उस राज्य में |

3) आगे अपील करने के लिए , राष्ट्र का सुप्रीम-कोर्ट जूरी में 12 और नागरिक होंगे, जो पूरे देश में से क्रम-रहित तरीके से चुने जाएँगे | यदि जूरी-सदस्य पहले वाले फैसले को रद्द कर देते हैं, तो फिर से मामले की सुनवाई होगी ,देश के किसी दूसरे जिले में |

दूसरा तरीका है :

1) एक मामला जूरी द्वारा जिला कोर्ट में सुना जाता है |
2) यदि व्यक्ति को अपील चाहिए, तो वो हाई-कोर्ट की महा-जूरी-मंडल के सामने अपील कर सकता है | यदि महा-जूरी-मंडल की बहुमत इजाजत / अनुमति दे देते हैं , तो वे मामले को पांच क्रम-रहित तरीके से चुने गए जिले के कोर्ट को भेजेंगे , ये निर्णय लेने के लिए कि पहले वाली जूरी का फैसला सही था कि नहीं |
3) पांचो जिलों में मामले एक साथ चल सकते हैं , यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं ,या एक के बाद एक चलेंगे |
4) यदि 5 जिला कोर्ट की जूरी-मंडलों में से 3 ने पहले वाली जूरी का फैसला गलत बताया, तो पहले वाली जूरी का फैसला रद्द होगा |
5) आगे अपील के लिए , सुप्रीम-कोर्ट की महा-जूरी मंडल के सामने मामला लाना होगा | यदि महा-जूरी-मंडल की बहुमत इजाजत / अनुमति दे देते हैं , तो वे मामले को नौ क्रम-रहित तरीके से चुने गए जिले के कोर्ट को भेजेंगे , ये निर्णय लेने के लिए कि पहले वाली जूरी का फैसला सही था कि नहीं |
6) नौ जिलों में मामले एक साथ चल सकते हैं , यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं ,या एक के बाद एक चलेंगे |
7) यदि 9 जिला कोर्ट की जूरी-मंडलों में से 5 ने पहले वाली जूरी का फैसला गलत बताया, तो पहले वाली जूरी का फैसला रद्द होगा |

हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जजों से असल में , छुटकारा पाना संभव है और जूरी-सदस्य का जजों के बदले फैसला देना संभव है |

फायदा जबरदस्त है ---- हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जज में बहुत ज्यादा मिली-भगत है , ऊंचे वर्ग के लोगों और बड़े मुजरिम जैसे टैक्स की बड़ी-बड़ी चोरी करने वाले, बड़े-बड़े लोन वापिस ना देने वाले., आदि के साथ | इन मिली-भगत के कारण , ताकतवर आर्थिक अपराधी , कोर्ट से छूट जाते हैं, कितने भी धोखे करने के बाद भी | लेकिन ये मुजरिम , हजारों जूरी-सदस्यों के साथ मिली-भगत नहीं बना सकते पूरे राज्य/देश में और इसीलिए वे सज़ा पाएंगे |

**(24) मेरे पास काफी ज्ञान है ये कहने के लिए कि सुप्रीम-कोर्ट के जज , कुल-मिलाकर बहुत ईमानदार हैं**

फिर आप सुप्रीम-कोर्ट में भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) कैसे है ? एक ईमानदार व्यक्ति रिश्तेदारों और अपने जान-पहचान के लोगों की तरफदारी क्यों करेगा ?

सुप्रीम-कोर्ट में भाई-भतिजेवाद ,भ्रष्टाचार में बदल जाता है | सुप्रीम कोर्ट के जज नियम से क़ानून के

मंत्रालय के बाबूओं को अपने बेटे या रिश्तेदारों को जनता का (सरकारी) दंडाधिकारी नियुक्त/तैनात करने के लिए कहते हैं | और ये जन-दंडाधिकारियों को करोड़ों रुपये मिलते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों से , मामला हारने के लिए | एक व्यक्ति , जो गलत काम करता है , अपने-आप को या उसके बेटे या उसके रिश्तेदार को पैसे-वाला बनने के लिए, और `हम आम-नागरिक लूटे जाते हैं `|

और कृपया , ये भी समझाएं कि सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने जज भयाना (जसिका बहन वाला मामला ) को दिल्ली हाई-कोर्ट भेज कर ,कैसे तरक्की देने का फैसला किया ? भयाना रिश्वत लेने के लिए बदनाम था और सुप्रीम-कोर्ट के जजों को पता था कि वो जान-बूझकर मामले को लटका रहा है ,मुलजिम को बचाने के लिए | जज भयाना के निकम्मे होने के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद , सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने उसको तरक्की दी | देखिये , उस मुजरिम के पिता की करोड़ों की संपत्ति थी, जिससे सुप्रीम-कोर्ट के जज ने क्यों ऐसा किया, आसानी से पता चल जाता है |

सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जज, अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं |

उन लोगों की लिस्ट देखें जो सुप्रीम-कोर्ट और हाई-कोर्ट के जज नियुक्त/तैनात किये गए , और किसी को उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछें | 100 में से 99 मशहूर जजों और मशहूर वकीलों के भाई, भतीजे,आदि हैं |

गुजरात हाई-कोर्ट में, मैंने अभी तक, 10 वकीलों की लिस्ट बनाई है , जिन्होंने अपनी 10-12 सालों की वकालत से केवल 5लाख कमाए | उनके पिता/चाचा जज बन जाते हैं , और 3 सालों के अंदर, उनकी आमदनी 50 लाख पार कर जाती है |

**प्रश्नकर्ता- मुझे पक्का नहीं कि सुप्रीम-कोर्ट के जज , ऐसे व्यवस्था बना सकते हैं , इस समस्या का हल करने के लिए , जो हमारे कोर्ट में है- फैला हुआ जज-वकील की मिली-भगत और फैली हुई जज-मुजरिम (सीधे या वकील द्वारा) मिली-भगत |**

सुप्रीम-कोर्ट के जज ये बदलाव कर सकते हैं -

क) कोई भी व्यक्ति ,जिसका नाम हाई-कोर्ट के जज के लिए विचार किया जा रहा है, उसका नाम का खुलासा 6 महीने पहले , उसके हाई-कोर्ट के जज बनने से पहले | ताकि यदि कोई आम-नागरिक को उसके निकम्मेपन की कोई भी जानकारी है, तो वो सुप्रीम-कोर्ट के जजों को लिखा सकता है और इन्टरनेट पर भी डाल सकता है |

ख) उसकी और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति और उन ट्रस्ट की संपत्ति , जिसमें वो या उसके रिश्तेदारों सदस्य हैं ,इन्टरनेट पर डाली जायेगी (जैसे की सांसदों के उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है )

ग) अभी के कोर्ट और पहले के कोर्ट में ,उसके रिश्तेदारों के नाम इन्टरनेट पर डाले जाएँगे |

क्या उन्होंने ऐसा किया है ? नहीं | क्यों नहीं ?

ये तीन कदम उनके अपने रिश्तेदारों को कोर्ट में , तरक्की देने के क्षमता को बहुत कम कर देगा |

अमेरिका में, जजों के नाम 3-4 महीने पहले घोषित कर दिए जाते हैं, उनके जज बनने से पहले , और आम-नागरिक को छूट है , वो कारण लिखने के लिए, कि क्यों उस व्यक्ति को जज नहीं बनाया जाना चाहिए | फिर भारतीय जज , जज बनने वाले लोगों का नामों का खुलासा करने का क्यों विरोध

करते हैं ?

और बहुत सार्थक/अच्छे लोकतंत्र में, जज और बुद्धिजीवी आदि जूरी-सदस्यों का भी विश्वास करते हैं | भारत में ऐसा नहीं करते | तो क्या भारत में लोकतंत्र का कोई मतलब है ?

**(25) भारत में बैंक गुंडों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कर्जे पर दिए हुए पैसों की वसूली के लिए ?**

क्योंकि भारत में जज निकम्मे हैं | जज बैंकों को कर्जे की वसूली करने में कोई सहायता नहीं करते और यदि कोई मुजरिम गिरफ्तार होता है, तो जज उसको छोड़ देते हैं , यदि वो जज के रिश्तेदार वकील की सेवाएं लेता है तो |
इसीलिए कर्जे की वसूली के लिए अपराधियों का प्रयोग , जजों के निकम्मे होने के कारण है
|
और इसी तरह, राजनीति भी अपराध का क्षेत्र बन गया है, जजों के निकम्मे होने के कारण | जजों का , वकीलों , आदि के साथ मिली-भगत होने से वे मुजरिम को छोड़ देते हैं , और मुजरिम ताकतवर बन जाता है और राजनीति से अच्छे लोग भाग जाते हैं | इसीलिए अंत में , मतदाताओं को केवल 3-4 मुजरिमों में से ही चुनना होता है |

**(26) भारत में कानूनों का पालन क्यों नहीं सही से कराया जाता ?**

भारत में कानूनों का पालन करवाने वाले अधिकारी , विधायक या सांसद या मंत्री नहीं हैं , लेकिन जज हैं | जी, हाँ, जज ही हैं , जो गैर-जिम्मेदार बाबू,पोलिस वाले को सज़ा सुना कर ये तय करते हैं कि बाबू और पुलिसवाले कानूनों का पालन करवाएंगे के नहीं | यदि जज आलसी या भ्रष्ट बाबुओं को सज़ा दें , तो बाबुओं में भ्रष्टाचार कम होगी और क़ानून का अच्छे से पालन होगा | तो कानूनों का अच्छे से पालन इसीलिए नहीं हो रहा भारत में , क्योंकि जज जान-बूझकर उन अफसरों को सज़ा नहीं देते जो कानूनों का पालन नहीं करवाते |

**(27) नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक (प्रबंध करने वाले )-बुद्धिजीवी-ऊंचे वर्ग के लोग के ट्रस्ट की संपत्ति की घोषणा क्यों होनी चाहिए , न कि केवल उनकी व्यक्तिगत (खुद की) संपत्ति ?**

अधिकतर नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक-बुद्धिजीवी-ऊंचे लोग अपनी सारी संपत्ति , ट्रस्ट और कंपनियों में रखते हैं , अपने नाम पर नहीं रखते | मेरे विचार से , हमें एक ऐसा क़ानून को लागू करना चाहिए , जिससे सभी ट्रस्ट की संपत्ति , और ट्रस्ट-सदस्यों की टैक्स पहचान-पत्र को सार्वजनिक/पब्लिक कर देना चाहिए | इस तरह हमें पता चल जायेगा कि कितना पैसा, जमीन ,आदि, नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक=बुद्धिजीवी-ऊंचे लोगों का ट्रस्ट में है |

**(28) क़ानून बनाना किसका काम है , क़ानून बनने का स्पेशलिस्ट / विशेषज्ञ कौन है ?**

क़ानून बनाना किसका काम है ? वकील का ? नहीं | वो तो मामले लड़ते हैं | जज का ? नहीं | वो तो फैसला सुनाते हैं | सांसद विधायक/का ? नहीं | वे तो केवल क़ानून को पास करवाते हैं | जी हां, ये आप का और मेरा काम है, क़ानून बना कर सांसद विधायक को/देना और उसको पास करवाने के लिए दबाव डालना |

लेकिन इस के लिए हम को कुछ क़ानून पहले पढ़ना होगा, फिर ही हम क़ानून बना सकते हैं |
अनपढ़ भी क़ानून-ड्राफ्ट समझ सकते हैं |
कृपया नागरिकों की अपना कर्तव्य निभाएं , कानून-ड्राफ्ट पढ़ कर , और संसद/विधायक पर दबाव डालें कि उनको पास करें |

**(29) कोर्ट को मंत्रियों, सांसदों , सीबीआई आदि के माध्यम से, न्यायाधीशों आदि पर जांच करने कीया उन्हें सज़ा देने की शक्ति नहीं है |**

कोर्ट के पास ,किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच करने के लिए और देश में व्यवस्था रखने के लिए किसी को भी कैद करने की शक्ति है | केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जब सत्ता में हों, को कैद होने से छूट है |

कृपया सुप्रीम-कोर्ट के इस बयान को देखें-

“सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग की जा सकने वाले शक्ति की सीमा आकाश ही है ,जब यह अन्याय का पीछा करता है |”

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है -

http://www.thehindu.com/news/national/article2288114.ece

सुप्रीम-कोर्ट ,अपने कहे अनुसार, ऐसा नहीं कर रहा है, से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट हैं |

# (3) `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` (एम आर सी एम) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**(1) कैसे `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) से गरीबी घट जाती है |**

आई.आई.एम.ऐ. , जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों की पब्लिक जमीन और अन्य पब्लिक जमीन (जिसे भारत सरकार की भूमि भी बोला जाता है ), से किराया मिलने से गरीबी कम होगी और आम-नागरिकों कक्षा दसवी तक शिक्षा मिलेगी | सबसे बड़ा कारण क्यों आम-नागरिक पढ़ाई छोड़ देते हैं , गरीबी है और गरीबी में कमी से आम-नागरिकों का पढ़ाई छोड़ना कम हो जाएगा

कितने प्रतिशत आई.आई.एम के विद्यार्थी झुग्गी-झोपड़ियों से आते हैं? 1% से कम | और कितने आई.आई.एम.ऐ. में पढ़ने वालों के घरों में पानी नहीं आता है ? शायद 5% से कम | इसीलिए ऐसा कहना कि "आई.आई.एम.ऐ. आम-नागरिकों के लिए शिक्षा दे रहा है ", ऐसा कहना सही नहीं है |

**(2) `आई.आई.इम.ऐ` के प्लाट पर किराये के बारे में**

क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम भूख से मरते , आम-नागरिकों को `आई.आई.एम.ऐ`, `जेएनयू` आदि की पब्लिक जमीन को मुफ्त में जमीन उपयोग करने देना चाहिए? क्यों ये दरिया-दिल्ली और खैरात ,एक ऐसे कॉलेज के लिए जो वैसे तो पूंजीवाद और समाजवाद का खुला समर्थन करता है ? यदि `आई.ई.एम.ऐ` इतना किराया नहीं दे सकती, तो उसे ऐसी जगह चले जाना चाहिए , जहाँ जमीन सस्ती है या कम जमीन से काम चलाना चाहिए | आई.आई.एम.ऐ. से हर साल 200 एम.बी.ऐ. की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं | इस काम के लिए 10 एकड़ की जरुरत है, उनको 100 एकड़ की जरुरत हैं है | और यदि उन्हें 100 एकड़ चाहिए , तो उनको किराया देना ही होगा --- मैं मुफ्त की रोटी में विश्वास नहीं करता हूँ | और आई.आई.एम.ऐ से पढ़ाई पूरी कर बाहर आये छात्र , हर साल रु. 15 लाख से 50 लाख बनाते हैं , और मेरी शुभ-कामनाएं की वे और ज्यादा कमाएँ | लेकिन वे कोई भूख से मरते लोग नहीं हैं , जिनको आर्थिक सहायता चाहिए | मैं गरीब किए खाने, दवाई, शिक्षा के लिए आर्थिक सहह्यता का समर्थन करता हूँ --- मैं अमीरों के लिए आर्थिक सहायता को पसंद नहीं करता हूँ और विरोध करता हूँ |
क्या आप जानते हैं कि कई देशों ने , जिनके पास प्रति नागरिक ज्यादा लोहा है, ने लोहे की खुदाई बंद कर दिया है और उसके बदले भारत और ब्राजील से लोहा मंगाते हैं ?
हम को ,कच्चा लोहे (लोहे का अयस्क) को सारा देश से बाहर भेजना बंद कर देना चाहिए | और कच्चे लोहे (लोहे के अयस्क) से सारी आमदनी , सीधे आम-नागरिकों और सेना को जानी चाहिए |
कृपया भा.ज.पा, सी.पी.एम., और कांग्रेस के बेईमान लोगों को समर्थन न करें जो ,जो खानों में से सारी आमदनी को खुद खा जाते हैं , आम-नागरिकों और सेना को सीधे देने के बजाय |

**(3) बेल्लारी से कच्चा लोहा चीन को भेजा गया था , 60 डॉलर की कीमत के आपस , 2002 में भी | ये एक रिपोर्टर का कहना कि वो 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिका था, इससे , उसके अज्ञानता या जानकारी की कमी का पता चलता है |**

100 रुपये परे टन खुदाई की लागत है | इस कीमत पर निचले स्तर का ठेकेदार , बड़े ठेकेदार को बेचता है | आपको पता है की खानों का धंधा कैसे चलता है --- जो लोग नेता, बाबुओं, जजों को रिश्वत देते है और उनके साथ मिली-भगत बना लेते हैं, उनको ही सरकार से खानों में खुदाई का ठेका मिलता है | बहुत सारे ऐसे लोग खानों की साईट (स्थान) जाते भी नहीं हैं और एकमुश्त (मुग्गम) आगे का ठेका ,

किसी छोटे ठेकेदार को दे देते हैं, जो फिर खानों पर काम करते हैं | इन छोटे ठेकेदारों को 100 रुपये प्रति टन मिलते हैं |

खदान / खान में से कच्चा लोहा निकालने का खर्चा आज के समय, `सेल` और `टाटा स्टील` के जो खुद के उपयोग के लिए है , 250 से 350 रुपये प्रति टन के बीच में है , जबकि कच्चे लोहे का बाजार का दाम 2000 रुपये प्रति टन है | ये लिंक देखें-
http://www.thehindubusinessline.in/2005/12/26/stories/2005122602490100.htm

---

तो इस तरह खनन(खानों में से खुदाई) के धंधे में एक बहुत, बहुत बड़ा मुनाफा होता है | और ये मुनाफा भ्रष्ट ऊंचे लोगों के जेबों में जाता है (जो गुंडों को भाड़े पर रखते हैं ) और नेता, बाबू , जज, आदि जिनके अक्सर पार्टनर / हिस्सेदार होते हैं | ये सब गडबडी इसीलिए है क्योंकि `पढ़े-लिखे` लोग खानों से आई आमदनी **सीधे** आम नागरिकों को देने का विरोध करते हैं |

मैं केवल बुनयादी लागत की बात कर रहा हूँ , इसमें टैक्स, सरकार को दी जाने वाली रोयल्टी(आमदनी), नेता, जज आदि को दी जाने वाली रिश्वत और गुंडों को हफता की गिनती नहीं कर रहा हूँ | 250 रूपए प्रति टन ,`सेल` कंपनी देती है , छोटे ठेकेदारों को , और `सेल` की आदत है कि चालान को बढ़-चढ़ कर लगाने की | इसीलिए यदि `सेल` कंपनी 250 रुपये देती है , तो असली जमीनी लागत 100 रुपयों से ज्यादा नहीं होगी | ये तो एक सामान्य ज्ञान है और इसके लिए हमें गूगल(इंटनेट) पर ढूँढने की जरूरत नहीं है |

---

आई.आई.टी. और दूसरे भारत सरकार के इंजीनियरिंग के कालेजों को सेना का हिस्सा बनाना चाहिए |

जो इन कालेजों में पढेंगे, उनको सेना में अपनी सेवा 10-11 सालों के लिए देने होगी, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद | जो आई.आई.टी के विभाग सेना में लिए उपयोगी नहीं हैं, उनको आई.आई.टी. कालेजों में से निकाल देना चाहिए |

सभी कालेजों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए , सिवाय वो कालेज जो सेना और चिकित्सा से सम्बंधित हैं | उदाहरण., आई.आई.एम.ऐ को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए और उनको दिए गए प्लाट पर किराया लगाना चाहिए जो सीधे जनता को जायेगा |

**(4) खानों में से खनिज को निकालने की लागत और फायदे और सरकार को दी जाने वाली रोयल्टी (आमदनी) कितनी हैं ?**

प्राकृतिक गैस लीजिए |
अंतर-राष्ट्रिय दाम 280 डॉलर प्रति हज़ार घन मीटर है , जून 2008 के समय में | खदान में से निकालने का दाम 20 डॉलर प्रति हज़ार घन मीटर है |(`एम.आर.सी.एम` के लिए खनिज के दाम शुरू में `राष्ट्रिय भूमि किराया अधिकारी` तय करेगा और फिर बाद में बोली (बाजार) द्वारा तय होंगे )

अगर कहें कि भारतीय गैस निकालने वाली कम्पनियाँ यदि प्राकृतिक गैस को अंतर-राष्ट्रिय दामों पर बेचती हैं, और मुनाफा हम भारतीय नागरिकों को मिलता है |
उत्पादन = 2780 करोड़ घन मीटर
मुनाफा = 260 डॉलर प्रति हज़ार घन मीटर, जून 2008 के कीमतें लें तो = 0.26 डॉलर प्रति घन मीटर

कुल मुनाफा ,डॉलर में = 2780 करोड़ x 0.26 डॉलर = 723 करोड़ डॉलर
एक डॉलर में रुपये = 45
मुनाफा रुपयों में = 32,535 करोड़ रुपये
जन-संख्या , करोड़ों में = 110 करोड़
राशि प्रति नागरिक प्रति साल = करीबन 300 रूपए प्रति आम-नागरिक प्रति साल

दूसरे शब्दों में, हर भारतीय को 300 रूपए प्रति साल मिलेंगे, यदि प्राकृतिक गैस की रोयल्टी (आमदनी) हम भारतीय आम-नागरिकों को जाए तो |
दूसरे शब्दों में, खदानों के ठेकेदार बहुत बड़ा मुनाफा बनाते हैं, और जरूरी नहीं है कि सारा अपने पास रख पाते हों | उनको इसका हिस्सा मंत्रियों, जजों , बाबूओं, पोलिस-कर्मियों आदि को देना पड़ सकता है | लेकिन वो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी कम बोलियां जीत जाती हैं ? कोई जादू नहीं है ---- जरा आप पोरबंदर, गुजरात के जिला कलेक्टर के दफ्तर जाएँ , खनन(खानों की खुदाई) के लिसेंस के लिए, आपको स्थानीय गुंडे मिनटों में गायब कर देंगे !! दूसरे शब्दों में, गुंडों का प्रयोग कर के , बोली को दर्ज करने वाले लोग कम से कम रखे जाते हैं , ताकि कम से कम बोली आयें ,और खनन करने वाले ठेकेदार बहुत बड़ा मुनाफा कमाएँ |

लेकिन स्थानीय खनन करने वाला ठेकेदार, जो स्थानीय गुंडे रखता है, एक छोटा प्यादा है, पूरे खेल में | गुंडों को पोलिस-कर्मियों और स्थानीय जजों से सुरक्षा की जरूरत होती है , और पोलिस-कर्मी इन गुंडों को तभी सुरक्षा दे सकते हैं, जब गृह-मंत्री और मुख्य-मंत्री इन को स्वीकृति दें और स्थानीय जज इन गुंडों को तभी सुरक्षा देंगे , यदि हाई-कोर्ट स्वीकृति दें | यदि खदानों की खुदाई का मुनाफा बहुत बड़ा है, जैसे बेलारी की लोहे के खदान, तब पैसे की कड़ी , सुप्रीम-कोर्ट के जजों और प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री

और सी.बी.आई. तक जाती है |(क्योंकि सुप्रीम-कोर्ट के जजों ,प्रधान-मंत्री , केन्द्रीय मंत्री आदि को ज्यादा पैसे में ही रूचि होती है )

---

अंतिम परिणाम बहुत खराब होता है--- क्योंकि खनिज/खदान रोयल्टी (आमदनी) बहुत कम हैं , सरकार की आमदनी भी बहुत ही कम है |और इसीलिए भारत सरकार को `वैट` जैसे टैक्स लगाने पड़ते हैं , जो छोटे व्यापारियों को बरबाद कर देते हैं और आम-नागरिकों को बरबाद करते हैं , क्योंकि `वैट` प्रतिगामी(रिग्रेस्सिव) है | और आमदनी में कमी से कोर्ट बनाने, पोलिस और सेना के लिए पैसे में भी कमी हो जाती है |

**(5) खदान माफिया / गैंग क्या है और इसमें कौन-कौन होते हैं ?**

http://www.cpiml.org/liberation/year_2005/february/mahendra_Singh_Murder.htm

ऊपर दिया लेख का लिंक बताता है कि खनन की गैंग कितनी गहरी है |

भारत में बहुत खदान की गैंग है -

1. बेलारी की लोहे की खदानों की गैंग
2. झारखण्ड की कोयला गैंग
3. चूना-पत्थर गैंग, कर्णाटक ,तमिलनाडु में
4. ग्रेनाईट-पत्थर गैंग, कर्णाटक ,तमिलनाडु में
5. कोटा-पत्थर , संगमरमर(मार्बल) का माफिया , राजस्थान में (सोहराबुद्दीन इसी माफिया के वजह से मारा
   गया था)
6. चन्दन का माफिया , तमिल-नाडू में
7. हाथी-दांत का माफिया
8. अलुमुनियम माफिया , उड़ीसा में

---

ऐसे करीब 50-70 माफिया(गैंग) हैं, भारत में | खदानों की माफिया , जमीन की माफिया से बड़ी है आमदनी के अनुसार | ज्यादातर माफिया राज्य या जिले स्तर पर है , लेकिन सभी सुरक्षा के लिए सीधे (प्रत्यक्ष) या किसी के द्वारा (अप्रत्यक्ष) पैसा केन्द्रीय मंत्रियों, प्रधान-मंत्री, सुप्रीम-कोर्ट के जज और बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष को पैसे देते हैं | कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, ज्यादातर मुख्या-मंत्री, केंत्रिय मंत्री, पार्टियों के अध्यक्ष, सांसद , आई.ऐ.एस. (बाबू) और पोलिस-कर्मी इन खदान-माफिया का हिस्सा हैं |

खदान माफिया भारत में एक बड़ा धंधा है | कोई आश्चर्य नहीं कि कितने युवक आई.ऐ.एस(बाबू), आई.पी.एस (पोलिस-कर्मी) बनना चाहते हैं | और कोई आश्चर्य नहीं कि युवक भा.जा.पा., कांग्रेस, सी.पी.एम. आदि पार्टियों से जुड़ते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए | कोई भी राजनैतिक पार्टी इन माफिया को खतम नहीं करना चाहती | भा.जा.पा., कांग्रेस, सी.पी.एम., आदि का घोषणा-पत्र इन खदान माफिया के समस्या की बात तक नहीं करता , ना ही कोई समाधान का प्रस्ताव करता है |

मुख्य खनिज जैसे कच्चा तेल, कोयला, कच्चा लोहा आदि सभी केन्द्र के अधीन हैं | और क्योंकि ये केंद्र और राज्य के सांझे / समवर्ती लिस्ट में है, केंद्र का आदेश , राज्य के आदेश से ज्यादा भारी / हावी होता है | और, केंद्र का आई.ऐ. एस (बाबू), आई.पी.एस(पोलिस-कर्मियों) पर बहुत प्रभाव होता है, जब आई.ऐ.एस., आई.पी.एस. राज्य सरकार के नीचे भी आते हैं, तो भी | मैं ये नकार नहीं रहा कि राज्य सरकार के पास अधिकार हैं ---उनके पास हैं | लेकिन केंद्र और राज्य के अधिकार 65:35 के अनुपात में हैं या इससे भी ज्यादा , केन्द्र के पक्ष में | ये जुखी कारण था कि क्यों शिबू सोरेन को ज्यादा रूचि थी, केन्द्र में कोयला मंत्री बनने में , ना कि झारखण्ड का मुख्यमंत्री बनने में | क्योंकि कोयला मंत्री के पास कोयला के खदानों के ज्यादा अधिकार हैं, मुख्यमंत्री से | लेकिन कोयला माफिया , जिसमें उच्च-जाती के ऊंचे लोगों का ज्यादा प्रभाव है , ने उसको रोक दिया क्योंकि शिभु सोरेन , आदिवासियों के ऊंचे लोगों (आम-नागरिक नहीं) को समर्थन करता है |

हम खदानों से निकले कच्चे माल(अयस्क) की कुल बिक्री के दाम को 4 भागों में बांटते हैं -

1. लागत- मजदूरी , बिजली , ढुलाई आदि
2. रोयल्टी(आमदनी), टैक्स (मतलब वो पैसा जो भारत सरकार को जाता है )
3. खदानों के ठेकेदारों का मुनाफा
4. मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, आई.ऐ.एस(बाबू), पोलिस-कर्मी, हाई-कोर्ट जज, सुप्रीम-कोर्ट के जज को मिलता है

आज (3) और (4) बहुत बहुत ज्यादा है क्योंकि (2) कम है | यदि (2) को बढ़ाया जाये, तब (3) और (4) कम हो जायेगा | लेकिन बुद्धिजीवी, जो ऊंचे/विशिष्ट लोगों के एजेंट हैं, सभी तरीकों से (2) बढ़े ,ऐसा विरोध करते हैं |

यदि रोयल्टी(आमदनी) बढ़ती है, तो रिश्वतें कम होंगी | उदाहरण., यदि कुल लागत 1000 रूपए प्रति तन् है और बिक्री का दाम 5000 रुपये प्रति टन है, तो ज्यादा से ज्याद संभव रोयल्टी (आमदनी) 4000 रुपये प्रति टन है | अब यदि कोई रोयल्टी(आमदनी) की बोली 4000 रुपये लगाता है, तो बाबू, पोलिस-

कर्मी, जज और मंत्रियों को जो रिश्वत मिलेगी , वो शून्य ओगी | और यदि कोई खदान का ठेकेदार ,बोली 100 रूपए लगता है, और जीत जाता है, तो उसको 3900 रूपए प्रति टन का मुनाफा होगा और इसीलिए वो बड़ी-बड़ी रिश्वतें दे सकता है | लेकिन 100 रुपये की बोली तभी जीत सकती है, यदि जो ज्यादा बोलियां लगाने वाले हैं, उनको बुरी तरह से मारा-पीटा जाये और उनको बोली लगाने से रोका जाये | इसीलिए , भारत के सभी मंत्री और सांसद ( भा.जा.पा., सी.पी.एम के भी) खदानों के जिलों में गुंडों को बढ़ावा देते हैं | और ये गुंडे विकास को भी रोकते हैं और ये ही मुख्य कारण है कि खादानों वाले जिलों में कम विकास होता है |

**(6) `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम)` ,ये क़ानून-ड्राफ्ट कहता है कि ये गरीबों के लिए आमदनी पैदा करेगा और उनके खातों में हर महीने, सीधे पैसे देगा | पहले तो, गरीबों को काम चाहिए, पैसा नहीं | आप उन्हें पैसा दे सकते हैं, उनको खिलाने के लिए कुछ एक-आध दिन के लिए, उसके बाद क्या ? जब खनिज समाप्त हो जाएँगे , उसके बाद क्या ?**

गरीबों को दोनों पैसे और काम चाहिए | `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) रोजगार कम नहीं करता है | असल में, एम.आर.सी.एम ( और प्रस्तावित संपत्ति-टैक्स ) जमीन की जमाखोरी कम करके जमीन का दम कम करेगा और इस तरह रोजगार बढायेगा | `एम.आर.सी.एम` गरीबों को पैसे देता है , बिना नागरिकों से टैक्स लिए , और इस तरह सामान की मांग को बढायेगा और रोजगार बढायेगा | `एम.आर.सी.एम.` की आमदनी में सभी बैंडविड्थ से रोयल्टी(आमदनी) भी होगी , जो हमेशा के लिए होगी |

और खनिज तो 200 साल से ज्यादा चलने की आशा है | और, `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम)`में पब्लिक(सार्वजनिक) के प्लाट पर किराये भी शामिल होंगे और वे हमेशा के लिए होंगे | इसीलिए `एम.आर.सी.एम` गरीबों को पैसा आने वाले दशकों तक देगा | `एम.आर.सी.एम` गरीबी को महीनो में कम कर देता है --- जिसको करने के लिए , रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं को सालों लग जाते हैं | और ये केवल 2 लाख बैंक के क्लर्क के साथ लागू किया जा सकता है |

शुरू में, `सेना और नागरिक के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.ससी.एम)`के लिए हर परिवार के लिए एक खाता खाता खुलेगा, परिवार के मुखिया के नाम | भारत में 26 करोड़ परिवार है और 95% के पास राशन कार्ड हैं | जिनके पास बैंक के खाते हैं, उनको नए खाते नहीं चाहिए होंगे | मान लीजिए 25 करोड़ परिवारों के मुखिया के पास बैंक या पोस्ट-ऑफिस के खाते नहीं हैं | राशन कार्ड का नंबर और तहसील कोड का इस्तेमाल करके एक पोस्ट-ऑफिस या स्थानीय स्टेट बैंक के ब्रांच/शाखा

या अन्य निर्धारित स्थानीय बैंक के शाखा में एक खाता खोला जायेगा | बाद में हर पैसा पाने वाले , परिवार के सदस्य का अलग खाता होगा |

अभी हर एक स्टेट बैंक या अन्य निर्धारित बैंक के ब्रांच / शाखा या पोस्ट-ऑफिस में , क्लर्क को परिवार के मुखिया का राशन कार्ड नंबर, फोटो, और अंगुली का छाप लेना होगा | यदि एक क्लर्क एक दिन में 50 खाते खोल सकता है, 25 करोड़ खाते खोलने के लिए 25 करोड़ / 50 = 50 लाख देहाड़ी चाहिए | आज के समय में सरकारी बैंकों में , 6 लाख क्लर्क हैं | तो , यदि 2 लाख क्लर्क इस काम पर लगा दिए जाते हैं, तो वो एक महीने में सारे खाते खोल सकते हैं | अब शुरू में , कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अंगुली की छाप से सारी गलतियाँ दूर की जा सकती हैं | यदि कोई व्यक्ति दो बार अपने अंगुली के छाप देगा, तो मशीन कुछ ही दिन में उसको पकड़ लेगी |

**(7) मैं फिर से कहता हूँ कि आप पब्लिक / जनता को कसे बताएँगे `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) और अन्य विषयों के बारे में | और यदि आप ने बता दिया , तो वो आपसे कैसे सहमत होंगे ? मान लीजिए ,कि वे आप से सहमत हो गए, तो पटवारी, कलेक्टर का दफ्तर उनके मत इकट्ठा करेंगे | क्या (कलेक्टर,पटवारी) को ये ही काम होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा ?इस समय , आप के पास 200 अलग-अलग एफिडेविट हैं, क्या ये संभव है कि उन सब पर मत पाना और दर्ज करवाना ?**

मैं 200 एफिडेविट जमा करूँगा कलेक्टर के दफ्तर में | उसके लिए कुछ 500 पन्ने लगेंगे | उसके लिए शुल्क / फी 500 x 20 रुपये = 10,000 रुपये होगी | क्लर्क 500 पन्नों को 2-3 दिनों में स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देगा | इसीलिए 10,000 रुपयों से सभी लागत बड़े आराम से पूरी हो जाती है | यहाँ `असंभव` क्या है ? और नागरिक निर्णय करेंगे कि उनको कौन सी एफिडेविट का समर्थन करना है पटवारी/लेखपाल के दफ्तर जाकर | और जब भी उनको समर्थन करना होगा, तो उनको रु. 3 देना होगा | पटवारी का एक क्लर्क दिन में 200 `हा` या `ना` डाल सकते हैं | तो उसकी एक दिन की वसूली रु.600 होगी और महीने की वसूली 15,000 होगी (यदि महीने में 25 काम-काज के दिन मानें)| इससे उस क्लर्क का रु. 8000 का वेतन, बड़े आराम से पूरा होगा | इस तरह कंप्यूटर, कमरा, आदि का खर्चा भी 5-6 महीनों में निकल आएगा |

यदि 75 करोड़ नागरिक 200 एफिडेविट पर `हा` दर्ज करवाने का निर्णय करते हैं, तो मैं सभी `राईट टू रिकाल` के एफिडेविट को एक एफिडेविट में बना सकता हूँ | ऐसे ही, मैं सभी जूरी वाले एफिडेविट के एक एफिडेविट बना दूँगा | इस तरह सभी 200 एफिडेविट को इकट्ठा करके मैं 5-8 एफिडेविट बना दूँगा | और 75 करोड़ नागरिकों को हाँ` दर्ज नहीं करना होगा, 50 करोड़ या कम ही

काफी होंगे, ये सरकारी आदेश / क़ानून लाने के लिए | तो फिर यदि 50 करोड़ नागरिकों को 8 `हां` दर्ज करना है, और यदि एक क्लर्क एक दिन में 200 `हाँ`दर्ज कर सकता है, तो हमें (400 करोड़ / 200) , मतलब 2 करोड़ क्लर्क की दहाड़ी से कम चाहिए | इसीलिए , इस कार्य को एक लाख क्लर्क 200 दिनों में कर सकते हैं | दूसरे शब्दों में, ये कार्य 6 महीनों में पूरा हो जायेगा |

रु. 3 का शुल्क / फीस जो पटवारी के क्लर्क इकट्ठा करेंगे, उससे उनके वेतन दिए जाएँगे | यदि नागरिक `हाँ`-`ना` दर्ज करते हैं कि नहीं, एफिडेविट पर निर्भर करता है | उदाहरण से, यदि आप को `सेना और नागरिक के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) किस कारण से नापसंद है ,तो आप को जरूरत नहीं है `हाँ` दर्ज करने के लिए | लेकिन ऐसे 50 करोड़ लोग हैं , जिनको एक दिन का 20 रुपयों से भी कम मिलता है | उनको 100% नैतिक और कानूनी , हर व्यक्ति के लिए महीने का 400-500 रुपये मिलना पसंद आएगा और वे `एम.आर.सी.एम` का समर्थन करेंगे |

**(8) यदि `जे.एन.यू.` कालेज को 60 करोड़ जमीन का किराया देना है, तो उसको उतना पैसा बनाना होगा- वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा ? ज्यादा संभावना ये ही है, कि वो अपनी फीस बढ़ाएगा–फिर आम-नागरिकों का क्या होगा ?**

`जे.एन.यू.` कालेज का प्लाट का दाम कम से कम 16, 000 करोड़ है , यदि कम से कम 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का जमीन का रेट/दर लें तो | तो किराया 480 करोड़ रूपये प्रति साल होगा | और यदि हम ज्यादा रेट लेते हैं, तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा | तो हर आम-नागरिक को अंदाज से रु. 5 हर साल मिलेगा `जे.एन.यू.` कालेज के किराये से |

कृपया मुझे समझाएं ---आम-नागरिक को कैसे नुकसान होगा ? पहले, `जे.एन.यु.` कालेज के छात्र के कितने % ,आप को लगता है कि `आम-नागरिक` हैं ? भारत में केवल 12% लोग, 18-30 साल के बीच में , कालेज जा पाते हैं | और `जे.एन.यू.` कालेज में जाने के लिए अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए , जो इस 12% में से ,आधे के पास नहीं है | ज्यादातर `जे.एन.यू.` के छात्र शहरों से आते है, जहां कुछ ५०% लोग झुग्गी-झोपडियों में रहते हैं | `कितने `जे.एन.यु` कालेज के छात्र झुग्गी-झोपड़ियों में पले-बढ़े हुए है ? शायद 1% भी नहीं |

रु. 5 जो आम-नागरिकों को मिलेगा `जे.एन.यू` प्लाट में और 800 या ज्यादा रुपये जो सरे खदानों और पब्लिक प्लाट से मिलेगा , आम-नागरिकों को अपनी बुनियादी (प्राथमिक) शिक्षा को सुधारने की ताकत देगा | तो हवाई-अड्डों, `आई.आई.एम.ऐ`, `जे.एन.यू` आदि कालेजों को बिना किराए का(मुफ्त) प्लाट देकर , आप आम-नागरिकों की शिक्षा को बरबाद कर रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे |

---

जमीन पर किराया केवल `आई.आई.एम.ऐ` और `जे.एन.यू` पर ही नहीं होगा | इसके अलावा सभी पब्लिक (सरकारी) प्लाट पर होगा सिवाय उस संस्था के जो आम-नागरिकों के द्वारा छूट प्राप्त हो , जनमत-संग्रह या जूरी-मंडल सदस्यों द्वारा |

यदि पूरी बात करें -

क) हवाई-अड्डों को जमीन किराया हम आम-नागरिकों को देना होगा

ख) सभी कालेजों , जिनको पब्लिक के जमीन के प्लाट मिले हैं, को हम आम-नागरीकों को जमीन किराया देना होगा (सिवाय उनके जिनका सेना से सम्बन्ध है )

ग) क्रिकेट के मैदान, जिनको पब्लिक(सरकारी) जमीन मिली है, को जमीन का किराया देना होगा

घ) सभी अन्य खेल के मैदानों को भी जमीन का किराया देना होगा

च) ज्यादातर सरकारी विभाग और मंत्रालय जैसे पर्यटन, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण,मानव संस्सधन विकास,सूचना और प्रसार ,सूचना और तकनीकी ,ग्रामीण विकास , लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता,वस्त्र, शहरी विकास और गरीबी उपशमन, युवा मामले

और खेल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी), योजना आयोग

छ) जजों को 10,000 से 30,000 रुपये प्रति महीना ,मकान किराया भत्ता(राशन) मिलेगा या एक 4 बेडरूम-हाल-रसोई का फ्लैट मिलेगा और बंगलों के साथ प्लाट को किराए पर दिया जायेगा | ऐसे ही ज्यादातर आई.ऐ.एस (बाबू), सांसदों और मंत्रियों के लिए | प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री और कुछ दस एक मंत्रियों को छोड़ कर , किसी को भी 4 बेडरूम-हॉल-रसोई से ज्यादा नहीं मिलेगा |

ज) राष्ट्रपति का पद हटा दिया जायेगा और पूरा राष्ट्रपति के घर का प्लाट बिल्डरों को किराये पर दिया जायेगा|

जो प्लाट निजी व्यक्तियों के हैं या कंपनियों या ट्रस्ट के हैं, या राज्य सरकार या शहर या जिले के मालिकी के है, उनसे किराया नहीं लिया जायेगा | सेना, कोर्ट, जेल,रेलवे, बस-स्टैंड, सरकारी स्कूल कक्षा 12 तक और  टैक्स वसूली दफ्तरों के प्लाट को किराया देना नहीं होगा |

**(9) आप सभी भारत के नागरिकों को `सेना और नागरिक के लिए रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) के पैसे बाँटने का काम कैसे करवाना चाहते हैं ? आप पैसे प्राप्त करने वाले नागरिक की जांच कैसे करेंगे कि व्यक्ति सही है कि नहीं ?**

पैसे हर आम-नागरिक के खाते में , स्थानीय पोस्ट ऑफिस या स्थानीय स्टेट बैंक शाखा में जमा होंगे | यदि हर आम-नागरिक महीने में 2 बार पैसे निकालता है , और हमारे पास 114 करोड़ नागरिक हैं, तो एक महीने में 228 करोड़ बार पैसे निकाले जाएँगे | ये पैसे का निकालना केवल 100-100 रुपये के नोटों में हो सकते हैं | इसीलिए क्लर्क का काम आसान होगा ,उसे केवल 100-100 के रुपयों के नोट

रखने और देने होंगे | अभी के समय ,एक क्लर्क एक दिन में 200 चेक के लिए नकद दे सकता है या 5000 चेक एक महीने में , के लिए नकद दे सकता है | इस तरह 228 करोड़ लेन-देन के लिए हमें 228 करोड़ / 5000 , 5 लाख क्लर्क से कम की जरूरत है | ये लेन-देन की ऊपरी सीमा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जो केवल महीने में एक ही बार पैसे निकालेंगे | केवल बड़े / बुजुर्ग ही पैसे निकालेंगे , इसीलिए आम-नागरिकों की संख्या जो पैसे निकालेंगे असल में 80 करोड़ होगी और 114 करोड़ नहीं | यदि हम 120करोड़ लेन-देन , हर महीना का आंकड़ा लेते हैं, तो हमें 2.5 लाख से कम क्लर्क चाहिए | अभी के समय , स्टेट बैंक के पास 3.5 लाख क्लर्क हैं | इस तरह , एम.आर.सी .एम का पैसा 114 करोड़ नागरिकों को देना बड़ी आसानी से हो सकता है | और जैसे समय के साथ, `ऐ.टी.एम` आदि के साथ , ये और भी आसान हो जायेगा |

==========

भारत में लगभग 3 से 5 करोड़ वैध युवा नागरिक हैं, जिनके पास कोई भी पहचान-पत्र नहीं है | पहले चरण में, उनको केवल तहसीलदार के दफ्तर जाना है और अपने अंगुली के छाप देकर, उनका नाम बताना है | तहसीलदार उनकी फोटो लेगा और उनका पहचान-पत्र बनाएगा |

बाद में (4 महीनों के अंदर) अतिरिक्त जानकरी ली जायेगी जैसे माता-पिता के नाम, बहन-भाई के नाम, बच्चों के नाम और उन सबके पहचान पत्र के संख्या नंबर क्या है |

==========

बाकी युवा नागरिकों के पास पहचान पत्र हैं, वे कोई भी पहचान-पत्र का प्रयोग कर सकते हैं | जब एक व्यक्ति `एम.आर.सी.एम.` दो बार लेने आयेगा, तो सिस्टम उसके अँगुलियों के छाप से पकड़ लेगा और उसे सजा होगी |

==========

आप “व्यक्ती के जांच “ के समस्या के बारे में बात कर रहे हैं ? आज के समय, हमारे पास बहुत ही खराब सिस्टम है, व्यक्ति के जांच के लिए और इसीलिए कुछ जाली व्यक्ति तो आ पाएंगे | लेकिन 5 % से कम | ये `नरेगा` या `आई.आई.इम.ऐ.` के लिए आर्थिक सहायता या `जे.एन.यु.` के लिए आर्थिक सहायता या हवाई-अड्डों के लिए आर्थिक सहायता से अच्छा है, जहाँ 80% जाली व्यक्ति होते हैं | इस तरह यदि , `एम.आर.सी.एम` यदि आज शुरू होता है, तो कम से कम 95% पैसा हम ,आम-नागरिकों को जायेगा , केवल 5% जाली व्यक्तियों को जायेगा | और जैसे समय बीतेगा, ये और कम किया जा सकता है, `राष्ट्रिय पहचान-पत्र` सिस्टम लागू करवा कर |

**(10) किस आधार पर हम `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) भारत के सभी आम-नागरिकों को हर महीने देंगे ? क्या ये मुफ्त / फ़ोकट का पैसा है या संपत्ति का बदली / तबादला / हस्तांतरण / ट्रान्सफर है या ये पैसा टैक्स द्वारा इकट्ठी की जायेगी ? ये प्रस्ताव , उस प्रस्ताव से कैसे अलाग है , जिसमें टैक्स की छुट देने की बात हो , ताकि आम-नागरिकों के पैसे खर्च करने की ताकत बढ़ाई जा सके ?**

ये मुफ्त / फ़ोकट  का पैसा नहीं है | ये पैसा खदानों की आमदनी और पब्लिक (भारत सरकार) की जमीन के किराये से आएगी | और जैसा आप को पता है, भारत सरकार के ये प्लाट जैसे आई.आई.एम.ऐ. प्लाट, दिल्ली हवाई-अड्डा प्लाट आदि, हम आम-नागरिकों के हैं | तो हम आम-नागरिक को इन प्लाट से किराया और खदानों से आमदनी क्यों नहीं मिलना चाहिए ? `आई.आई.एम.ऐ` का प्लाट 100 एकड़ है और कम से कम 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर भी जमीन का दम लगाया जाये, तो जमीन का दम 2000 करोधई और किराया यदि हर साल , इसका 3% लिया जाये , तो हर साल , 60 करोड़ रुपये या 60 पैसे प्रति नागरिक हर साल बनता है |

और दिल्ली हवाई-अड्डा 2000 एकड़ है और कम से कम एक लाख प्रति वर्ग मीटर के रेट से, उसकी जमीन का दाम 2 लाख करोड़ है | और उसपर 3% सालाना किराया के हिसाब से , 6000 करोड़ रुपये या 60 रुपये प्रति नागरिक हर साल होता है |  भारत सरकार के पास पूरे देश में ऐसे हज़ारों प्लाट हैं | इन प्लाट में से किराया से , हम आम-नागरिकों के लिए काफी पैसा मिल सकता है | ये मुफ्त का पैसा नहीं है | ये किराया है उन प्लाट से जिसके हम 120 करोड़ आम-नागरिक मालिक हैं और आमदनी है उन खदानों से, जिसके हम मालिक हैं |

ये संपत्ति का तबादला या टैक्स में छूट नहीं है | `आई.आई.एम.ऐ` प्लाट, `जे.एम.यू` के प्लाट , हवाई-अड्डे के प्लाट आदि से किराया वसूली संपत्ति का तबादला नहीं है | हम भारत के 120 करोड़ आम-नागरिक, उस जमीन के बराबर के मालिक हैं | अभी तक, ये प्लाट ऊंचे लोग द्वारा इस्तेमाल किये गए , फ़ोकट में | अभी हम `प्रजा अधीन-राजा` समूह के लोग इस फ़ोकट-पण को समाप्त करना चाहते हैं |

टैक्स की छूट से केवल ऊंचे /वशिष्ट लोगों को फायदा होता है, हम आम-नागरिकों को नहीं | मैं ऊंचे/विशिष्ट लोगों को टैक्स लगा कर आम-नागरिकों को देने के खिलाफ हूँ | मैंने जो संपत्ति-टैक्स, आय-कर, और विरासत-टैक्स का जो प्रस्ताव किया है, वो केवल सेना, कोर्ट, पोलिस, `राष्ट्रिय पहचान-पत्र सिस्टम` बानाने, सभी आम-नागरिकों को हथियार-प्रयोग की शिक्षा देने के लिए ही है | ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ऊंचे/विशिष्ट लोगों पर टैक्स लगाने के लिए , ताकि आम-नागरिकों को पैसा दिया जा सके | लेकिन यदि हमारे बजट में घाटा है, तो कोई टैक्स की छुट नहीं होनी चाहिए | ऐसी स्थिति में सम्पाती-टैक्स और विरासत-टैक्स को बढ़ाना चाहिए बजट के घाटे को शून्य करने के लिए |

यदि सरकार ये जमीन पर किराये और खदानों की आमदनी का पैसा अपने पास रखती है और पैसा खर्च करती है , तो भ्रष्टाचार की समस्या आएगी | और जैसे आप को मालूम है, 100 में से 99 आई.ऐ.एस.(बाबू). पोलिस-कर्मी, जज, मंत्री, पूरी तरह भ्रष्ट हैं | तो जब सरकार पैसा इकट्ठा करती है , तो नेता-बाबू-जज-पोलिस-प्रबंधक(नियामक)-बुद्धिजीवी-ऊंचे लोग अमीर होते हैं और हम आम-नागरिक भूखे मरते हैं | मैं सेना ,कोर्ट, पोलिस, परमाणु हथियार आदि पर सरकार द्वारा खर्चा करने का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये सभी आम-नागरिकों के हित में है, कि खदानों की रोयल्टी(आमदनी) और पुबिक जमीन का किराया **सीधे** 120 करोड़ आम-नागरिकों को जाये |

पब्लिक जमीन पर किराया कोई टैक्स नहीं है | 2% निजी/प्रायवेट जमीन के दाम पर टैक्स का प्रस्ताव मैंने सेना, कोर्ट ,पोलिस आदि को चलाने के लिए किया है | और ये टैक्स का पैसा आम-नागरिकों को नहीं जाएगा | लेकिन पब्लिक जमीन से किराया , जैसे `आई.आई.एम.ऐ` का प्लाट, दिल्ली हवाई-अड्डे का प्लाट आदि का 33% सेनाके लिए जायेगा और 67% हम आम-नागरिकों को जायेगा |

**(11) आप ने दिल्ली हवाई-अड्डे से किराये की बात की है, लेकिन कृपया ये बताएं कि ये किराया कौन देगा ? हवाई जहाज-कंपनी (एयरलाइन) ? लेकिन हवाई जहाज-कम्पनी (एयरलाइन) इस किराये को यात्रियों के ऊपर डाल देगा , हवाई-जहाज का किराया बढ़ा कर और यात्री फिर हवाई जहाज से उड़ना बंद कर देंगे ऊंचे किरायों के वजह से |**

दिल्ली हवाई-अड्डा का विचार कीजिये | वो हर साल 2 करोड़ यात्रियों की सेवा करता है | उसके प्लाट का किराया , 6000 करोड़ हर साल आ सकता है , यदि कम से कम बाजार का दाम लगाया जाये- एक लाख रुपये प्रति वर्त्ग मीटर | इस तरह ये किराया हर यात्री के लिए 3000 रुपये होगा | एक ऊंचे / विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति का विचार करें जो दिल्ली हवाई-अड्डे का प्रयोग साल में 20 बार करता है | उस पर जमीन का किराया न लगा कर, उसकी अमीरी 6 लाख से बढ़ जायेगी | और भारत का हर आम-नागरिक को हर साल 60 रुपयों का घाटा होगा क्योंकि उसको दिल्ली हवाई-अड्डे के जमीन से किराया नहीं मिला , जो जमीन में उसकी हिस्सेदारी है | तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऊंचे/विशिष्ट वर्ग के लोगों को किराए देने में छूट होनी चाहिए और हम आम-नागरिकों को भूखे मारना चाहिए ?

अभी एक यात्री जो दिल्ली हवाई-अड्डा आता है, एक होटल में रहेगा जो कम से कम 5000 रूपए एक दिन का लेगी | क्या वो होटल को किराया नहीं देता है ? उसी तरह , उसे हवाई-अड्डे का प्लाट इस्तेमाल करने के लिए किराया देना चाहिए | माफ कीजिये ,कोई फ़ोकट-पन्ना या समाजवाद नहीं |

**(12) करोड़ों आम-नागरिकों को कैसे पता चलेगा कि `सेना और नागेरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) (एम.आर.सी.एम)` का एफिडेविट दर्ज कर दिया गया ?**

मैं पहले एक असली घटना बताऊंगा | 2002 के साल में, भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी कि हर बुजुर्ग नागरिक , जिसकी आमदनी 5 लाख हर साल स कम है , को 200 रुपये हर महीना मिलेगी | (ये पेंशन पोस्टल आर्डर द्वारा पहुंचाई जाती हैं ,उनके घरों तक और एक एफिडेविट चाहिए आमदनी के घोषणा के लिए ; गलत एफिडेविट के लिए, छे महीनों की सज़ा है ; इसीलिए बहुत कम भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं ) | भारत सरकार ने कोई भी टी.वी , समाचार-पत्र या रेडियो, कही भी इसका प्रचार नहीं दिया था | फिर भी, 9-10 महीनों के छोटे से समय में, हर बुजर्ग नागरिक जो पात्र / योग्य था , इस योजना में दर्ज हो गया था | फिर बात कैसे फैली ? जब कोई चीज किसी के सीधे , खुद के फायदे की होते है , और समझने और करने के लिए सरल होती है, तो बात बिजली के करंट के तरह

फैलती है |

एक बार नागरिक प्रधानमंत्री को मजबूर कर देते हैं ` जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` को भारतीय राजपत्र में डालने के लिए, और एक बार `सी और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) (एम.आर.सी.एम)` कि एफिडेविट दर्ज कर दी जाती है–क्योंकि `एम.आर.सी.एम` आम-नागरिकों के सीधे, खुद के हित में है, तो `एम.आर.सी.एम` एफिडेविट की बात बिजली के करंट जितने तेज फैलेगी | नागरिक का काम सिर्फ इतना है --- उसे पटवारी /लेखपाल के दफ्तर जाना होगा 10-15 मिनट के लिए और उसे 3 रुपये देना होगा (गरीब के लिए एक रूपया) | और क्योंकि `एम.आर.सी.एम` उसके सीधे, खुद के फायदे की बात है ,तो वो अपना सारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को उसके बारे में बताएगा | इस तरह `एम.आर.सी.एम` के एफिडेविट की बात करोड़ों नागरिकों तक कुछ ही दिनों तक पहुँच जायेगी |

आज, मीडिया (समाचार-पत्र, टी.वी, रेडियो, पाठ्यपुस्तक आदि) ऐसी जानकारी देते हैं जो जाँची नहीं जा सकती हैं और इसीलिए भरोसे वाली नहीं होती है | लेकिन `जनता की आवाज़` ऐसी जानकारी देगा , जो हर नागरिक द्वारा खुद जाँची जा सके , कभी भी | इसलिए जब कुछ लाख लोग भी `एम.आर.सी.एम` का समर्थन करेंगे, `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` द्वारा, तो देश के दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चल जायेग कि कुछ है जो लोग सही मायने में समर्थन कर रहे हैं , कुछ जो देश के हित में है | फिर, `एम.आर.सी.एम` आग की तरह फैलेगा |

**प्रश्नकर्ता- हम ऐसी स्तिथि कैसे संभालेंगे जब मिलते-जुलते कई एफिडेविट फाइल किये जायेंगे ?**
**उदाहरण- यदि `सेना और खनिज आमदनी` ड्राफ्ट हम या कोई दर्ज करता है, नेता अपना अलग इस ड्राफ्ट का रूपांतरण दर्ज कर सकते हैं और भ्रम पैदा कर सकते हैं और `प्रजा अधीन राजा समूह` के ड्राफ्ट के बारे में झूठा प्रचार कर सकते हैं, `बिकी हुई मीडिया` के सहायता से | ऐसी स्तिथि में लोगों का मत बिखर जायेगा और ड्राफ्ट के लिए दबाव कमजोर हो जायेगा | एक ड्राफ्ट कहेगा कि केवल पब्लिक भूमि का किराया ही जनता और सेना को जाना चाहिए और दूसरा मिलता-जुलता ड्राफ्ट ये कह सकता है कि निजी जमीन भी जनता में बांटनी चाहिए, सेना को कुछ भी किराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे आम-नागरिकों को ज्यादा पैसा मिलेगा |**

**ऊतर -**

**`सेना और नागरिकों के लिए खनिज आमदनी (एम.आर.सी.एम)`-1 :** कुल आमदनी की 66% नागरिकों के लिए बांटी जाये, सेना के लिए 33%, निजी जमीन पर कोई भी किराया नहीं लिया जायेगा |
**`एम.आर.सी.एम`-2** : कुल आमदनी 100% नागरिकों के लिए बांटी जाये, सेना के लिए 0% और निजी भूमि पर भी किया लिया जाये |

अब नागरिक दोनों पर अपनी `हां` दर्ज कर सकता है | या मानें कि केवल `एम.आर.सी.एम`-2 पर `हाँ` दर्ज करते हैं |लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में `विदेशी लोबियों` को भारी नुकसान होगा, और उनकी मीडिया को खरीदने की क्षमता कमजोर होगी | राईट टू रिकाल-दूरदर्शन अध्यक्ष और पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली आने से `बिकी हुई मीडिया` ना के बराबर हो जायेगी |

और कार्यकर्ताओं कोक सेना का महत्त्व भी समझाया जा सकता है | इसीलिए बाद में, 33% सेना को आमदनी ड्राफ्ट में जोड़ी जा सकती है |
`निजी भूमि पर किराया` वाले ड्राफ्ट के बहुत कम समर्थक होंगे | कार्यकर्ता बेवकूफ नहीं हैं | वे देखेंगे कि यदि निजी भूमि-मालिक को भूमि पर किराया देने के लिए कहा जाता है, तो वो उनकी भूमि छिन जाने के बराबर है | ये संभव है कि ऐसा ड्राफ्ट जबरन लाया जाये लेकिन यदि ऐसा किया जाता है, तो समर्थ निजी-भूमि मालिक वाले व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजिनीर, आदि सभी अमेरिका भाग जायेंगे | फिर नागरिकों की सेवा कौन करेगा ? बाबू ? समाज-सेव्वक ? कार्यकर्ता ? नेता ?

दूसरे शब्दों में, कार्यकर्ताओं को तब तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, जब तक उनके हाथ ड्राफ्ट नहीं आ जाता | लेकिन `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` बहुत ज्यादा ड्राफ्ट-केंद्रित है | इसीलिए ड्राफ्ट कार्यकर्ताओं से छिपाया नहीं जा सकता | इसीलिए बुरे ड्राफ्ट की बुराई सामने आएगी |

==========

`बिकी हुई मीडिया` शक्तिशाली है, लेकिन उसकी सीमाएं भी देखें | `बिकी हुई मीडिया` आपको ये नहीं विश्वास दिलवा सकती कि 2 +2 = 5 है | दूसरे शब्दों में, ठोस तथ्यों के सामने, `बिकी हुई मीडिया` विफल हो जाती है | ज्यादा से ज्यादा `बिकी हुई मीडिया` तथ्यों को दबा सकती है |
और `बिकी हुई मीडिया` की कमजोरी देखने के लिए, ध्यान दीजिए इस तथ्य पर --- अन्ना और अरविन्द केजरीवाल दोनों को मजबूर होना पड़ा , राईट टू रिकाल को दिखावटी समर्थन करने के लिए | उनकी इच्छा थी कि `राईट टू रिकाल` का मुद्दा ही नहीं उठे | लेकिन कुछ ही गिने चुने `राईट टू रिकाल` के प्रचारकों ने अन्ना-अरविन्द के कई सौ कार्यकर्ताओं को `राईट टू रिकाल` का ड्राफ्ट बताया और फिर और फैला | और `बिकी हुई (पेड) मीडिया` के पूरी प्रयासों के बावजूद कि राईट टू रिकाल को दबाया जाये ; अन्ना-अरविन्द के बिना ड्राफ्ट के `राईट टू रिकाल` के झूठे समर्थन और सुब्रमनियम स्वामी और अन्य राईट टू रिकाल के विरोधियों का पूरा प्रचार करने के बावजूद --- राईट टू रिकाल के ड्राफ्ट ने अब तक इतना विकास किया है |
और ये सब हुआ , बिना `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` और बिना राईट टू रिकाल-दूरदर्शन अध्यक्ष के | लेकिन पारदर्शी शिकयत / प्रस्ताव प्रणाली के लागू होते, `बिका हुआ मीडिया` मुकाबला नहीं कर पायेगा |

मूल बात ये है कि कार्यकर्ताओं को आम-नागरिकों को ड्राफ्ट बताना चाहिए और उन्हें झूठा, बिना ड्राफ्ट का समर्थन पर विश्वास नहीं करने के लिए कहना चाहिए |

# (4) महंगाई के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**प्रश्न 1-महंगाई का असली कारण क्या है ?**

**सामान्य तौर पर महंगाई तभी बढ़ती है जब रुपये (एम 3) बनाये जाते हैं लोन,आदि के रूप में और भ्रष्ट अमीरों को दिए जाते हैं, जिससे प्रति नागरिक रुपये की मात्रा बढ जाती है और रुपये की कीमत घाट जाती है और दूसरे चीजों की कीमत बढ जाती है जैसे खाद्य पदार्थ/खाना-पीना, तेल आदि | भारतीय रिसर्व बैंक के आंकडो के अनुसार, प्रति नागरिक रुपये की मात्रा (देश में चलन में कुल नोट,सिक्कों और सभी प्रकार के जमा राशि का कुल जोड़ को कुल नागरिकों की संख्या से भाग किया गया ) 1951 में 65 रुपये प्रति नागरिक थी और आज, 2011 में लगभग 50,000 रुपये है प्रति नागरिक |**

---

**सब चीजों का मूल्य सापेक्ष/तुलनात्मक है और मांग और आपूर्ति/सप्लाई के अनुसार निर्धारित/पक्का होता है |** मान लो , केवल एक बाजार है और कुछ नहीं ,आसानी से समझने के लिए | बाजार में , एक बेचनेवाला है जो 10 किलो आलू बेच रहा और एक खरीदार जिसके पास सौ रुपये हैं | मान लो अगली स्थिति में, बेचनेवाले के पास 10 किलो आलू के बजाय 20 किलो आलू हो जाते हैं, तो क्या अब आल का दाम घटेगा कि बढेगा ?

आसान सा अनुमान/अंदाजा - आलू का दाम घटेगा क्योंकि आलू की सप्लाई/आपूर्ति बढ गयी है |

एक और स्थिति में , मान लो बेचने वाले के पास 10 किलो आलू हैं लेकिन अब दो खरीदार हैं और दोनों के पास 100-100 रुपये हैं | अब, आलू का दाम घटेगा या बढेगा ?

आसान सा अंदाजा/अनुमान- आलू का दाम बढेगा क्योंकि रुपयों की सप्लाई बढ गयी है और इसीलिए रुपये की कीमत घटेगी और दूसरे सामान का दाम बढेगा जैसे खाना-पीना, पेट्रोल, गैस, आदि |

असलियत में भी ऐसे ही होता है |

अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं -

**प्रश्न 2- ये रुपये कौन बनाता है और ये रूपये कहाँ से आते हैं(रुपये=एम3 देश में सभी नोट,सिक्के और सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़ है ) ?**

रिसर्व बैंक के पास लाइसेंस है रुपयों को बनाने का और अनुसूचित बैंक(बैंक जिनको रिसर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है रुपयों को बनाने का जमा राशि के रूप में ) के पास भी | कोई स्वर्णमान (गोल्ड स्टैण्डर्ड) अभी नहीं है (कि जितना सोना है , उतना ही पैसा बना सकते हैं) , क्योंकि वो कई दशक पहले पूरी दुनिया में रद्द हो गया है | रिसर्व बैंक गवर्नर/राज्यपाल रुपयों को सरकार के कहने पर बनाता है |

केवल रिसर्व-बैंक ही नोट छाप सकती और सिक्के बना सकती है लेकिन अनुसूचित बैंक जैसे स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., आदि, भी रुपये (एम 3) बना सकते हैं जमा राशि के रूप में | ये रुपयों की सप्लाई/आपूर्ति में बढने से रुपयों का मूल्य/दम कम हो जाता है और ये दूसरे सामान का दाम बड़ा देता है जैसे खाना-पीना , तेल के दाम,आदि और सामान्य महंगाई का मुख्य कारण है |

**प्रश्न 3- रिसर्व-बैंक और अनुसूचित बैंक रुपये क्यों बनाते हैं ?**

वे ऐसा अमीर ,भ्रष्ट लोगों के लिए करते हैं | मुझे एक उदाहरण देने दीजिए | मान लीजिए एक अमीर कंपनी है, जिसके रिसर्व बैंक-गवर्नर(राज्यपाल), वित्त मंत्री के साथ सांठ-गाँठ है | वे एक सरकारी बैंक से 1000 करोड़ रुपयों का कर्ज लेते हैं और वापस 200 करोड़ रुपये चूका देते हैं | और क्योंकि उनके सांठ-गाँठ है, वे रिसर्व-गवर्नर, वित्त मंत्री आदि को बोलेंगे कि वे उनको हिस्सा/रिश्वत देंगे और बदले में उनको उनकी कंपनी को दिवालिया/`डूब गयी` घोषित करने दिया जाये |

फिर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है | अभी, यदि बैंक ये 800 करोड़ का घाटा लोगों को घोषित कर देता है , तब बैंक भी दिवालिया हो जायेगा(डूब जायेगी) और बैंक के ग्राहक को भी अपनी

जमा राशि खोनी पड़ेगी और ग्राहक, जो आम नागरिक-मतदाता हैं, शोर करेंगे और सरकार को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा | इस स्थिति से बचने के लिए, सरकार रिसर्व बैंक-गवर्नर/अनुसूचित बैंकों को 800 करोड़ रुपये बनाने के लिए कहती है | ये ज्यादा रुपयों की सप्लाई , जब बाजार में आ जाती है, तो रूपए की कीमत घट जाती है और सामान की कीमत बढ जाती है, यानी महंगाई हो जाती है |

**प्रश्न 4-प्रति नागरिक रुपये की मात्रा , लगबग 1000 गुना बढ़ी है 1951 से 2011 तक | ये क्या इसीलिए है क्योंकि कुल (सकल) घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी; देश के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य) भी बढ़ी है या क्योंकि रुपये का दाम गिरा है ?**

सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 1951 से 2011 तक केवल तीन गुना बढ़ा है, जो रुपये की मात्र का हज़ार गुना बढौतरी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती |

रूपया डालर और अन्य मुद्राओं के मुकाबले केवल 25-30 गुना ही गिरा है , जो रुपये मात्रा की हज़ार गुना बढौतरी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है |

**प्रश्न 5-महंगाई व्यापारियों द्वारा सामान की जमाखोरी से या निर्यात/`देश से बाहर भेजना` से होती है क्योंकि इससे सामान की कमी होती है और सट्टा बाजार या कम पैदावार से भी महंगाई हो सकती है |**

ये सभी स्थानीय कारण हैं और ये सामान्य, व्यापक स्तर से कीमतें नहीं बढाते हैं| सामान की जमाखोरी से सामान की कमी आती है लेकिन कोई भी हमेशा के लिए सामान को जमा नहीं कर सकता और बाजार में सामान को छोड़ने पर , कीमतें कम होंगी और सामान्य कीमतों के बढने में कीमतें **केवल एक ही दिशा में, ऊपर की ओर** जाती हैं और कीमतें एक बार जब बढ़ जाती हैं तो कभी भी गिरती नहीं हैं |

ऐसे ही कीमतों का उतार-चढ़ाव का रुख/झुकाव देखा जा सकता है, खाने-पीनी की चीजों और दूसरे सामानों के सट्टे में |

और सभी चीजों देश से बाहर नहीं भेजी जाती, इसीलिए सामान का देश से बाहर भेजना कीमतों की ऊपर की ओर का सामान्य झुकाव के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता |

**प्रश्न 6- ये कीमतों का बढना=महंगाई सभी नागरिक, गरीब और अमीर,सांठ-गाँठ के साथ और बिना कोई सांठ-गाँठ के , दोनों को एक समान असर करती है ?**

नहीं | जो लोग गरीब हैं, बिना किसी सांठ-गाँठ/संपर्क के , वे और गरीब हो जाते हैं जब सामान के दाम बढ जाते हैं | और अमीर, विशिष्ट वर्ग के लोग सरकार के साथ मिली-भगत बना लेते हैं और रुपयों को बनवा लेते हैं **मुफ्त में** !! इस तरह, अमीर, सांठ-गाँठ/संपर्क वाले लोग गरीब, बिना कोई राजनैतिक या उच्च संपर्क के, आम लोगों को लूट रहे हैं !!

**प्रश्न 7- पेट्रोल की कीमतें सरकार की साजिश के कारण हुआ है | क्यों पेट्रोल की कीमतें अभी तक नहीं बढ़ी थीं ?**

पेट्रोल की कीमतें , दूसरे चीजों की तरह कुल रुपये की मात्रा पर निर्भर करती है और मांग और सपलाई के अनुसार निर्धारित होती हैं | क्योंकि प्रति नागरिक रुपये की मात्र बढ़ गयी है, रुपये की कीमत कम हो गयी और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं | केवल फर्क ये है कि पेट्रोल का दम कुछ हद तक , कृत्रिम(बनावटी) रूप से नियंत्रित/कंट्रोल/शाशन होते हैं , लेकिन एक सीमा के बाद, सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाना पड़ता है, जो वैसे भी बढ़ता , यदि पेट्रोल का दाम शाशित/नियंत्रित नहीं होता | इसीलिए , 80% कारण क्यों पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैर-कानूनी रुपयों का बनाना भ्रष्ट अमीरों के लिए , सरकार , रिसर्व बैंक और सरकारी बैंकों द्वारा |

**प्रश्न 8- महंगाई, मतलब सामान्य कीमतों का बढ़ना , पेट्रोल के दाम बढ़ने और ढुलाई / परिवहन के कीमतों के कारण है** ?

पेट्रोल का दाम और ढुलाई / परिवहन का दाम , किसी भी चीज के दाम का केवल 2-5% हिस्सा है | उदाहरण से , चावल का दाम , रु. 20 प्रति किलो था कुछ पांच साल पहले, जिसमें ढुलाई का हिस्सा रु.1 था | यदि पेट्रोल का दाम डेढ़ गुना बढ़ा , फिर यदि चावल की कीमत केवल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से , बढ़ी तो चावल की कीमत ज्यादा से जयादा रु. 21 होती, लेकिन अभी असल में चावल की कीमत रु. 40 प्रति किलो है |

**प्रश्न 9- इसका कोई उपाय है ?**

बिलकुल है|
इसके दो उपाय हैं- पहला कि रिसर्व बैंक के गवर्नर को निकालने/बदलने का अधिकार आम नागरिकों हो होना चाहिए यानी राईट टू रिकाल-रिसर्व बैंक गवर्नर |इसका ड्राफ्ट निचे विवरण में दिए गए लिंक में से डाउनलोड करके देख सकते हैं |
दूसरा उपाय है कि नए रुपये बनने के लिए कम से कम 51 % नागरिक स्वकृति दें | इसके लिए हमें तीन लाइन क़ानून या जनता की आवाज़ को प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर करने के लिए कहना होगा | इसका भी लिंक विवरण में देखें |

ये सन्देश कि महंगाई का असल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है ,घर-घर तक पहुंचाएं और देश को समृद्ध बनाएँ|
धन्यवाद|

**प्रश्न 10-क्या आरोही / प्रगामी (प्रोग्रेसिव) टैक्स (जो टैक्स का प्रतिशत आय या संपत्ति बढ़ने पर में बढ़ जाता है), संवैधानिक (संविधान के अनुसार) है ?**

प्रोग्रेस्सिव ,सेना आदि को लिए है ,ये टैक्स पोलिस | आरोही टैक्स समानता को नहीं तोड़ता है / अभी स | संपत्ति के रक्षा के लिए-नागरिकों के धनुरक्षा का खर्चा संपत्ति जिसकी सुरक्षा करना है बढ़ , करने की जैसे एक करोड़ के सोना की सुरक्षा | प्रतिशत रूप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है , जाती है तो ,कीमत मान लें हर साल एक लाख है2 करोड़ के सोना की सुरक्षा की कीमत 2 लाख से ज्यादा होगी / इसीलिए प्रोग्रेस्सिव |आरोही टैक्स संवैधानिक है |

दो तरह के तुलनात्मक क़ानून ऐसा है जैसा , जहाँ सेज़ है और जहाँ सेज़ नहीं है," एक ही देश के अंदर दो देश हों "कोर्ट की संविधान के -इसमें आपकी और सुप्रीम ? वो क्या समानता नहीं तोड़ता है , अधिकतर सेज़ के मालिकों न ? बारे में क्या समझ हैे सुप्रीमकोर्ट के जजों के बेटों को अपने कंपनी में - लेकिन जैसे हम | अच्छे पदों पर रखा है और उन्हें करोड़ों रुपये वेतन देते हैं105 करोड़ आमनागरिक - | सेज़ संविधान की बताई हुई समानता भंग करता है ,संविधान का अर्थ लगाते हैं

**प्रश्न 11- यदि बैंक 100 % केन्द्रीय`रिसर्व अनुपात) `सीके खातों को अनुमति (आर.आर. / इजाजत दे देते हैं जिसमें )कम ब्याज होता है ,(`जमाकर्ताओं के लिए बीमा` का प्रबंध बंद करके तो बैंक की , रूचि क्या होगी ऐसे जमा राशि लेने के लिए नकद या सोना किसी लोककर , ये कैसे अलग होगा ? खाते में जमा रखनेसे ?**

का प्रबंध से बैंक लापरवाह हो गए हैं और लोन देना शुरू कर दिया है `जमाकर्ताओं के लिए बीमा` `जमाकर्ताओं के लिए बीमा` इसीलिए | अस्थिरता पैदा कर दी है और इसने बहुत , बिना कोई कारण के का प्रबंध को बंद कर देना चाहिए और जमाकर्ता को100% `केन्द्रीय रिसर्व अनुपात का (.आर.आर.सी) तो उसे अपना पैसे के लिए खतरा ,चुनाव देना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि यदि उसे ब्याज चाहिए ना , मूल पूंजी और ब्याज का अमीर भ्रष्ट द्वारा | बैंक खोजना पड़ेगाउठाना पड़ेगा और एक अच्छा | कुछ ही महीनों में कम हो जायेगा ,लौटाना और खुद खा जाना
100 % केन्द्रीय रिसर्व अनुपात खातों में ब्याज कम होगा किसी लोककर खाते ,ये सोना जमा कर के | - क्योंकि ,में रखने से अच्छा है
1. जमा| (राशि स्तानान्तरण) राशि को एक खाते से दूसरे खाते ले जाना समभाव है-
2. उस राशि के चोरी के लिए बीमा होगा |

इस तरह के खाते में कम ब्याज होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, फिर भी इसका प्रयोग करेंगे | 100 % `केन्द्रीय रिसर्व अनुपात` के खातों की सरकार द्वारा बीमा होगा | ज्यादा ब्याज देने वाले खाते केवल प्रायवेट / निजी बैंकों में ही खोले जा सकेंगे और इन खातों का सरकार द्वारा बीमा नहीं किया जायेगा | और हर पासबुक, चेक आदि पर पर साफ़ चेतावनी दी जायेगी कि " भारत सरकार और नागरिकों को कुछ भी नहीं देना होगा यदि ,ये बैंक दिवालिया हो जाता है और ये बैंक कभी भी दिवालिया हो सकता है |" ये ऐसा ही है , जैसा कि सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है " सिगरेट पीना आप को मार सकता है |" और येही सच्चाई है कि बैंक दिवालिया हो जाते हैं और इसीलिए ये सच्चाई हर पासबुक पर लिखी होनी

चाहिए |

ये जमाकर्ताओं को बचा सकता है या नहीं भी बचा सकता है | वैसे भी, लोग चेतावनी के बावजूद भी , सिगरेट पीते है और कैंसर से मरते हैं | लेकिन ये हम आम-नागरों का आर्थिक बोझ जरूर कम करेगा --- हमें जमाकर्ताओं को बचाना नहीं पड़ेगा , जब कोई बैंक दिवालिया होगा | और ये जिम्मेदारी , जमाकर्ता पर डालता है–उसे बोला गया था कि बैंक दिवालिया हो सकता है |

---

**प्रश्न 12- हर बार जब कोई भारत में डॉलर या कोई वेदिशी मुद्रा बैंक के खाते में जमा करता है , तो रिसर्व बैंक नए रुपये बानती है | इसको रोकने का क्या उपाय है ?**

हमें ये सिस्टम इस तरह बदलने की जरूरत है : जब एक व्यक्ति एक हज़ार डॉलर जमा करता है, उसके खाते में एक हज़ार डॉलर जमा दिखेगा ,जब तक वो उसे साफ़ रूप से उसे रुपयों में नहीं बदलता है | और उसको डॉलर को रुपयों को बदलने के लिए , किसी प्रायवेट/निजी कंपनी को डॉलर देने होंगे चेक द्वारा और कंपनी उसे रुपये देगी | इस तरह कोई भी रुपये नहीं बनाये जाएँगे , जब डॉलर देश में आयेंगे | भारत सरकार केवल सेना और सरकार की जरूरतों के लिए डॉलर खरीदेगी | दूसरे देशों से पेट्रोल और दूसरी चीजें मंगाने के लिए जो डॉलर चाहिए, वो निजी साधनों से लाना होगा | और डॉलर में आमदनी के लिए टैक्स में छूट नहीं होगी और डॉलरों में खर्चे (मतलब बाहर से सामन मंगाने के लिए) , आमदनी से टैक्स के गणित के लिए घटाई नहीं जायेगी | और इसके अलावा, हमें 100-300 % सीमा-शुल्क लगाना चाहिए, तो केवल डॉलरों में देना होगा | और हमें ये सब क़ानून आम-नागरिकों की `हाँ` द्वारा ही लागू करने चाहिए | हमें ये क़ानून सांसदों को रिश्वत दे कर और संसद में पास करवाने द्वारा नहीं लाना चाहिए |

**प्रश्न 13- मुद्रा के लिए सोना होने के क्या फायदे और नुकसान हैं ?**

कब कोई ईकाई/वस्तु , रूपया हो या डॉलर या सोना , भारत में “मुद्रा” बन सकती है ?
जब सभी भारतीय नागरिकों को उसकी जरूरत हो और लगबग हर कोई को लगे कि वो वस्तु उसे भविष्य में सामान खारीदने की क्षमता दे | और यदि एक वस्तू सभी लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, तब अनेक मुद्राएं होंगी ,उदाहरण से ,आज भारत में , रूपया प्रधान मुद्रा है, लेकिन वे सोना, चांदी, डॉलर आदि भी प्रयोग करते हैं , संपत्ति जमा करने के लिए और सीमित रूप में लेन-देन करने के लिए | अभी हर नागरिक को सेना,पोलिस और कोर्ट की जरूरत है - सीधे या बिना सीधे (अप्रत्यक्ष) रूप से , और इन सेवाओं के लिए पैसा टैक्स से आता है - उत्पादन टैक्स, आय-टैक्स आदि | अभी यदि, भारतीय सरकार यदि टैक्स डॉलरों में मांगने लगे, तो डॉलर का महत्त्व बढ़ जायेगा और यदि सरकार टैक्स रुपयों में देने के लिए कहती है, तो रुपये का महत्त्व बढ़ जायेगा | लेकिन यदि सेना, पोलिस और कोर्ट खुद का महत्त्व कम हो जाता है और वे कमजोर हो जाते हैं, तब रुपयों की मांग कम हो जायेगी और सोना/डॉलरों की मांग बढ़ जायेगी |

अभी, केवल एक ही फायदा है सोना का रुपये का मुद्रा के रूप में, कि अमीर, ऊंचे लोग उसकी मात्र नहीं बढ़ा सकते ,मनमाने तरीके से | लेकिन ये ही काम तो एक क़ानून लाने से भी आ जायेगा कि रिसर्व बैंक का प्रधान रुपयों की मात्रा नहीं बढ़ा सकता , बिना आम-नागरिकों के बहुमत से सीधे अनुमति लिए | इसलिए “नागरिक का रुपया प्रणाली(सिस्टम)” जो मैंने प्रस्तावित किया है, उसका सोना की रूप में मुद्रा

होने का ये फायदा है, कि ऊंचे लोग मनमाने तरीके से बढ़ा नहीं सकते | और , `नागरिकों के रुपया प्रणाली(सिस्टम)` में नए बनाये गए रुपये केवल सेना ,पोलिस और कोर्ट के लिए खर्च किये जाएँगे | इसीलिए `वर्त्तमान रुपया प्रणाली(सिस्टम)` के कमियाँ ,जिसमें ऊंचे लोग , नए बनाये हुए रुपयों को अपनी जेब में डाल सकते हैं रिसर्व बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा, समाप्त हॉट जाएँगी |

लेकिन सोना का एक नुकसान है कि नागरिक मुद्रा की मात्रा बढ़ा नहीं सकते , यदि बढ़ाना भी चाहें तो | जबकि `नागरिकों के रूपया प्रणाली(सिस्टम) में , नागरिक रुपयों की मात्रा बढ़ा सकते हैं | और सोना की एक और बड़ी कमी है , कि कोई भी दुश्मन सोना चुरा कर ले जा सकता है, जबकि रुपये में ये कमी नहीं है | शत्रु देश को रुपये लेकर जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे रुपये भारत लाना होगा, कोई भी दामी चीज पाने के लिए | और एक बार रूपया 100 % इलेक्ट्रोनिक हो जाता है , और सारे लेन-देन नागरिकों की आई.डी. से जोड़े जाते हैं , तो रुपयों की चोरी और काले धन के लेन-देन भी बहुत कम हो जाती है , जो टैक्स की वसूली बढ़ाएगा और सेना, पोलिस और कोर्ट को सुधारेगा | ये सोने के साथ नहीं किया जा सकता है | यदि सोना मुद्रा बनाई जाती है , तो बिना दस्तावेजों के अर्थव्यवस्था बढ़ेगी |

और एक सोना , मुद्रा के रूप में, की कमी है कि ये मुश्किल होग जायेगा भारत सरकार के लिए अमेरिका , चीन आदि के साथ युद्ध लड़ने के लिए | यदि अमेरिका, चीन आदि के साथ युद्ध होता है, तो भारत सरकार को बहुत मुद्रा की जरूरत होगी सामान खरीदने के लिए, सैनिकों को वेतन देने के लिए, नागरिकों को सेवाएं के लिए भुगतान करने के लिए , आदि | अब यदि सोना एक अकेली मुद्रा है, तो भारत सरकार को सोना प्राप्त करना होगा | सोने को छुपाया जा सकता है और भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है | तो ऊंचे लोग सोना को छुपा सकते हैं या अपना सारा सोना स्विस बैंकों को भेज सकते हैं, और फिर भारत सरकार को कुछ भी सोना प्राप्त नहीं होगा | फिर भारत सरकार के पास कोई भी मुद्रा नहीं होगी और अमेरिका, चीन आदि के खिलाफ युद्ध हार जायेगा | इसीलिए सोना मुद्रा के रूप में बहुत बुरा है , यदि अमेरिका, चीन ,आदि के विरुद्ध युद्ध होता है तो | अब मैं ये मान रहा हूँ कि भारत को कई युद्ध लड़ने होंगे अमेरिका , चीन , सौदी-अरब , पाकिस्तान , बंगलादेश आदि के साथ और इसीलिए मैं सोने का विरोध करता हूँ |

**प्रश्न 14- कौन सा ज्यादा बुरा है, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) या टैक्स की छूट देश के अर्थ(आर्थिक)-व्यवस्था के लिए ?**

दोनों, आर्थिक सहायता और टैक्स में छूट देश के अर्थ-व्यवस्था के लिए बुरी हैं .लेकिन आर्थिक सहायता ज्यादा बुरी है |

जब भारत सरकार कहती है : " उद्योग `क` से पैसा कमाओ , और सामान्य 35% टैक्स के बदले , कम टैक्स दो ", तो उद्योग-मालिक

क) उद्योग `क` में ज्यादा पैसा लगाएंगे

या

ख) गलत दिखा सकता है कि आमदनी `क` से आ रही है, ना कि दूसरे साधनों से | ये एक तरह का

आय का गलत वर्गीकरण (गलत समूह में डालना) है |
इसमें , व्यक्ति को कम से कम कुछ काम करना होगा उद्योग `क` में कुछ आमदनी पाने के लिए या कोई और उद्योग से से जहाँ से वो पैसा उद्योग `क` में डालेगा |

लेकिन जब भारत सरकार कहती है " उद्योग `क` शुर करो और भारत सर्कार `म` रुपये आर्थिक सहायता देगी, तब नेता-बाबू-जज-ऊंचे लोग आदि केवल कागज़ पर उद्योग `क` शुरू करेंगे और सभी आर्थिक सहायता खा जाएँगे | इसीलिए भारत सरकार को पैसे भी खोना पड़ता है और कोई उद्योग/धंधा का कोई काम भी नहीं होता है |

दूसरे शब्दों में, टैक्स की छूट में, भारत सरकार को पैसे तो खोने पड़ते हैं, लेकिन कोई उद्योग का कुछ काम होता है ,जिससे समाज को फायदा होता है | जबकि आर्थिक सहायता में, नेता-बाबू-जज-बुद्धिजीवी-ऊंचे लोग सारी आर्थिक सहायता खा जाते हैं और कोई (समाज के लिए) कोई काम भी नहीं होता है |
अभी मैं दोनों के खिलाफ हूँ लेकिन आर्थिक सहायता के खिलाफ ज्यादा हूँ , ऊपर लिखे कारण से |

लेकिन ज्यादातर बुद्धिजीवी, जो अपने आप को आर्थिक-सहायता के विरोधी बताते हैं, असल में उस आर्थिक सहायता के समर्थक हैं , जो अमीरों को मिलती है , उदाहरण., अधिकतर बुद्धिजीवी रसोई-गैस पर आर्थिक सहायता के विरोधी हैं लेकिन जमीन/नकद आर्थिक सहायता जो जे.एन.यू., आई.एम.ऐ. आदि उच्च सरकारी विश्थिद्यालयों को मिलती है , क्योंकि ये आर्थिक सहायता ज्यादातर ऊंचे लोगों के बच्चों को जाती है | चिंतित नागरिकों को पता होना चाहिए , इन बुद्धिजीवियों के द्वारा कुछ , चुनिन्दा (चुने गए) आर्थिक सहायता का अनुचित, विरोध के बारे में |

# (5) पोलिस ,सेना और देश की सुरक्षा और हथियार रखने और बनने के बारे में अक्सर पूछे गए प्रश्न

**(1) सेना के अफसर को कम वेतन क्यों मिलती है ?**

मनमोहन सिंह को वित्त-मंत्री बनने की शर्त , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने पी.वी.नरसिम्हा राव और भारत के ऊंचे वर्ग के लोगों के सामने रखी थी, भारत को कर्ज के मुसीबत से निकालने के लिए | दूसरे शब्दों में, भारत के नागरिकों ने या भारत के सांसदों ने मनमोहन सिंह को वित्त-मंत्री नहीं बनाया था , आई.एम.एफ ने बनाया था | क्योंकि मनमोहन सिंह आई.एम.एफ (अमेरिका) का एजेंट था |

भारतीय सेना के लोग का वेतन बहुत कम है, जबकि अमेरिका में सैनिक को बहुत अच्छा वेतन मिलता है | उदाहरण से , अमेरिका में सैनिक पोलिस वालों से कहीं ज्यादा वेतन मिलता है | भारत में भी ,1990 तक सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था |

भारत में अभी, उनको पुलिसवालों और प्रायवेट में उस स्तर के कुशलता वालों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता है |

संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है, जो कहती है कि सेना के अफसरों के वेतन , पोलिस के उसी तुलना वाले पद के वेतन के सामान होना चाहिए | ये दिशा-निर्देश बहुत पहले , इंदिरा गाँधी द्वारा बनाया गया था, 1970 के शुरुवाती दशक में जब पोलिस में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा नहीं था और सेना में भत्तों का मूल्य (केन्द्रीय विद्यालय, सेना के स्कूल, क्लबों, पेंशन,प्लाट आदि.,) बहुत ज्यादा थी जो भत्ते प्रायवेट में और पोलिस वालों को मिलते हैं, उनके मुकाबले | 1991 तक ये साफ़ हो गया कि सैनिक को कम वेतन मिल रहा है , पुलिसवाले और आई.ऐ.एस.(बाबू) के मुकाबले , अगर सारे भत्ते भी जोड़ दिए जायें |

तो 1991 में, ये दिशा-निर्देश को बदलने का समय हो गया था, जो सैनिकों के वेतन को पोलिस-कर्मियों के वेतन से जोड़ता था | सैनिकों के वेतन पुलिसवालों के बुनियादी वेतन और मानी हुई ऊपरी (अनौपचारिक) आमदनी से जोड़ी जानी चाहिए थी | लेकिन मनमोहन सिंह ने जोर दिया कि सैनिकों को पोलिस-वाले के बुनियादी वेतन से ज्यादा वेतन नहीं मिलना चाहिए और सैनिकों के वेतन बढ़ाने के लिए मन कर दिया | और मनमोहन सिंह कोई मूर्ख नहीं था | उसे मालूम था कि आई.ऐ.एस (बाबू) /पोलिस-कर्मियों के बुनियादी वेतन कोई इतने ज्यादा नहीं है ,जितने रिश्वतें वो लेते हैं उसको देखते हुए |

प्रधानमंत्री और वित्त-मंत्री ने बराबर एक गलत नीति पालन की है , सैनिकों को कम वेतन देने की 20 सालों से | 1-2 सालों से नहीं, 20 सालों से | ये एक बहुत लंबा समय है कोई असल में गलती करने के लिए | उनके इस काम से , अभी सैनिक बहुत हताश हैं | कम वेतन और बहुत सारे अपमान `टीम्स ऑफ इंडिया` जैसे विदेशी कंपनियों के एजेंट द्वारा , ने एक ज्वालामुखी खड़ा कर दिया है, जो कभी भी फट सकता है |

# (6) और दूसरे विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**(1) क्या जजों और अफसरों का वेतन बढ़ाने से भ्रष्टाचार कम हो जायेगा ?**

छोटे मामलों में , जज रिश्वत नहीं लेते क्योंकि उसमें पकड़े जाने का खतरा होता है और ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता | और बड़े मामलों में, वे लगभग हमेशा रिश्वत लेते हैं | इसका उपाय जूरी सिस्टम, राईट टू रिकाल-जज / प्रजा-अधीन-जज(भ्रष्ट जज को आम-नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार , `जनता की आवाज़ -पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)`,बहुमत नागरिकों के स्वीकृति द्वारा कैद , बहुमत नागरिकों के स्वीकृति द्वारा जुर्माना |

मंत्रियों, `आई.ऐ.एस`, पोलिस-कर्मी , जज के पास रिश्वतें लेने के लिए कोई कारण नहीं था | और यदि वेतन 10 गुना भी बढ़ा दिया जाता है , तो भी वे रिश्वतें लेते रहेंगे ,जब तक हम आम-नागरिकों के

पास उनको नौकरी से निकालने, सज़ा देने, फांसी देने या जुर्माना करने के अधिकार नहीं हों | केवल वेतन बढ़ाना, `सज़ा रखने` के बदले  काम नहीं कर सकता है |

अमेरिका में, 1950 के दशकों में, सरकारी अफसरों के वेतन, महंगाई के अनुसार नहीं बढ़े | तब अफसरों ने रिश्वतें लेना नहीं शुरू किया, उन्होंने नौकरी छोड़ना शुरू किया | क्योंकि भ्रष्ट को आम-नागरिकों के पास बदलने / सज़ा देने के अधिकार थे, जिससे यदि अफसर रिश्वत लेते , तो उनको जेल जाना पड़ता | और जैसे अफसरों ने नौकरी छोड़ना शुरू किया, नागरिकों ने उनके वेतन बढ़ा दिए और फिर से नौकरी पर आने के लिए मौका दिया | दूसरे शब्दों में, जब भ्रष्टाचार कम हो, तो वेतन आदि, सब अपने-आप बढ़ जाते हैं |

**(2) क्या गरीबी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है ?**

सरकार के निचले स्तर के कर्मचारी भी आम नागरिकों से , पैसों के अनुसार,अच्छी स्थिति में हैं | और यदि गरीबी भ्रष्टाचार का कारण होता, तो क्या नेता-बाबू-जज-पुलिसवाले रिश्वत लेते , जब उन्होंने कुछ लाख रुपये कमा लिए हैं ? लेकिन हम तो देखते हैं कि रिश्वत लेना तो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है |

ऐसे कई सरकारी विभाग हैं जहाँ प्रक्रियाएँ / तरीके इतनी अच्छी हैं कि सरकारी कर्मचारी को कोई मौका नहीं मिलता रिश्वत लेने के लिए |  उदाहरण , एक बैंक के क्लर्क को लें | उसे 1-2  दिनों में चेक पास करना होता है नहीं तो वापस करना होता है | उसके पास कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है | इसीलिए वो रिश्वत नहीं लेता और कम पैसों के साथ रहता हैं  राजस्व (सरकार/राज्य की आमदनी) विभाग के मुकाबले , जो सचमुच सालाना एक लाख से दस लाख रुपये बनाते हैं रिश्वत ले कर | अभी दोनों क्लर्क मिलते-जुलते वातावरण/हालात से आते हैं और फिर भी बैंक के क्लर्क को स्थिति से संतोष करना पड़ता है और साधारण / सामान्य जीवन जीना पड़ता है | जबकी राजस्व(सरकार की आमदानी) विभाग के क्लर्क को मौका मिलता है और सज़ा का कोई डर नहीं है , वो भ्रष्टाचार करता है |

और हाँ , शक्ति ऊच स्तर में इतनी केंद्रित है कि हर कोई कैसे भी चाहता है कि वो और उसके रिश्तेदार न्यायतंत्र,नेता और बाबूओं, आदि की उच्च पदों को पा ले |

**(3) लोगों को वो ही सरकार मिलती है , जिसके वे लायक होते हैं ?**

**प्रश्नकर्ता- एक बार ऐसा हुआ, मैंने रेलवे में कुछ सामान की बुक किया .,...**

आप ऐसे उदाहरण दे रहे हो, जिसमें खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है ( दांव बहुत कम है ) | ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ खोने को बहुत कुछ है |

मान लीजिए आप एक फक्ट्री चला रहे हैं , और प्रदुषण रोकने वाला अफसर आता है और रिश्वत देने के लिए कहता है या फिर फैक्ट्री को बंद करने की धमकी देता है | फिर आप क्या करेंगे ??

यदि आप रिश्वत नहीं देते, वो आप की फैक्ट्री बंद कर देगा | आपने जो माल बनने का आर्डर लिया

है, वो पूरा नहीं हो पायेगा | कर्मचारियों के वेतन और कर्जे का सूद इकट्ठा होता जायेगा और कोई आमदनी होगी नहीं | ग्राहक भाग जाएँगे और फिर कभी नहीं आयेंगे यदि आप समय पर माल बना कर देने का वायदा नहीं पूरा कर पाते |

तो फिर, क्या आप रिश्वत ना देने की हिम्मत करेंगे ?

---

दूसरे शब्दों में, कृपया उन्हीं स्थिति तक सीमित रहें, जहाँ खोने को बहुत कुछ है | कोई भी व्यक्ति , जिसको खोने के लिए कुछ नहीं है चिल्ला सकता है " देखो, मैंने बलिदान दे दिया, लिए कोई उसूल नहीं तोड़े " | तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है |

---

एक तरह से  आप इन मुजरिमों को पोलिस-वालों / जजों के ही एजेंट मान सकते हैं | पोलिस-कर्मी / जज , धंधों से रिश्वत लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योनी कई सौ धंधो से रिश्वत लेने से उनकी पोल खुल जायेगी | इसीलिए वे मुजरिमों का प्रायोजन करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं और उनको हफता इकट्ठा करने के लिए कहते हैं | आपको लगता है कि मुजरिमों ने आपका पैसा लिया है , लेकिन मुजरिम , जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका 90% बड़े पोलिस-वालों, विधायक, मंत्री, सांसद, मंत्री,मुख्यमंत्री और जजों को जाता है | और जिन्होंने रिश्वत नहीं दी है, वे संत नहीं हैं | उनमें से बहुत सारे लोग , बेशर्मी से ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं , जो प्रशासन में ऐसी स्थितियां बना देती हैं, जहाँ पर व्यापारी आदि, रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाते हैं |

उदाहरण., ये क़ानून लें, " जज फैसला देगा और जूरी-सदस्य नहीं |"" बहुत सारे इसमें गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी है, बेशर्मी से ये बुरे क़ानून का समर्थन करते हैं | फिर जज फैसला , उन्हीं आसिल (मुवक्किल) के पक्ष में देते हैं , जो उनके रिश्तेदार / दोस्त की सेवायें लेते हैं | फिर आसिल के पास क्या रास्ता होता है ?

जो बुरे कानूनों का समर्थन करते हैं, उनको रिश्वत देने और लेने वालों के बराबर मानना चाहिए | क्या लोगों को उनके लायक जज मिलते हैं?

क्या लोगों को उनके लायक `आई.ऐ..एस`(बाबू) या पोलिस-कर्मी मिलते हैं ?

मैं आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करूँगा " वो(नेता-जज-बाबु-पुलिसकर्मी .,आदि) उतने ही भ्रष्ट हैं , जितने शायद आम-नागरिक हैं |"

ये बात झूठी है | हम आम-नागरिक के भ्रष्ट होने की "सम्भावना" नेता, `आई.ऐ.एस`, पोलिस-कर्मी,जज के जितने हो सकती है --- लेकिन असल में हम आम-नागरिक उनके जितनी 0.01% भ्रष्टाचार भी नहीं है | कुछ 80% भारतीय 20 रूपए हर दिन से काम कमाते हैं | और बाकी 20% में से ,कुछ 15 % 10,000 रुपये प्रति महीने से कम कमा पाते हैं | केवल ऊपर के 5% ही `आई.ऐ.एस`(बाबू), पुलिसकर्मी, जज या मंत्री जितना पैसा कामते हैं |

तो फिर 80% भारत के लोग भ्रष्ट नहीं हैं | और 15% लोग , केवल थोड़ा भ्रष्ट हैं | और केवल %% हैं , जो बड़े रिश्वतें लेते/देते हैं |

**प्रश्नकर्ता- जो आप 5% की बात कर रहे है ,वे व्यापारी, नेता, बाबू हैं ,जो देश की नीतियां बनाते हैं, देश चलाते हैं, जो नौकरी / धन पैदा करते हैं , जो भारत की 9% कुल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी) , विकास दर का कारण हैं |**

धन का बड़ा हिस्सा अभी भी खदानों से आता है | और करोड़ों मजदूर भी काम करते हैं, इस 9% विकास बनाने के लिए |

**प्रश्नकर्ता- यदि ये 5% लग नहीं होते, तो भारत अभी भी दूसरे देशों से भीख मांग रहा होता | रिलायंस का उदाहरण लीजिए, यदि उन्होंने अपनी विकास भ्रष्टाचार के द्वारा नहीं बधाई होती, तो क्या आज वे होते ?**

रिश्वत के कारण, हमारे देश में कम उद्योग है | पश्चिम में कम भ्रष्टाचार है, जिसके कारण वहाँ ज्यादा उद्योग है | और जापान में कहीं कम भ्रष्टाचार है, जिससे वहाँ ज्यादा उद्योग है | भ्रष्टाचार विकास का दर कम कर देता है क्योंकि इससे एक-अधिकार और अवसरों की कमी हो जाती है |

**(4) रिश्वत से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है |**

भाई, कृपया कई देशों के आंकडे इकट्ठा करो, कोई भी अनुमान लगाने से पहले | जो देश जटिल/पेचीदा इंजीनियरिंग का सामान बनाती है , जैसे स्वीडन , नॉर्वे , फिनलैंड, इंग्लैंड , अमेरिका , जर्मनी,जापान, आदि, वो देश हैं, जहाँ भ्रष्टाचार कम है | इसलिए भ्रष्टाचार से उद्योगों को कम करते हैं, बढ़ते नहीं |

**प्रश्नकर्ता- हमारा देश अभी भी विकास कर रहा हैं और इसीलिए हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के तरीके बना रहे हैं |**

1800 और 1900 के शताब्दी में जब, पश्चिम और जापान विकास कर रहे थे, तो पोलिस, कोर्ट और बहुत से क्षेत्रों में (लगभग सारी सरकार में, विदेशी मामले और कुछ हथियारों के ठेकों को छोडकर) , भ्रष्टाचार ना के बराबर थी |

और जब हम भारत को अभी भी विकास कर रहा है, कृपया ध्यान दें कि हमारी विकास दूसरे देशों

से मंगाई गयी तकनीक पर निर्भर है | हम असली ,जटिल (उलझा हुआ;मुश्किल) सामान नहीं बना रहे हैं | ये भ्रष्टाचार के वजह से है | भ्रष्टाचार से असली निर्माण रुक जाती है |

---

**प्रश्नकर्ता- जब हम विकसित हो जाएँगे, तो फिर हमारे पास ज्यादा अच्छे भ्रष्टाचार के खिलाफ क़ानून होंगे |**

यदि भ्रष्टाचार ऐसे ही चलती रहेगी , तो ऐसे संभावना है कि हम पूरी तरह टूट जायें और इतने कमजोर हो जायें कि अमेरिका जैसा देश हम को पूरी तरह गुलाम बना ले |

---

1500 और 1757 के बीच के सालों की बात करें, तो भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था और इंग्लैंड में कम था | इसका परिणाम क्या हुआ ? इंग्लैंड में उद्योग बढ़े और तकनीक बढ़ी , जिससे हथियारों में सुधार हुआ | और 1757 तक , इंग्लैंड ने भारत का कुछ हिस्सा कब्ज़ा कर लिया था और 1857 तक , उसने पूरा भारत कब्ज़ा कर लिया था |

**प्रश्नकर्ता- आज के समय , भ्रष्टाचार करना बहुत मुश्किल हो रहा है |**

वे पद, जहाँ निर्णय करने का अधिकार है, वहाँ भ्रष्टाचार 1991 से ज्यादा है ., उदाहरण- कोर्ट, `आई.ऐ.एस`, पोलिस-कर्मी आदि में | केवल कुछ ही जगहों पर भ्रष्टाचार कम हुई है, जैसे रेलवे टिकेट पाने में, कुछ निचली स्तर के सरकारी लेन-देन , आदि में |

**(5) निचली जातियों में धर्म-परिवर्तन क्यों बढ़ रहा है ?**

असल में, हिंदू ऊच-जाती के लोगों का एक बड़ा वर्ग दलितों को गरीब और अनपढ़ बने रहना देना चाहता है | कौन उनके घर साफ़ करेगा, उनके कपडे धोएगा,उनके बर्तन साफ़ करेगा, उनकी गटर(नालियां) साफ़ करेगा और उनके बच्चों को नह्लायेगा ? इसीलिए , उनको ये नहीं अच्छा लगता , जब ईसाई धर्म-प्रचारक दलितों को पैसे और अंग्रेजी शिक्षा देते हैं |

---

और दलितों के पास अपना दिमाग होता है | गरोब से गरीब दलित जिनसे मैं मिला हूँ , अभी तक , समाज के बारे में पूरी जानकारी है , ना कि लाचार और बिना दिमाग के , जैसे कि मीडिया में बताया जाता है | मैं बहुत सारे धर्म-परिवर्तन किये हुए, दलितों से मिला हूँ ,जिन्होंने गीता और बाईबल दोनों पड़ी है , और वे कहते हैं कि उन्होंने धर्म-परिवर्तन का फैसला दोनों को पढ़ने के बाद किया है | और ये

फैसला इसके बावजूद किया है, जब उनको पता है कि उनको जाती आधारित (वाला) आरक्षण के फायदे नहीं मिलेंगे , धर्म-परिवर्तन के बाद |

---

धर्म-परिवर्तन बढ़ रहा है , और इसका कारण एक दूसरा प्रश्न पूछने पर मिल सकता है " अभी तक अनुसूचित जाती और जनजाति के लोगों ने धर्म-परिवर्तन क्यों नहीं किया ?" देखिये, इसका उत्तर `जाती आधारित (वाला) आरक्षण` है | `जाती वाला आरक्षण` एक शक्तिशाली साधन था , जिसने दलित/जनजाति के मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और ऊच वर्ग को हिंदुओं में रखे रखा | लेकिन जैसे निजीकरण बढ़ता जा रहा है ,`जाती वाला आरक्षण` बेकार होता जा रहा है (क्योंकि प्रायवेट में आरक्षण नहीं होता)| इसीलिए दलित और जनजाति के मध्य वर्ग के लोगों को हिंदू बने रहने के लिए कोई फायदा नजर नहीं आता |

और हर ऊंचे वर्ग का व्यक्ति, जो धर्म-परिवर्तन करता है , अपने साथ 10 मध्य वर्ग के व्यक्तियों को और 1000 गरीबों को अपने साथ ले जाता है (क्योंकि उनका समाज में प्रभाव होता है)| और हर मध्य (बीच का) वर्ग का व्यक्ति, जो धर्म-परिवर्तन करता है, उसके साथ 100 गरीब भी धर्म-परिवर्तन करते हैं | भारत में , ज्यादातर ईसाई धर्म-परिवर्तन वाले, दलित मध्य वर्ग से हैं या उनके माता-पिता दलित मध्य वर्ग से हैं , और बाहर से नहीं आये हैं | ( http://www.stephen-knapp.com/christian_persecution_in_india.htm )

---

सबसे बड़ा कारण क्यों ये लोग धर्म-परिवर्तन कर रहे हैं --- भारत में ऊच वर्गों का फैसला , कि दलितों को गरीब और अनपढ़ रखा जाये , उनको पब्लिक जमीन का किराया और खदानों की आमदनी ना देकर और उनको अंग्रेजी शिक्षा ना देकर | इसलिए दलित और जनजाति ईसाई-धर्म परिवर्तन करने वालों (मिशनरी) के ररफ जाते हैं, जो उनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं ( या कुछ और सुविधाएं जैसे दवा आदि ) और अंग्रेजी शिक्षा भी देते हैं |

बहुत से हिदुत्वादी सोचते हैं कि वे , ये लड़ाई गुंडों द्वारा और मोदी जैसे भ्रष्ट नेता का चुनाव करके कर सकते हैं |

गुंडों की ताकत भ्रष्ट जजों, भ्रष्ट पोलिस-कर्मी और भ्रष्ट विधायकों में होती है | बिना भ्रष्ट जजों, पोलिस-कर्मी और नेताओं के , गुंडे कुछ भी नहीं कर सकते, ईसाई-धर्म परिवर्तन करने वालों को क्या मरेंगे ?

लेकिन इन हिंदुत्वादियों ने ये नहीं सोचा है कि ये भ्रष्ट जज, नेता और पोलिस-कर्मी , इन ईसाई धर्म-प्रचारकों की भी सहायता करेंगे, यदि ये ईसाई धर्म-प्रचारक इनको दुगना पैसा देंगे, और साथी ही ऊपर से राजनैतिक दबाव भी होगा , जो विदेशी कंपनियों द्वारा दिया जायेगा | हिंदुत्वादियों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस, सी.पी.एम, भा.ज.पा, आई.ए.एस (बाबू), पोलिस-कर्मी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट आदि के सबसे ऊपर के अधिकारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी के भुगतान रेजिस्टर पर हैं |

और हिंदुत्वादियों को ये भी पता होना चाहिए कि विदेशी कंपनियों ने 1980 से , पूरे विश्व में

वैटिकन (ईसाई धर्म-प्रचारक) की मदद की है (उधाहरण., दक्षिण कोरिया में , एक ईसाई को विदेशी कंपनी में एक बौद्ध से जल्दी तरक्की मिलने की संभावना है ) और भारत में विदेशी कम्पनियाँ, अपने भा.जा.प्, कांग्रेस, सी.पी.एम., आई.ऐ.एस. (बाबू) , पुलिसकर्मी, सी.बी.आई.,और सुप्रीम-कोर्ट में अपने संपर्कों का खुशी से प्रयोग करेंगे , वैटिकन और उनके ईसाई धर्म-प्रचारकों कि मदद करने के लिए |

इसीलिए, ये थोड़े समय की ही बात है, कि भ्रष्ट जज, भ्रष्ट बाबू, भ्रष्ट नेता आदि, ईसाई धर्म-प्रचारकों से मिल जाएँगे | और जब वो होगा, तो आधे विश्व हिंदू परिषद के गुंडे भी ईसाई धर्म-प्रचारकों से जुड़ जाएँगे और आधे जेल में होंगे, यदि मर नहीं गए हों तो |

---

और फिर कुछ हिन्दुत्वादी ये आशा करते हैं कि मोदी जैसे भ्रष्ट नेता उन्हें बचा सकते हैं | देखिये, अडवानी (अभी हज अडवानी) जिन्ना की पूजा करने तक गिर सकता है, उस जिन्ना की जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या और करोड़ों हिंदुओं को बाहर निकालने का जिम्मेदार था | उसके नाम के बेटे , मोदी , उसकी जगह ले लेगा , जब ईसाई धर्म प्रचारक, उसके ऊपर दबाव डालेंगे , विदेशी कंपनियों के द्वारा |

---

अफ़सोस की बात है कि हिन्दुत्वादी अपने कार्य को पूरा करने के लिए , कुछ गुंडे और मोदी जैसे भ्रष्ट नेता ही खोज पाए थे , और कोई ज्यादा अच्छा नहीं खोज सकते |

---

भारत के ऊच जाती के ऊंचे लोग , आम-नागरिकों को अच्छी शिक्षा देने का खुले-आम विरोध करते हैं और उनकी अंग्रेजी शिक्षा देने के प्रति विरोध बहुत ज्यादा है | वैसे सभी ऊच जाती के ऊंचे लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्चूलों में भेजते हैं या कम से कम स्थानीय स्चूलों में ,जो अंग्रेजी को पहली कक्षा से पढाते हैं , फिर भी वे इसपर जोर देते हैं कि हम आम-नागरिकों के बच्चों को अंग्रेजी कक्षा 7 से पहले नहीं सीखनी चाहिए , ताकि हम आम-नागरिकों की अंग्रेजी हमेशा के लिए कमजोर हो | ये इसीलिए ताकि ऊंचे जाती के ऊंचे लोगों के बच्चे आगे बढ़ जायें और हम आम-नागरिकों के बच्चे उनके नौकर की तरह काम करें | `राष्ट्रिय स्वयं सेवी ` और `विश्व हिंदू परिषद` के स्कूल इसीलिए ही आम-नागरिकों के बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाते |

हम आम-नागरिकों में अंग्रेजी के प्रति खिंचाव/आकर्षण बहुत ज्यादा है | इसीलिए जब ईसाई धर्म-प्रचारक आते हैं, इस मांग और सपलाई के अंतर का फायदा उठाने के लिए | वे कहते हैं " ईसाई बन जाओ और हम आपके बच्चों को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देंगे |" अभी दलित और जनजाति के लोग वैसे भी उच्च जाती के ऊंचे लोगों से और ऊच जाती के पुलिस-वालों,बाबुओं, जजों,ऊंचे लोगों के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं | और फिर जब अच्छी शिक्षा , जब मिलती है, तो वे खुशी से धर्म-परिवर्तन करते हैं |

---

उच्च-जाती के ऊंचे लोगों को दलितों को अंग्रेजी की शिक्षा पाने से नफरत है, ईसाई धर्म-प्रचारकों से ज्यादा | यदि दलितों और जनजातियों को अंग्रेजी शिक्षा मिलती है, तो वे भी अमेरिका चले जाएँगे और

फिर भारत में ज्यादा ताकतवर बन जाएँगे , जब वे अपने कमाए हुए डॉलर भारत भेजेंगे | इससे भविष्य में ,उनके बच्चों के अवसर कम होंगे | इसीलिए वे ईसाई धर्म-प्रचारकों से भी नफरत करते हैं |

अलग : अभी हाल ही में मोदी, जो एक `अन्य पिछड़ी जाती` का है, उसने अंग्रेजी जरूरी / अनिवार्य बनने की कोशिश की थी, गुजरात में सभी बच्चों के लिए , पहली कक्षा से | ज्यादातर गुजरात के बजरंग दल , विश्व हिंदू परिषद और भा.जा.पा के कार्यकर्त्ता, जो `अन्य पिछड़े जातियों` से हैं , ने मोदी का समर्थन किया | अनुमान लगाएं किसने उसका विरोध किया ? कांग्रेस ने नहीं | सी.पी.एम ने नहीं ( जिसके पास गुजरात में वैसे भी कम नेता हैं ) | `राष्ट्रिय स्वयं सेवा` और भा.जा.पा के वरिष्ट/सीनियर नेता ( जो सभी ऊच-जाती के थे !!), और कुछ गांधीवादियों (वो भी ऊच-जाती के थे !!) ने विरोध किया था |

**प्रश्नकर्ता- क्या आप `धोखाधड़ी से धर्म-परिवर्तन को रोकने वाला` क़ानून का समर्थन करते हैं?**

देश में पहले से ही ,`भारतीय दण्ड संहिता` में क़ानून हैं जो किसी भी प्रयोजन के लिए बल प्रयोग या झूठ पर प्रतिबन्ध लगाती है, धर्म-परिवर्तन की तो बात ही छोड़ दें | यदि बल प्रयोग या झूठ पर प्रतिबन्ध लगाना है, तो हमें कोई नए क़ानून की जरूरत नहीं है |

उच्च-जाती के ऊंचे लोग ये क़ानून चाहते हैं पैसे और अंग्रेजी शिक्षा के प्रयोग से धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए | उनको मालूम है कि एक बार ईसाई धर्म-प्रचारकों को अंग्रेजी शिक्षा का धर्म-परिवर्तन के लिए प्रयोग करने से रोक दिया जाये , तो ईसाई धर्म-प्रचारक अंग्रेजी सिखाना बंद कर देंगे | येही उच्च-जाती के ऊंचे लोगों को चाहिए ---- वे नहीं चाहते की आम-नागरिक अंग्रेजी सीखें |

और, आप धर्म-परिवर्तन के लिए पैसे और अंग्रेजी शिक्षा के उपयोग का विरोध क्यों करते हैं ? हिंदू ऊंचे लोगों की इच्छा कि हम आम-नागरिकों को कमजोर रखा जाये हर तरीके से ( हमें हथियार रखने का अधिकार नहीं देना, हमें अंग्रेजी नहीं सिखाना, हमें क़ानून नहीं पढ़ाना आदि ) भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा |

हिदू मंदिरों को बहुत पैसा देते हैं | अभी मंदिरों के मालिक उस पैसे का प्रयोग हम आम-नागरिकों को हथयार का प्रयोग सिखाने, अंग्रेजी, क़ानून आदि सिखाने के लिए , ताकि हमारा स्तर सुधारे, का विरोध करते हैं |

लगभग सभी नेता अभी विदेशी कंपनियों के और ईसाई धर्म-प्रचारकों के अड्डे (वैटिकन) के एजेंट हैं , जिसमें आपके प्रिय भा.ज.पा. नेता भी आते हैं | अभी हाल ही में, `विश्व हिंदू परिषद` के कार्यकर्ताओं ने डांग, गुजरात में लाल किशन अडवानी को कहा कि वे गृह-मंत्री और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखे ,कुछ ईसाई धर्म-प्रचारकों को देश से बाहर करने के लिए , जिनके वीसा समाप्त हो गए थे और जो धर्म-प्रचार कर रहे थे | अडवाणी ने मना कर दिया !!

लाल किशन अडवानी चाहते हैं कि विदेशी कम्पनियाँ `तिमेस ऑफ इंडिया` को कहें कि उसका

समर्थन करें या उसका विरोध करना कम कर दे , जितना कि संभव है | तप अडवानी एक विदेशी कंपनी का एजेंट बन चुका है और एक तरह से ईसाई धर्म-प्रचारकों का भी एजेंट , क्योंकि विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों की आपस में मिली-भगत है |

---

**प्रश्नकर्ता- एक रिपोर्ट के अनुसार , हिंदुओं कि आबादी 2.52 % बढ़ी है और ईसाई जन-संख्या 0.008% कम हुई है 1991 1998 के बीच |**

कृपया `क्रिप्टो-ईसाई (क्रिप्टो-क्रिश्चियन)` शब्द पर गूगल करें |
उच्च-जाती द्वारा नियंत्रित कांग्रेस आरक्षण देने के लिए मजबूर थी | निचली जाती के लिए आरक्षण , उच्च-जाती के सुरक्षा के लिए थी (यदि आरक्षण नहीं दिया जाता , तो बड़े स्तर पर धर्म-परिवर्तन हो जाता और ऊच-जातियों के खिलाफ हो जाते | नक्सल वाले क्षेत्र देखें, वहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है |)

**(6) लोकतंत्र छोटे देशों और राज्यों में ज्यादा अच्छा चलता है |**

बहुत से लोग देश के छोटे आकार / साइज का मतलब ही लोकतंत्र समझते हैं | इसमें दलील ये दी जाती है " देखो, लोकतंत्र के कारण ही अथेन्स (पूराने समय के यूनान), इतना ताकतवर बन सका कि वो एक बड़े क्षेत्र पर राज कर सका और एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया जिसे हम आज भी याद करते हैं | अथेन्स में 60,000 युवक थे , 60,000 युवती और कुछ एक लाख बच्चे थे | तो आजाद जन-संख्या लगभग दो लाख थी | इतने कम लोगों के पास कुछ 3 लाख गुलाम थे अथेन्स में और अथेन्स के आस-पास के क्षेत्र पर हावी थे जो अथेन्स के आकार और आबादी से 10-20 गुना थे | असल में, जो लोकतंत्र का पालन कर रहे थे, उसने उनको इतना ताकतवर बना दिया कि वे इतने सारे लोगों को गुलाम बना सके और दूसरों पर हावी कर सके |इसीलिए ऐसा कहना कि " लोकतंत्र केवल छोटे क्षेत्र या जनसंख्या में ही संभव है " , सही बात ये होगी कि " लोकतंत्र छोटे जन-संख्या को भी इतना ताकतवर / शक्तिशाली बना देता है कि वो बड़ी जन-संख्या पर हावी हो सकता है |"

जैसे जन-संख्या / आकार बढ़ता है, हमें तरीका बदलना होता है ताकि बड़ी जनसंख्या भाग ले सके | इतना ही है | इसके अलावा, आकार/जनसंख्या और लोकतंत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है |

---

एक अच्छे तरह से बनाया गया प्रशासन का सिस्टम में, कार्यक्षमता (कार्य-क्षमता की कमी) `क` के अनुपात में नहीं होग लेकिन log (क) के अनुपात में होगा | उर आकार में बढ़ोतरी के साथ साथ तकनीक में भी बहुत सुधार होता है, जिसके द्वारा आम-नागरिक अफसरों की निगरानी कर सकते हैं, यदि ऐसे क़ानून-ड्राफ्ट और तरीके हैं , उन अफसरों की निगरानी करने के लिए | आज की समस्या ऐसे तरीकों की कमी की है, देश के आकार/जन-संख्या की नहीं |

**प्रश्नकर्ता- जितना बड़ा देश का आकार / जनसंख्या , उतना ज्यादा मुश्किल है , नागरिकों का असल में और सीधा भाग लेना, देश के मामलों में फैसले लेने में , और इसीलिए उतनी ज्यादा जरूरत है प्रतीनिधियों (नेता) और तरीकों की | लेकिन प्रतिनिधियों (नेता) और तरीकों से और ज्यादा सम्भावना हो जाती है सिस्टम के भ्रष्ट हो जाने की |**

हाँ, तरीकों की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन प्रतिनिधियों की नहीं | उदाहरण., आज की तकनीक आम-नागरिकों को हर साल 100-200 सीधे निर्णय लेने देते हैं , देश के मामलों में | लेकिन कितने निर्णय लिए जाते हैं सीधे , आज ? केवल 3 ५ सालों में ( पार्षद का चुनाव, विधायक का चुनाव, और सांसद का चुनाव) | इसीलिए आम-नागरिकों का अफसरों पर सीधे नियंत्रण/कंट्रोल की कमी , तरीकों की कमी के कारण है, आकार/जनसंख्या के कारण नहीं |

**प्रश्नकर्ता- इसीलिए जब भ्रष्टाचार के अवसर होंगे, तो जिनको भ्रष्टाचार से फायदा होगा, वे उन अवसरों का उपयोग करेंगे |**

यदि आम-नागरिकों के पास निर्णय लेने वाले अधिकारियों को सजा देने के तरीके होंगे , तो ऐसा नहीं होगा | उदाहरण ., आज भारत में हम आम-नागरिकों के पास सुप्रीम-कोर्ट जज को कैद करने या फिर एक आई.ऐ.एस. (बाबू) या पोलिस-कर्मी को भी कैद करने का कोई अधिकार नहीं है | और ये ही कारण है कि ये अधिकारी खुले-आम रिश्वत लेते हैं | एक बार उन्हें कैद करने, उनकी काले धन को जब्त करने ,आदि का अधिकार हम आम-नागरिकों को मिल जायेगा ,तो 99 % अधिकारी अच्छा बर्ताव करेंगे aur 1% बदल दिए जाएँगे | यहं फिर से, कारण तरीकों की कमी है, आकार / जन-संख्या नहीं |

**(7) पढ़े-लिखे और चिंतित नागरिक अच्छे उम्मीदवार और प्रशासन में लोग / नेता क्यों नहीं ला पते ? क्यों हम अटल बिहारी , प्रमोद, येचुरी, अरुण शौरी , नरेन्द्र मोदी , करात , मनमोहन सिंह, सोनिया गाँधी, चिदंबरम आदि नेताओं के साथ अटके हुए हैं ?**

क्यों हम अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद,येचुरी, अरुण, नरेन्द्रभाई, करात, मनमोहन सिंह ,सोनिया, चिदंबरम आदि के साथ क्यों अटके हुए हैं ?

शिक्षित/पढ़े लिखे लोग इनसे अच्छे विकल्प/लोग पदों पर लाने के लिए केरल ,उत्तर प्रदेश और बाकी भारत में भी असफल/फेल हो गए हैं क्योंकि -

(1) बहुत से चिंतित नागरिक नैतिकता(अच्छा बर्ताव) और राष्ट्रिय चरित्र/चाल-चलन के बकवास में विश्वास करते हैं | वो ये बकवास में विश्वास करते हैं " कि बर्ताव/व्यवहार को सुधारों और देश सुधर जायेगा"| इसीलिए वे बर्ताव/व्यवहार और चरित्र-निर्माण (अच्छा चाल-चलन बनाना) की बेकार पढ़ाई पर ध्यान देते हैं | इसीलिए वे प्रशासन, कोर्ट आदि में कोई रूचि नहीं लेते जहाँ समस्या है | और उनकी राजनीती में कोई भागीदारी / हिस्सेदारी नहीं है या केवल एक नेता को दूसरे से बदलने तक सीमित है | वे व्यक्ति पूजन से आगे नहीं सोच सकते , चाहे वो मोदी हो, बसु हो , अटल बिहारी हो, या लाल कृष्ण अडवानी हो आदि | इसीलिए वे ये नहीं सोचते कि उनको कोर्ट, प्रशाशन के कानूनों में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए | तो नेता बदलते हैं, कोर्ट और प्रशासन की व्यवस्था नहीं बदलती है और गड़बड़ चलती रहती है |

(2) हमारे पाठ्य-पुस्तक लिखने वाले कालेज के प्रोफेस्सर (बढ़ा मास्टर) , उनके प्रायोजक- विशिष्ट वर्ग/ऊंचे लोग को खुश करने के लिए , पाठ्य-पुस्तकों में आम नागरिक-विरोधी कचरा भर दिया है | केवल यही पढ़ने के लिय मिलता हिया " आम भारतीय जातिवाद है, भावुक हैं ,सांप्रदायिक है ,बदमाश हैं आदि, आदि |" और वे ये छुपाते हैं कि ये बुराईयां भारतीय नेता-बाबु-जज-पोलिस-प्रभंधक-बुद्धिजीवी-ऊंचे/विशिष्ट लोग में भी है और भारतीय भ्रष्ट गठबंधन (नेता-बाबु-जज-पोलिस-प्रभंधक-बुद्धिजीवी-ऊंचे/विशिष्ट लोग ) में दो और बुराइयां हैं जो आम नागरिकों में नहीं है - भाई-भतिजेवाद और गुंडों और दूसरे भ्रष्ट गठबंधन से मिली-भगत | इसीलिए भारत में छात्र/विद्यार्थी , चिंतित नागरिकों समेत, लोकतंत्र (सारे देश के लोगों द्वारा देश के मामलों का फैसला ) के विरोधी हो गए हैं |

इसीलिए वे अल्प लोक-तंत्र (कुछ ही लोगों द्वारा देश के मामलों का फैसला ) समाधानों के समर्थक हो गए हैं और लोकतान्त्रिक समाधानों जैसे `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने/सज़ा देने`, पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम),`एक से अधिक लोगों को वोट पसंद अनुसार`, चुनाव फॉर्म को सरल बनाना, चुनाव जमा राशि बढ़ाना ,आदि का विरोध करते हैं , जो अधिक अच्छे उम्मीदवारों को बढ़ावा देंगे

---

नेता(उम्मीदवार) वायदा करता है व्यापारियों आदि को कि यदि वो चुनाव जीतता है और सांसद/मंत्री आदि बनता है , तो वो भारत सरकार के तोहफे/उपहारों की बौछार कर देगा , यदि ये आम नागरिकों का जीवन बरबाद कर देता हो तो भी | यहाँ शून्य विचारधारा या व्यक्तिवाद है - ये 100 % सौदेबाजी है या रिश्वतखोरी |

सभी विचार-धाराएं जैसे हिंदुत्व, धर्म-निरपेक्षता (सभी धर्म सामान हैं) ,और सबसे नए- शिक्षा-वाद, 85% बढौतरी-दर का वाद , कुछ नहीं ,केवल इस सौदेबाजी को छुपाने के लिए मुखौटे हैं | और ज्यादातर नेता आजकल केवल दलाल हैं , पूरे दलाल ,लेकिन दलाल भी ज्यादातर ईमानदार होते हैं |

---

सभी नेता, भारत में या पश्चिम में , का झुकाव रहता है कि उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, जो उसके लिए खतरा नहीं है | इसीलिए, सभी नेता का झुकाव दूसरे नेताओं को काटने का रहता है ताकि दूसरे नेताओं का नाम न हो जाये और उनके लिए खतरा ना बनें | और ये पक्का करते हैं कि केवल उनका "कमजोर" जूनियर/निचला व्यक्ति को ही बढ़ावा मिले | पश्चिम देशों ने ये समस्या को कम कर

दिया है एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है , जहाँ पहले तो , नेता इतना शक्तिशाली ही नहीं होता | उदाहरण- अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री जितना देश के आंतरिक/भीतर के मामलों में 5% भी शक्ति-शाली नहीं है | और एक अमेरिका का गवर्नर के पास 1% भी भारतीय मुख्यमंत्री जितने अधिकार नहीं हैं | उदाहरण एक अमेरिका का गवर्नर जिला पोलिस मुखिया का तबादला नहीं कर सकता , जबकि भारतीय मुख्यमंत्री पलक जपकते ये काम कर सकता है | इसीलिए अमेरिका के नेता इस स्थिति में नहीं है कि गुणवान/कुशल जूनियर/निचले लोगों को ऊपर बढ़ने से रोक सकें | लेकिन भारत में , प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास प्रशासन में इतने अधिकार है, कि वे पार्टियों में अपने विरोधियों को कुचल सकते हैं और ये पक्का कर सकते है कि केवल कमजोर निचले लोग ही ऊपर आयें और ताकतवर निचले लोगों को कोई ध्यान न मिले |

ऊंचे/विशिष्ट लोगों के आई.ऐ.एस.(बाबू) , पोलिस , कोर्ट और पार्टियों में दखल-अंदाज और पहुँच के कारण , एक अच्छे व्यवहार/बर्ताव वाला व्यक्ति कभी भी आई.ऐ.एस(बाबू), पोलिस, कोर्ट, राजनीति में ऊपर नहीं उठ सकता | `स्वतंत्र-सेनानियों` को छोड़ कर जो 1951 तक पहले ही ऊपर ऊठ चुके थे , कोई भी अच्छे व्यवहार/बर्ताव वाले लोगों को ऊंचे लोगों/विशिष्ट वर्ग से प्रयोजन नहीं मिला 1951 के बाद | और विदेशी कंपनियों/ ईसाई धर्म के कट्टरपंथी लोगों की पहुँच और दखल-अंदाज़ कांग्रेस, भा.जा.पा और दूसरी पार्टियों में, ने इस समस्या को और ज्यादा खराब कर दिया | अभी ,एक सच्चा राष्ट्रवादी/देशभक्त गुणवान व्यक्ति की कोई सम्भावना नहीं है कि वो आई.ऐ.एस (बाबू), पोलिस,कोर्ट और राजनैतिक पार्टियों में तरक्की कर सके |

केवल वे ही राष्ट्रवादी को विदेशी कम्पनियाँ/ईसाई धर्म के कट्टरवादी/रूढ़िवादी बढ़ावा देंगे ,जो बजरंगी किस्म के लोग है, जो गरम मिसाजी हैं ,जिससे देश को नुकसान पहुंचे | यदि कोई राष्ट्रवादी/देशभक्त किसी पार्टी ,आई.ऐ.एस(बाबू) , पोलिस में ठन्डे दिमाग का, दूर की सोच वाला, चुस्त/चतुर है , तो विदेशी कम्पनियाँ/ईसाई धर्म के कट्टरपंथी , ये सुनिश्चित करेंगे कि वो कभी भी ऊपर ना उठे , यानी तरक्की ना करे | तो उसका रास्ता रोक दिया जायेगा | इसीलिए वो पसंद करेगा कि वो इस सरकारी सिस्टम के बाहर काम करे , यानी प्राइवेट में काम करे |

**(8) भारत में हालात अभी अच्छे हुए हैं, जैसे के पश्चिम में एक समय हुए थे | अमेरिका में लोक-तंत्र , चुनाव, जूरी द्वारा फैसला 200 सालों से ज्यादा था, लेकिन वहाँ की औरतों को वोट करने का अधिकार केवल भारत की औरतों से 10-15 साल पहले ही मिला था |**

अमेरिका या इंग्लैंड में औरतों के हालत ज्यादा अच्छे थे, भारत के औरतों की हालात से, उनको वोट मिलने से भी पहले | ऐसे तो स्विजरलैंड में, औरतों को वोट करने का अधिकार भारत में औरतों को वोट करने का अधिकार मिलने से बहुत बाद में मिला था | फिर भी स्विजरलैंड में, औरतों की स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी थी |

अंग्रेजों ने चुनाव-प्रक्रिया (तरीका) 1934 में सबसे पहले लायी थी और वो `सार्वजानिक (सभी के लिए ) मताधिकार` के बिना थी | एक कारण ये था कि वो पहली कोशिश थी और दूसरा कारण ये था

कि भारत के ऊंचे वर्ग के लोग , पढ़े-लिखे लोग जैसे विकइल और कई कांग्रेस के सदस्य सहित, सार्वजनिक (सभी के लिए ) चुनाव का विरोध करते थे | और कई भारतीय राजाओं ने अपने राज्यों में चुनाव के अधिकार ही नहीं दिए, अंग्रेजों के देने के बाद भी | 1936 में, राजकोट में, जहाँ भारतीय राजा का शाशन चलता था और सीधा अंग्रेज शाशन नहीं करते थे, एक प्रदर्शन किया , चुनावों की मांग करते हुए | राजा ने कैसे  जवाब दिया ? उसने हिंसक तरीके से उनको कुचला | तो इतना तो श्रेय अंग्रेजों को मिलना चाहिए कि उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया लाए , सार्वजनिक (सभी के लिए) चुनाव ना भी लायें हो तो भी |

और , अमेरिका के नींव डालने वाले लोगों ने और ऊंचे वर्ग के लोगों ने कभी भी लोकतंत्र का स्तर नहीं कम किया , जो अंग्रेज उनके देश में छोड़ कर गए थे | जबकि भारत के नींव डालने वाले लोग और ऊंचे वर्ग के लोगों ने लोकतंत्र का स्तर कम कर दिया , लोकतंत्र के स्तर से जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए थे | मैं आशा करता हूँ कि ये सच कि भारतीय नेता-बाबू-जज-बुद्धिजीवी-ऊंचे वर्ग के लोग ने 1950 के दशक में जूरी सिस्टम को समाप्त कर दिया , सभी को ये विश्वास दिला देगा कि भारत के नेता-बाबू-जज-बुद्धिजीवी-ऊंचे वर्ग के लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं |  और कोई सबूत / प्रमाण नहीं चाहिए

**(9) बुनियादी शिक्षा (बारवीं कक्षा) पास करना जरूरी होना चाहिए चुनाव लाधने के लिए | और ऐसा नियम होना चाहिए कि एक 3 महीने का बुनियादी क़ानून का पाठ्यक्रम (स्थानीय भाषा में या अंग्रेजी में) में भाग लेना होगा और उसको पास करना होगा उन विधायकों / सांसदों को , जिनका कोई भी कानूनी अनुभव नहीं है |**

75% से ज्यादा सांसदों ने कालेज पास किया है | और बहुत सारे क़ानून की पढ़ाई भी पढ़े हुए हैं | और एक अनपढ़ व्यक्ति भारत में (या कहीं भी दुनिया में) को बुनियादी क़ानून जैसे `भारतीय दण्ड संहिता` आदि का ज्ञान है | पढ़े-लिखे सांसद उतने ही भ्रष्ट हैं ,जितने कि अनपढ़ | इसलिए शिक्षा आदि उनके क़ानून पारित करने की क्षमता नहीं बढ़ाएगा |

और सांसद का काम है

1) अध्यक्ष के सामने क़ानून-ड्राफ्ट रखना
2) `हां`/`ना` बोलना उस क़ानून-ड्राफ्ट पर जब अध्यक्ष उस पर लोक-सभा में मतदान कराये

सांसद को 1) और 2) ,ये दोनों काम आम-नागरिकों के इच्छा के अनुसार करने होते हैं | ये आम-नागरिकों का काम है कि अपने क्षेत्र के सांसद को क़ानून-ड्राफ्ट बना कर दे | जब तक आम-नागरिक कोई भी क़ानून-ड्राफ्ट , सांसदों को नहीं देते , उनको एक मांसपेशी भी हिलानी की जरुरत नहीं है ,

मतलब कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है |

**(10) " सिस्टम अच्छा है, लोग ही हैं जो अच्छे नहीं हैं |"**

गलत |

भ्रष्ट गठबंधन (नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक(प्रबंधक)-बुद्धिजीवी-ऊंचे वर्ग के लोग) भ्रष्ट इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि हम आम-नागरिक उनको सज़ा नहीं दे सकते , न ही जुर्माना कर सकते हीं, किगना भी वे आम-नागरिकों को लूटें | इसीलिए हमें ये समस्या को दोनों स्तर पर हल करना होगा - लोग और सिस्टम | हमें कुछ बुरे लोग हटाने होंगे और कुछ अच्छे क़ानून (जैसे जूरी सिस्टम , भ्रष्ट को बदलने का नागरिकों का अधिकार ., आदि) लागू करने होंगे , जिससे भ्रष्ट लोगों को जेल डाल सकें |

**(11) सेना में तरक्की और चुनाव का तरीका बहुत व्यवस्थित है क्योंकि सभी लोगों को मालूम रहता है कि उसपर नजर रखी जा रही है उनके सीनियर द्वारा और उनको ये भी मालूम होता कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा यदि वे पकड़े गए तो |**

सेना कम भ्रष्ट है क्योंकि निचले और बीच के स्तर के अफसर, पब्लिक / जनता से ज्यादा बातचीत, मिलती-जुलती नहीं है , न ही उनके पास नागरिकों के ऊपर कोई अधिकार होता है और उनको मिलने वाले बजट (खर्च करने के लिए पैसा) भी बहुत ज्यादा नहीं होता |

**(12) भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को निचले स्तर से शुरू होनी चाहिए |**

बकवास |

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को ऊपर से शुरू होना चाहिए | ये रट कि केवल निचले स्तर पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए, केवल शीर्ष के लोगों के लिए स्वर्ग बनाने के लिए ये रट किया जाता है | " निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करो" का मायना है कि पटवारी/तलाटी/लेखपाल, तहसीलदार आदि से लड़ना और बाबूओं, पुलिस कर्मी, मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को शांतिपूर्वक लूटने देना जितना लूटना चाहें|

मेरे विचार से हमें शीर्ष/सबसे उपरी स्तर पर धावा बोलना चाहिए | जब ऐसा होगा , तो नीचे का 99% भ्रष्टाचार गायब हो जायेगा | और फिर , हम बाकी 1% भ्रष्टाचार से भी निपट सकते हैं | लेकिन यदि सुप्रीम-कोर्ट के जज और केन्द्रीय मंत्री , सभी भ्रष्ट हैं, फिर नीचले स्तर पर भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त नहीं होगा, कितना भी हम लड़ते रहें, भ्रष्टाचार के खिलाफ |

---

निचले स्तर का भ्रष्टाचार , इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार है | ये सामान्य ज्ञान है कि बाबू यदि भ्रष्ट होता है तो चपरासी के लिए रिश्वत लेना आसान हो जाता है |

और ज्ञान को छोडो, कभी-कभी तो ऊपर के लोग निचले स्टारों को पैसा जमा करने के लिए कहते हैं और उसका हिस्सा उन्हें देने के लिए कहते हैं| और ऊपर के लोग निचले और मध्य स्तर के लोगों को भर्ती करते समय लापरवाही से भाई-भातिजेवाद करता है जिससे सभी को भ्रष्ट होने का कारण मिल जाता है |

उदहारण, क्यों एक निचली अदालत के जज अपनी लालच को छोड़े जब उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश `खरे` ने एक सजा पाया हुआ, बच्चों से यौनशोषण करने वाले धनी/पैसे वाला स्विस नागरिक को जमानत कर दे है ? और एक पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत क्यों नहीं ले जबकि उसे गृहमंत्री हर इंस्पेक्टर को उसे पैसे इकट्ठा कर के देने का लक्ष्य देता है और उसका तबादला करने की धमकी देता है यदि उतना लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो !!

ये सब हो-हल्ला कि हमें केवल निचले स्तर पर लड़ना है और उपरी स्तर को छोड़ देना चाहिए ये सुनिश्चित/पक्का करता है कि बाबू ,जज और मंत्री और सभी सबसे ऊपर स्तर के लोग रिश्वत इकट्ठा कर सकते हैं और आराम से सो सकते हैं जब हम पटवारियों और तहसीलदारों से लड़ने में व्यस्त हों |

**प्रश्नकर्ता- आप ने भ्रष्टाचार के लिए जो समाधान बताये हैं जैसे जूरी सिस्टम , वे पूरे सिस्टम पर काम करते हैं और " ऊपर से नीचे की ओर " काम करते हैं |**

ये तरीके 100 % `नीचे से ऊपर की ओर` काम करते हैं और मुझे शुद्ध `ऊपर से नीचे की ओर` काम करने वाले तरीकों में कोई विश्वास नहीं है | मेरा तरीका पहले प्रधानमंत्री को `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) सरकारी आदेश` पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर करना है , जिसके बाद नागरिक कोई भी नागरिक द्वारा , कलेक्टर के दफ्तर में दी गयी अर्जी पर अपनी `हां`/`ना`दर्ज कर सकता है 3 रुपये दे कर और ये सब प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर आ जायेगा ताकि लाखो-करोड़ों लोग देख सके और जांच कर सके , कभी भी, कहीं भी |

और सभी प्रस्तावित क़ानून जैसे जूरी सिस्टम , `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` द्वारा , एक प्रस्ताव के रूप में आयेंगे, लोगों के समर्थन और दबाव के द्वारा | इसीलिए कुछ भी `ऊपर से नीचे नहीं है | बाद में नीचे के लोग ,मतलब आम-नागरिकों के पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीम-कोर्ट के जज, आदि को निकालने/बदलने के तरीके होंगे |

**(13) हमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या मूल्य/गुण चाहिए ?**

कुछ मूल्य वाले प्रश्नों पर विचार करें -

1) पब्लिक (सरकारी) जमीन और प्राकृतिक संसाधन का मालिक कौन है ? और उसमें से किराया और आमदनी किसको मिलनी चाहिए ?

2) सबसे बड़ा कौन है , आम-नागरिक या सुप्रीम-कोर्ट के जज ?

3) क्या आम-नागरिकों के पास सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान-जज को बदलने का अधिकार है ?

और दूसरे प्रश्न भी | दूसरे शब्दों में, मूल्य और राजनीति का सिस्टम ,दोनों एक ही है | भारत में बहुत गडबड़ी है, क्योंकि आम-नागरिकों के पास लोकतान्त्रिक (सारे देश के लोगों द्वारा देश के मामलों का फैसला ) मूल्य नहीं हैं जैसे आम-नागरिक पब्लिक (सरकारी) प्लाट के मालिक हैं, आम-नागरिक सबसे ऊंचे/बड़े हैं और नागरिकों को (भ्रष्ट) सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान-जज को निकालने / बदलने का अधिकार होना चाहिए | जबकि भ्रष्ट गठबंधन (नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक(प्रबंधक)-बुद्धिजीवी-ऊंचे वर्ग के लोग) के पास अल्प-लोक्तंत्र (देश के कुछ ही लोगों द्वारा देश के मामलों का फैसला ) के मूल्य होते हैं जैसे सुप्रीम-कोर्ट के जज ऊंचे/बड़े होते हैं आम-नागरिकों से , आम-नागरिकों को कुछ भी आमदनी और किराया नहीं मिलना चाहिए पब्लिक (सरकारी) प्लाट और खदानों से ., आदि |

**(14) ये प्रस्तावित तरीके क्रन्तिकारी और संभव नहीं हैं |**

कोई भी प्रस्ताव क्रांतिकारी नहीं है और हर प्रस्ताव , आज के प्रशासन में एक छोटा बदलाव लाता है | उदाहरण., पहले प्रस्ताव पर विचार करें - `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)`--- (www.righttorecall.info/001.h.pdf)

पहला प्रस्ताव कहता है --- हम आम-नागरिकों के अर्जी प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर दालों और हम आम-नागरिकों के `हां`/`ना` , उस अर्जी पर , प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर दालों | दूसरे शब्दों में , हम आमनागरिकों को प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर लिखने की आजादी मिलती है | क्या ये आपको क्रांतिकारी लगता है ? ये जरूर है कि जो लोग ये छोटे विकास वाले बदलावों का विदोध करते हैं, वे अक्सर इन तरीकों को गलत लेबल/नाम देकर , इन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, लोगों में गलत राय बनने के लिए |

---

और यदि किसी को उचित चर्चा चाहिए , तो उसे ऐसे शब्द जो साफ़ (स्पष्ट) नहीं हैं, जिसके कई मतलब हो सकते हैं ,जैसे “संभव (व्यावहारिक) नहीं”. ”संभव (व्यावहारिक)” आदि के प्रयोग से बचना चाहिए | शब्द “ संभव नहीं है “ के कई मतलब हो सकते हैं , जिनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है -

1. जिसका अच्छे से चलाना संभव नहीं है
2. भ्रष्ट गठबंधन (नेता-बाबू-जज-पोलिस-नियामक(प्रबंधक)-बुद्धिजीवी-ऊंचे वर्ग के लोग) जोरदार तरह से विरोध करेंगे और मैं इसीलिए ये तरीकों को समर्थन करने से डरता हूँ |
3. मेरे दोस्त और रिश्तेदार को ये पसंद नहीं आएगा यदि मैं इन क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करता हूँ |
4. आम-नागरिकों को ये प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट और तरीके समझ नहीं आएंगे |

और बहुत सारे दूसरे मतलब |

उदाहरण., मेरे मुनीम और वकील दोस्त कहते हैं कि " बाबुओं और जजों पर आयकर नहीं लगाना संभव नहीं है | " उनका मताब (2) है | वे ही मुनीम और वकील ये भी कहते हैं कि " जज के भर्ती के लिए इंटरवियू का विरोध करना व्यवहारिक(संभव) नहीं है | इसमें भी उनका मताब (2) है --- वे परिणाम से डरते हैं , जो उनको सामना करना पड़ेगा यदि वे जजों के भर्ती के लिए इंटरवीयू का विरोध करें तो | और यदि कोई कहे " चलो हम मंगल गृह चले जायें भ्रष्ट नेता-बाबू-जजों से बचने के लिए " तो मैं कहूँगा कि ये व्यावहारिक नहीं है और मेरा मतलब (1) होगा |

इसीलिए जब आप शब्द " व्यावहारिक नहीं " का प्रयूग करते हैं, तो आपका क्या मतलब है ? ऐसे 5-10 मतलब वाले शब्दों से बचना चाहिए |

कृपया ध्यान दें कि भ्रष्ट शब्द के साथ जज और बुद्धिजीवियों का नाम जरूर लें , नेता और बाबूओं के साथ | ये जरूरी है कि हम ये झूठी बात कि `जज और बुद्धिजीवी ईमानदार हैं` को समाप्त करें और इसीलिए ये जरूरी है कि हम उनका नाम भी लें भ्रष्ट नेता और बाबू के साथ |

पहला सरकारी आदेश एक छोटा सा विकास है | इतना आसान और छोटा कि आप के जैसे कई इसकी संभावनाओं को देख भी न पाओ | लेकिन कोई भी अनुभवी नेता, या बुद्धिजीवी इससे होने वाले प्रभाव को देख सकता है और कितना नुकसान करेगा भ्रष्ट नेता, `आई.ऐ.एस`(बाबू), पोलिस-कर्मी और जजों को , जिसके कारण उन्होंने ये पहली सरकारी आदेश से नफरत की है |

**(15) ऐसे बेईमान लोग हैं जो जमीन को कई लोगों को बेच देते हैं और गायब हो जाते हैं | इसका क्या हल है ?**

ये भारत में तोर्रेंस जैसे जमीन के रिकोर्ड के लिए सिस्टम के ना होने के कारण है | ये समस्य पूरी दुनिया में थी और ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में रोबर्ट तोरेंस ने 1860 में हल की , एक जमीन के रिकोर्ड का ऐसा सिस्टम बना कर , जिससे जमीन के सौदों में घोटालों / धोखे की समस्या समाप्त हो गयी और जो बाद में तोरेंस सिस्टम से जाने जाना लगा | ज्यादा जानकारी के लिए ये लिंक देखें-

http://en.wikipedia.org/wiki/Torrens_title

भारतीय नेता-`आई.ऐ.एस`(बाबू) तोरेंस सिस्टम का विरोध करते हैं क्योंकि इस सिस्टम में हरेक `बिक्री के पूर्व के दस्तावेज` जिनको बानाखत कहते हैं और `बिक्री के दस्तावेज` को सरकारी दफ्तर जा

कर दर्ज करना होता | आपको मालूम है कि नेता-बाबू-पुलिसकर्मी-जज की मीलों-मीलों जमीन उनके नाम होती है और उसको दर्ज करने से उनके सारी संपत्ति/धन का खुलासा हो जायेगा |

## (16) राजनीति में अचे लोग क्यों नहीं आते ?

मतदाता मूर्ख नहीं हैं |
क्योंकि वे उस तरह वोट नहीं करते , जैसे कि आप चाहते हैं कि वे करें, इसका ये मतलब नहीं के वे मूर्ख हैं |
---

क्योंकि जज भ्रष्ट और भाई-भतिजेवाद (रिश्तेदारों की तरफदारी) वाली है, हिंसक और पैसे वाले मुजरिमों (जैसे हर्षद मेहता) का राज चलता है | और इसीलिए हिंसक और पैसे वाले मुजरिमों ने ये पक्का कर लिया है कि कोई भी ` अच्छे आदमी ` इतने नहीं उठे , उनका इतना नाम नहीं हो कि वे विधायक बन पाएं | इसीलिए केवल मुजरिम या मुजरिमों के समर्थक ही नाम कमा पाते हैं | कुछ लोग हिंसक मुजरिमों का समर्थन करते हैं और कुछ जैसे प्रमोद , मनमोहन सिंह आदि ., पैसे वाले मुजरिमों का समर्थन करते हैं |

यदि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जीते, हम को ये सुनिश्चित करना होगा कि अच्छे लोग सांस ले सकें, जी सकें और बढ़ सकें | और इसके लिए हमें हिंसक और पैसे वाले मुजरिमों को जेल में डालना होगा और हमें भ्रष्ट पुलिसवाले, जज, मंत्रियों आदि, को जेल में डालना होगा | उसके बाद ही अच्छे लोग चुनाव जीत सकते हैं |

जिन देशों ने अपने यहाँ जूरी सिस्टम लागू किया है, वहाँ भ्रष्टाचार कम है और ज्यादा आजादी भी है | (साम्यवादी देश में थोड़ी देर के भ्रष्टाचार कम थी , लेकिन कोई आजादी भी नहीं थी ) ज्यादा आजादी और साथ में ही कम अनुशाशन-हीनता और कम भ्रष्टाचार से ज्यादा विकास हुआ और भ्रष्टाचार कम हुआ | तो, गरीबी से भ्रष्टाचार नहीं होती , बल्कि इसके उल्टा है |

## (17) मेरे अनुसार बहुत से कारण हैं भ्रष्टाचार होने के , गरीबी उसका सबसे बड़ा कारण है |

गरीबी भ्रष्टाचार होने का सबसे कम कारण है | क्या पोलिस के अफसर गरीब हैं ? क्या सुप्रीम-कोर्ट के जज गरीब हैं ? और सभी संगठित और योजना के साथ किये गए अपराध , कोर्ट से शुरू होते हैं | संगठित और जोजन से अपराध करने वाला अपराध नहीं करेगा , यदि उसे मालूम हो कि जज या जूरी के सदस्यों द्वारा उसको सज़ा दी जाने की काफी संभावना है | कुछ अपराध को छोड़ कर जो भावुकता के वजह से होते हैं, योजना से किये गए अपराध हमेशा कोर्ट और पुलिसवालों की मुजरिम के साथ मिली-भगत के कारण होते हैं |

उदाहरण., दावूद के सुप्रीम-कोर्ट के जज ,नेता, पुलिसवालों आदि के साथ मिली-भगत थी | इतनी ज्यादा मिली-भगत थी, के वो मोदी और वंजारा , जिन्होंने उसके एजेंट सोहराबुद्दीन को मारा था ,को परेशान करने के लिए भी सुप्रीम-कोर्ट के जजों को रिश्वत दे सका | ये ऐसी मिली-भगत ही हैं जिसने दावूद और उसके आदमियों को निडर मुजरिम बनाया था |उनको मालूम था कि पोलिस , जज आदि उनको छोड़ देंगे चाहे कुछ भी वो करें |

**प्रश्नकर्ता- भारत में पुलिसवाले की भी बहुत कम वेतन है, जिससे उनका रिश्वतें लेने के लिए झुकाव होता है |**

केवल कांस्टेबल का वेतन कम है | पोलिस-इन्स्पेक्टर और उससे ऊपर का बहुत अच्छा वेतन है, फिर भी वे सभी भ्रष्ट हैं |

**(18) क्या झूठ पकड़ने की जाँच (लाई-डिटेक्टर टेस्ट) और नारको जांच , जांच करने वाले अधिकारी के ऊपर बिना राईट टू रिकाल के प्रक्रियाओं के , भ्रष्टाचार को कम करेगा ?**

झूठ पकड़ने की जांच (लाई-डिटेक्टर टेस्ट) और नारको जांच , जांच करने वाले अधिकारों पर बिना राईट टू रिकाल के तरीकों के, भ्रष्टाचार को कम नहीं करेगा क्योंकि जाच करने वाला अधिकारी बिक सकता है और आसान सवाल पूछ सकता है या बेहोश करने वाली दवाई की कम मात्र दे सकता है ताकि व्यक्ति जागा हुआ हो और आसानी से झूठ बोल सके |